(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] षष्टम विधान सभा के तृतीय सत्र का नवां दिवस [संख्या 8

बुधवार,

दिनांक 8 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न।

प्रश्न संख्या 83

श्री ओंकारलाल चौहान।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री बालचन्द्र आर्य।

आपातकाल में खाद्य अधिनियम के तहत छोटे व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमे

84. श्री बालचन्द्र आर्य (डग) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आपातकाल में खाद्य अधिनियम के तहत तकनीकी भूल से छोटे व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किये गये ? यदि हां, तो कहां कहां ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार इन केसेज को वापस लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय...

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न खाद्य विभाग से सम्बन्धित है। उनको रेफर कर दिया गया है। खाद्य मंत्री अपने टर्न पर इसका जवाब देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, यह उत्तर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मुझे कुछ पूछना है। क्या आप स्थगित कराना चाहते हैं, मंत्री महोदय ?

श्री सम्पतराम : इसी नियत से अर्ज किया था कि यह खाद्य विभाग से सम्बन्धित होने से उनको रेफर कर दिया है। खाद्य मंत्री अपने टर्न पर जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री सूर्यप्रकाश।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेन्ट है।

प्रश्न संख्या 85

श्री अध्यक्ष : श्री सूर्यप्रकाश ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री बालचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय । व्यापारियों को सजा दी जा रही है । मंत्री महोदय जवाब नहीं देते हैं । मेरी उपेक्षा की जाती है । इसका जवाब दिलाया जाय, अध्यक्ष महोदय ।

एक माननीय सदस्य : पोस्टपोन हो गया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री कुंजीलाल ।

श्री मूलचन्द सामरिया ।

श्री रामकिशोर मीणा ।

सम्पूर्ण राज्य को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने का मामला

86. **श्री कुंजीलाल (बामनवास), श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा), श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :** क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित कर रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आयोजना मंत्री (श्री त्रिलोक चन्द्र जैन) : किसी क्षेत्र को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित भारत सरकार करती है न कि राज्य सरकार ।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकती । राज्य सरकार ने पूरे राज्य को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करने का भारत सरकार से अनुरोध किया हुआ है जिस पर निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसका सरकार उत्तर नहीं दे सकती है ।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, भारत सरकार ने क्या क्राइटेरिया मुकर्रर किया है जिसके आधार पर अब तक पिछड़े क्षेत्र घोषित किये गये हैं ? आपने क्या सुझाव भारत सरकार को दिये हैं ? कोटा जैसे जिले को भी, जो कि काफी समृद्ध है, आपने पिछड़ा घोषित कर दिया है । क्या उत्तर है ? चतुर्वेदीजी का ध्यान हमारी तरफ खींच दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वे कह रहे हैं कि सरकार के विचाराधीन है...

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अलग से नहीं है । भारत सरकार कब तक निर्णय दे देगी ? निश्चित अवधि बता सकते हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : जिन जिलों को पिछड़ा घोषित करना है उनको अभी नहीं किया गया । भूतपूर्व सरकार के द्वारा ही यह भेजा हुआ है उसमें से यह भी एक है । हम तो पूरे राजस्थान को पिछड़ा घोषित कराने के लिये प्रयत्नशील हैं । माननीय सदस्यों ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उनको दृष्टि में रख कर भारत सरकार से पूरे राजस्थान को पिछड़ा घोषित कराने के लिये पूरा प्रयत्न किया जायगा ।

श्री मूलचन्द डागा : प्रयत्न कर रहे हैं। यह कौनसा · · ·

श्री अध्यक्ष : यह कोई प्रश्न है ? No.

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रार्थना करूंगा नम्रतापूर्वक···

श्री अध्यक्ष : सरकार चाहती है कि सारे राजस्थान को पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर दिया जावे।

श्री मूलचन्द डागा : जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे क्या हैं ? सदन को अवगत कराया जावे कि वे प्रयत्न क्या हैं ताकि हम भी सुझाव दे सकें आगे।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : 30 वर्षों में तो सुझाव दिये नहीं और आज सुझाव देने की स्थिति में आ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री नवल राय बच्चाणी।

राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में लेबर लॉ की क्लासें

87. श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या अगले सत्र से राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में लेबर लॉ की क्लासें चालू करने का राज्य सरकार का इरादा है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : अगले सत्र में राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में लेबर लॉ की कक्षायें चालू करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है। जब नये विषय खोलने पर नियमानुसार विचार किया जावेगा तब इस सम्बन्ध में भी विचार कर लिया जावेगा।

श्री भंवर लाल ऐरन (नसीराबाद) : जुलाई से पहले ही कोई निर्णय ले लिया जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्नकर्त्ता।

श्री नवलराय बच्चाणी : यह पहले ही बताया गया था कि 1978 से चालू की जावेंगी। अब भी कह रहे हैं कि विचाराधीन है। निश्चित अवधि बतायी जानी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : भीलवाड़ा के लिये क्या विचार कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : माननीय मन्त्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि यह विचाराधीन कब तक रहेगा ? क्या अगले सत्र से पूर्व ही निर्णय ले लिया जावेगा ?

श्री कल्याण सिंह सांखला (अजमेर पूर्व) : मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि क्या यूनिवर्सिटी से इसकी पर्मिशन मिल चुकी है ?

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह।

श्री कल्याण सिंह सांखला : यूनिवर्सिटी से पहले पर्मिशन लेनी पड़ती है। यह तो

(श्री कल्याण सिंह सांखला)
पहले बतायें कि यूनिवर्सिटी से पर्मिशन मिल चुकी है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय इसके सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डाल सकते हैं तो उनको बाध्य नहीं कर सकता हूं।

श्री कल्याण सिंह सांखला : मन्त्री महोदय ने कहा कि विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : विचाराधीन के सम्बन्ध में संकेत करते हैं तो इसका उत्तर देने के संबंध में कोई बाध्य नहीं कर सकता है। यह सरकार का प्रोरोगेटिव है।

श्री कल्याण सिंह सांखला : बिना यूनिवर्सिटी की पर्मिशन के खोल नहीं सकते हैं। कब यूनिवर्सिटी को लिखा गया और कब पर्मिशन आयी ?

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) : अब विचाराधीन है ...

श्री अध्यक्ष : इसका अर्थ यह है कि निरन्तर विचार जारी है, जल्दी ही निर्णय होगा।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपके प्रति बहुत आदर भावना रखते हुए निवेदन करूंगा कि आप सरकार को बाध्य कर सकते हैं कि सरकार प्रश्न का उत्तर दें। आप उनको ताड़ना दें।

श्री अध्यक्ष : यह विषय ऐसा है कि इस सम्बन्ध में सरकार को बाध्य करना आवश्यक या उचित नहीं समझता।

श्री खेतसिंह।

प्रश्न संख्या 88

श्री खेतसिंह राठौड़।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री गिरधारी लाल भार्गव।

आवासन मंडल द्वारा निर्मित मकानों को किराये पर देने की छूट

89. श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आवासन मंडल ने अपने नियमों के अनुसार मण्डल द्वारा निर्मित मकान आवंटियों को किराये पर देने की छूट दे रखी है ?

(2) क्या यह सही है कि इसी के परिणामस्वरूप जवाहर नगर जयपुर में करीब आधे मकान आवंटियों ने किराये पर दे रखे हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार यह उचित समझती है कि एक तरफ 12 हजार व्यक्ति गत पांच वर्षों से मकान की प्रतीक्षा कर रहे हैं और दूसरी ओर आवंटी मकान लेकर किराये पर दे रहे हैं ? क्या इसमें जरूरतमंद लोग मकानों से वंचित नहीं रह जाते हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार आवासन मण्डल को परामर्श देगी कि वह नियमों में परिवर्तन कर, मण्डल द्वारा निर्मित मकान केवल उन्हीं लोगों को दे जो स्वयं उनमें रहें सिवाय उन परिस्थितियों के कि आवंटी का उस शहर के बाहर तबादला हो गया हो या वह शहर छोड़ कर दूसरे शहर में बसने जा रहा हो ?

राज्य मंत्री, नगर आयोजना (श्री विज्ञान मोदी) : (1) स्वामित्व के अधिकार होने के नाते मकान मालिक को किराये देने का हक प्राप्त हो जाता है।

(2) आवंटियों द्वारा मकान किराये पर देने की सूचना एकत्र नहीं की जाती है।

(3) जी नहीं। राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम, 1970 के अनुसार आवासन बोर्ड राजस्थान राज्य में आवास स्थानों की आवश्यकता की व्यवस्था और पूर्ति के लिए किये जाने वाले उपायों के उपबन्ध करने के लिए गठित किया गया है।

बोर्ड उसी व्यक्त को मकान देता है जिसका उस शहर में स्वयं एवं उसकी पत्नी/पति या उस पर निर्भर किसी भी संबंधी (अविवाहित बच्चों) का मकान नहीं होता है। बोर्ड मकान आवन्टन करते समय आवटी से इस आशय का शपथ-पत्र लेता है जो कि नोटेरी पब्लिक/मजिस्ट्रेट आदि से प्रमाणित होता है।

इस प्रकार मकान जरूरतमन्द व्यक्तियों को दिए गए हैं। चाहे उस मकान में वह स्वयं रहते है अथवा किसी संबंधी या किरायेदार को रखते हैं मूलतः आवासन समस्या का समाधान हो जाता है।

(4) जी नहीं। चूंकि आवासन समस्या के समाधान के प्रतिकूल ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए राज्य सरकार ऐसा परामर्श देने की आवश्यकता महसूस नहीं करती है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि सन् 1972 में जिन लोगों ने राजस्थान आवासन बोर्ड में अपने नाम दर्ज कराये थे उनको आवासन बोर्ड ने दो वर्ष में मकान देने की गारन्टी दी थी? क्या उन सब लोगों को मकान दे दिए गए हैं? और नहीं, तो क्या राज्य सरकार मुनासिब समझती है कि एक ओर लोग किराये पर रहते हैं और दूसरी ओर लोग स्वयं का मकान हो जाने के बाद भी किराये पर दूसरों को बैठा देते हैं? क्या राज्य सरकार की राय में आवासन बोर्ड की ऐसी व्यवस्था नहीं होने से आवासीय समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकेगा?

श्री विज्ञान मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर के अन्दर 1971 तक पंजीकृत लोगों को मकान का आवंटन कराया जा चुका है। उसके बाद 1973 से आवंटन की प्रक्रिया को और आवेदन-पत्र दाखिल कराने की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। जहां तक मकान को किराये पर देने का प्रश्न है जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं, किराये पर देने से भी आवासन समस्या का समाधान होता है। इसी उद्देश्य से राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम, 1970 के तहत इसका प्रावधान रखा गया है।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : एक ही समय में और एक ही साथ रजिस्टर्ड हुए लोगों को जो लाटरी द्वारा मकान मिलते हैं उनकी कीमत में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है। एक ही समय में और एक ही सन् के अन्दर एक ही योजना के रजिस्टर्ड मकानों में 44 हजार से 54 हजार का अन्तर पाये जाने का क्या कारण है?

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री गुल मोहम्मद)
पूछना चाहता हूं कि जवाहरनगर कालोनी को बने बहुत अर्सा बीत गया है लेकिन इसके विकास का पूरा काम नहीं हुआ है। इस कालोनी के अन्दर पार्क की सुविधा नहीं है, न चिकित्सालय खोला गया है और न स्कूल की ही व्यवस्था की गयी है। आखिर यह प्राब्लम कब तक खतम हो जायेगी ? क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि स्कूल, चिकित्सालय के लिए भी कोई जमीन हाउसिंग बोर्ड के द्वारा रखी गई है ?

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जो अजमेर में आनासागर के पास बस्ती बनाई गई है जिसमें 1 करोड़ से भी अधिक व्यय हुआ है, उसके मकान पिछली बरसात में डूब गये थे ? वह कालोनी आज तक भी नहीं बसी। उसमें हमारी एक करोड़ की पूंजी लगी हुई है उसको किस प्रकार से रिकवर किया जा सकेगा ? इसकी व्यवस्था मंत्री महोदय ने की है क्या ?

श्री विज्ञान मोदी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक जवाहरनगर कालोनी का प्रश्न है माननीय सदस्य ने अन्य सुविधाओं का जिक्र किया है, मूलतः हम लोग आवासन संबंधी समस्या का समाधान करते हैं और इसी उद्देश्य से मकानों का निर्माण करके आवंटन करते हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। एक ही योजना के अन्तर्गत एक ही वर्ष में जिन लोगों के नाम रजिस्टर किये गये हैं उनको जब लाटरी द्वारा मकान दिया जाता है तो 36 हजार से लेकर 54 हजार तक का अन्तर उनकी कीमतों में होता है। क्या एक ही समय में, एक ही योजना के अन्तर्गत रजिस्टर्ड मकानों की कीमत के अन्दर अन्तर पाया जाना उचित है ? अगर अनुचित है तो आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री विज्ञान मोदी : जो मकानों की केटेगरी है उसके आधार पर मूल्यों का निर्धारण किया जाता है।

श्री कौशल किशोर जैन : एक ही योजना और एक ही प्रकार के मकानों की कीमतें अलग-अलग होती हैं 36 हजार से 54 हजार तक--इसका कारण क्या आप स्पष्ट करेंगे ?

श्री विज्ञान मोदी : आवंटन होने के समय का थोड़ा अन्तर होता है इसलिए मूल्य में भी अन्तर होना स्वाभाविक है।

श्री कौशल किशोर जैन : इसकी जिम्मेदारी आवासन बोर्ड पर है। अगर उसमें साल या दो साल लग जाते हैं तो उसका क्या कारण है ? आप बताने की कृपा करेंगे ?

श्री गुल मोहम्मद : आपने कहा कि जवाहरनगर कालोनी में विकास का काम किया है तो मैं पूछना चाहूंगा कि वहां पर आपने कितने स्कूल खोले, कितने चिकित्सालय खोले और कितने पार्क बनाये ? केवल कह देने से फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है आपके पास इन्फोर्मेशन नहीं हो। क्या इनके लिये कोई जमीन हाउसिंग बोर्ड द्वारा रखी गई है ?

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
कृपा करेंगे कि जबरदस्ती भी हाउसिंग बोर्ड के मकानों को लोगों पर लादा जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री बजरंग लाल शर्मा : अगर नहीं है तो मैं सूचना दे रहा हूं । सागवाड़ा री-सैटलमेन्ट कालोनी में जबरदस्ती मकान थोपे जा रहे हैं । जो कि कडाना बांध के क्षेत्र में जमीन आई उसका जो मुआवजा तय हुआ उसके अगेन्स्ट में मकान दिये जा रहे हैं । आपकी सूचना हेतु निवेदन कर दूं कि सरकारी आदमी आपको सूचना नहीं देते । वहां रुपया नहीं बांटा जा रहा है बल्कि मकान दिये जा रहे हैं वह मकान ऐसे हैं कि पहली बरसात में ही नहीं बल्कि सर्दी के मौसम की बरसात में ही एक तिहाई मकान गिर गए हैं । जबरदस्ती मकान देने की चेष्टा की जा रही है । इस सूचना के पश्चात् मंत्री महोदय क्या करने जा रहे हैं ? कृपया बतायें ।

श्री विज्ञान मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया । एक करोड़ रुपये की पूंजी का सवाल है । यहां एक करोड़ रुपया पानी में डूब गया ।

श्री रतन लाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है एक तरफ कहते हैं कि जानकारी नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं कि विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, क्या राजस्थान आवासन बोर्ड जयपुर की जनता को मकान देने में असफल हो गया है यू. आई. टी. भी असफल हो गया है और जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की कोई आवासीय योजना स्पष्ट नहीं होने के कारण कच्ची बस्तियों में लोग बराबर मकान बना रहे हैं ? क्या राज्य सरकार ने 22 जून, 1973 तक के लोगों को जमीन के रेगुलेराइजेशन की बात कर दी ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न विचाराधीन है, सदस्य महोदय ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आवासन मण्डल की जयपुर शहर के लोगों को मकान देने की आगामी योजना क्या है ? जिन लोगों ने अपने नाम रजिस्टर्ड करा रखे हैं उनको कितने दिनों में मकान मिल जायेंगे ? यह स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं भी एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : सिर्फ एक प्रश्न ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं अब कोई सप्लीमेन्ट्री इस प्रश्न पर नहीं होने दूंगा ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री उमरावसिंह गूजर।

अध्यापकों की बकाया का भुगतान

90. श्री उमरावसिंह गूजर (महुवा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अध्यापकों की धनराशि अकाउन्ट मद नम्बर 858 में जो जमा थी उसका 1/5 भाग जुलाई, 1976 तक सभी अध्यापकों को मिलने वाला था लेकिन अभी तक अधिकतर अध्यापकों को वह नहीं मिला ? यदि हां, तो क्यों नहीं मिला ? कितनी धनराशि उनको देनी शेष है ? क्या उसका ब्याज भी राज्य सरकार देगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि दूसरी किश्त भी 25 जुलाई, 1977 तक राज्य सरकार को देनी थी लेकिन उसकी भी अभी तक कोई व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से नहीं हुई ? यदि व्यवस्था की जा रही है तो कब तक हो जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है वह प्रदेश के सारे अध्यापकों के संबंध में है। इस संबंध में मुख्यालयों से सूचना एकत्रित की जा रही है। उसमें कुछ समय लगने की सम्भावना है। इसको हमने स्थगित करने के लिए आपसे प्रार्थना की है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहले जवाब दे चुके हैं। एक साल की ही तो सूचना है वह एकत्रित क्यों नहीं कर सके ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

नैक्स्ट। श्रीमती नारंगी देवी।

कोटा में मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव

91. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के पास कोटा में मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज को स्नातकोत्तर कालेज का स्तर देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार उपर्युक्त दोनों प्रस्तावों को कब तक क्रियान्वित कर देगी ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री त्रिलोक चन्द जैन) : (1) भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 100 सीट वाले मेडिकल कालेज की स्थापना के संदर्भ में उक्त कालेज को कोटा में खोलने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को सुझाव दिया है।

(2) राज्य सरकार जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज को स्नातकोत्तर संस्था का स्तर देने का विचार रखती है। इस प्रश्न पर विचार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27-12-77 को एक समिति का गठन किया गया है।

श्रीमती नारंगी देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने फर्माया है कि मेडिकल कालेज कोटा में खोलने हेतु सुझाव दिया

(श्रीमती नारंगी देवी)
है। यह बताने का कष्ट करें कि मेडिकल कालेज कोटा में कब तक खोल दिया जायेगा ?

श्री त्रिलोकचंद जैन : भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। ज्यों ही स्वीकृति हुई, यह खुल जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जयपुर मेडिकल कालेज को पोस्ट ग्रेजुएट कालेज करने का सरकार का विचार है तो क्या राज्य के अन्य 5 मेडिकल कालेजों का स्टेन्डर्ड डाउन नहीं हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : जयपुर मेडिकल कालेज का प्रश्न नहीं है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जयपुर मेडिकल कालेज को पोस्ट ग्रेजुएट करने से अन्य मेडिकल कालेजों से जो अटेच्ड स्टाफ है उसका स्टेन्डर्ड डाउन हो जायेगा क्या यह उचित होगा ?

श्री त्रिलोकचंद जैन : यह प्रश्न अलग से है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरा सवाल यह है कि जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर ये पांचों मेडिकल कालेजों को एक साथ पोस्ट ग्रेजुएट कर दिया जाये तो क्या यह उचित नहीं होगा ?

श्री हरिश कुमार शर्मा : इसमें व्यवस्था करने···

प्रश्न सं. 92

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री गुलाब चन्द्र कटारिया।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री हरजीराम बुरडक।

श्री कौशलकिशोर जैन : बीच में एक प्रश्न रह गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया उपस्थित नहीं हैं। मैंने नाम पुकारा था।

श्री हरजीराम बुरडक।

डीडवाना छात्रावास में सहायता राशि का दुरुपयोग

93. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग से सहायता प्राप्त छात्रावास डीडवाना, जिला नागौर में सहायता राशि का दुरुपयोग व गबन किये जाने की शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो कब-कब, क्या-क्या शिकायतें और उन पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(2) यदि इस संस्था का आडिट हुआ हो तो सन् 1974-75 से लेकर अब तक की आडिट रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने कृपा करें।

(3) उक्त संस्था के कार्यों में क्या कोई अनियमितता पाई गई ? यदि हां, तो क्या-क्या और उस पर राज्य सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई।

राज्य मंत्री समाज कल्याण (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) जी हां, वर्ष 1974-75 से अनुदानिक छात्रावास डीडवाना के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें एवं उनके बारे में की

(श्रीमती विद्या पाठक)

गई कार्यवाही के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नियमानुसार अनुदानित छात्रावासों को वर्ष में अनुदान 3 किश्तों में दिया जाता है। प्रथम दो किश्तें गत वर्ष की संबंधित तिमाहियों की वास्तविक छात्र संख्या के आधार पर अग्रिम रूप में स्वीकृत की जाती है। तृतीय तथा अन्तिम किश्त गत वर्ष के लेखों का चार्टेड अकाउन्टेन्ट द्वारा तैयार आडिटेड स्टेटमेन्ट व उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर अन्तिम समायोजन के बाद ही स्वीकृत की जाती है। वर्ष 1974-75 से वर्ष 1976-77 तक स्वीकृत अनुदान की राशि के चार्टेड अकाउन्टेन्ट की आडिटेड रिपोर्ट्स की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) वर्ष 1974-75 से 1976-77 के लेखों पर चार्टड अकाउन्टेन्ट द्वारा तैयार आडिटेड स्टेटमेन्ट्स में कोई अनियमितताएं नहीं बताई गई हैं, सिवाय इसके कि चंदे व कर्ज के हिसाब की रसीदें चार्टेड अकाउन्टेन्ट्स के सामने दो वर्ष की पेश नहीं की गई।

(आडिट रिपोर्ट की प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री हरजीराम बुरडक : मेरी शिकायत में मैंने साफ लिखा था कि 1974-75 की आडिट रिपोर्ट आपके सामने पेश हुई। बिना रिकार्ड देखे आपके सामने आडिट रिपोर्ट पेश कर दी। इतने दिनों तक आपने क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती विद्या पाठक : इस शिकायत के संबंध में 2-3-78 को लिखा हुआ है उसका निवेदन अभी अपेक्षित है।

श्री हरजीराम बुरडक : उसमें लिखना क्या है ? जहां गबन का मामला हो, पुलिस को देना चाहिए था। आपने सूची में लिखा है इन्सपेक्टर को भेज दिया है।

श्रीमती विद्या पाठक : जो इन्सपेक्शन किया जाता है, उसकी रिपोर्ट दी जाती है। उस जांच के बारे में लिखा हुआ है और उसकी रिपोर्ट अभी अपेक्षित है।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, जो रिकार्ड प्रस्तुत किया वह फर्जी है। पहले वाली कमेटी ने रिकार्ड दिया नहीं। अब इसमें आप किसी सीनियर आफिसर से जांच करवाइये, ओरिजिनल रिकार्ड मंगवाइये।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : एक सप्लीमेंट्री मैं पूछना चाहता हूं। आप कृपा करके यह बतायें कि इस तरह के गबन के मामले सामने आयें उन पर भी आप कोई कदम नहीं उठायें, तो इससे क्या भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा ?

श्रीमती विद्या पाठक : गबन के मामलों के बारे में दो एप्लीकेशन्स 1977-78 में आई हैं, लेकिन शिकायतकर्ता ने जिस व्यक्ति का नाम दिया है, वह व्यक्ति उस समय उस पद पर था ही नहीं।

श्री हरजीराम बुरडक : जिस आदमी का नहीं होना बता रहे हैं, उस आदमी ने फर्जी रिकार्ड तैयार करके आपको मिसलीड किया है। मुख्य मंत्री जी को स्वयं को इस बात का पता है।

श्री बजरंग लाल शर्मा : यह मामला सन् 1974–75 की आडिट रिपोर्ट से ताल्लुक रखता है। निश्चित तौर से ऐसी शिकायत है। शिकायत गबन के मामले और भ्रष्टाचार की है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। सदन में माननीय मंत्राणीजो .....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मंत्राणी जी नहीं, मंत्री जी कहिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : I am sorry कान पकड़ा। माफ करो।

एक माननीय सदस्य : मंत्री शब्द कामन है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीया मंत्री जी आज भी इस स्थिति में नहीं हैं कि शिकायत में जितने मुद्दे उठाये गये थे, उनके बारे में उत्तर दे सकें। इससे जाहिर होता है कि किस तरह से शिकायतों को निपटाया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की गम्भीर शिकायतों पर द्रुत गति से कार्यवाही करें।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : माननीय सदस्य श्री बुरडक ने जो बात कही है, उसकी मुझे भी कुछ जानकारी है। उस आधार पर आडिट रिपोर्ट और बाकी की पत्रावली जिलाधीश नागौर को भेज देते हैं ताकि वह प्रारम्भिक इन्क्वायरी करें और अगर पुलिस को देने की आवश्यकता समझें तो वह भी निर्देश दिया जायेगा कि पुलिस को दे दें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री बजरंगलाल शर्मा : जांच रिपोर्ट आ जाये, इसके लिये टाइम लिमिट फिक्स कर दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जल्द हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री अब्दुल अजीज।

श्री दुलाराम (रायसिंह नगर) : क्या यह सही है कि जिलाधीश महोदय ने जो रिपोर्ट भेजी है, उसमें छात्रावास में खाने और रहने के बारे में भी शिकायत की है? यदि हां, तो उस अधिकारी के खिलाफ कोई जांच होगी ?

श्रीमती विद्या पाठक : इसके लिये अलग से प्रश्न करें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री अब्दुल अजीज।

मकराना में चोरियों के मामले

94. श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मकराना में दिसम्बर 1977 व जनवरी 1978 में कितनी चोरियां हुईं ?

(2) राज्य में थानेदारों का स्थानान्तरण करने में राज्य सरकार क्या नीति अपनाती है ?

(3) क्या यह सही है कि मकराना में रात को वहां के निवासी चोरों के भय से पहरा देते हैं क्योंकि वहां सुरक्षा दल की

(श्री अब्दुल अजीज)
कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो राज्य सरकार की ऐसी नीति का क्या कारण है ?

गृह मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) मकराना में माह दिसम्बर 1977 में 4 एवं माह जनवरी 1978 में 4 चोरियां व मकबजनी हुईं।

(2) इस विषय में राज्य सरकार के निर्देश हैं कि उप निरीक्षकों को उनके गृह जिले में पदस्थापित नहीं किया जाये एवं उच्च अधिकारियों की अनुमति प्राप्त किये बिना उन्हें दो वर्ष से पूर्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित नहीं किया जावे।

(3) जी नहीं, यह सही नहीं है।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, जो चोरियां होना रिकार्ड के अनुसार माननीय गृह मंत्री जी ने बताया है यह तादाद है। कम से कम वहां चोरियां 25 हुई हैं, मेरा यह कहना है। दूसरा आपने फर्माया कि डी. आई. जी. और आई. जी. से परामर्श करके तबादला करते हैं। कृपया मुझे बतायें, मकराना में थानेदार पिछले 8 महीने में कितने बदले गये ? आपने कहा है कि रूल्स मुताबिक हम ट्रांसफर करते हैं।....

श्री मूलचन्द डागा : प्रश्न का उत्तर यही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मकराना से आने वाले माननीय सदस्य के यहां चोरी हुई वह भी बरामद हुई है क्या ?

एक माननीय सदस्य : चोरी भी हुई है कि नहीं ?

श्री अब्दुल अजीज : हुई है।

श्री सम्पत राम : माननीय अध्यक्ष जी, मकराना से आये हुये माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके सम्बन्ध में मैंने जवाब दे दिया है। मैं समझता था कि चोरी का प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है लेकिन अब मालूम पड़ा कि स्थानान्तरण का प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है। साधारणतया जो मैंने परिवर्तन संबंधी नीति बताई है वही है लेकिन हो सकता है एक से ज्यादा तबादले भी हो गये हों यह सूचना अभी नहीं है कि इन्सपेक्टर्स कितने बदले गये या नहीं बदले गये। मैंने चोरी की घटना कितनी हुई है और क्या क्या हुआ है, इस पर ही ज्यादा ध्यान दिया है। यह भी आप चाहेंगे तो मैं बता सकता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : The question is an important one, क्वेश्चन का हर एक भाग महत्वपूर्ण है। आपका दूसरा प्रश्न तबादले की राजनीति से सम्बन्धित है। 8 महीने में चार थानेदार बदल दिये हैं। वे कौन कौन थे और उनके तबादले के क्या क्या कारण थे ?

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा अफसोस तो इस बात का रहा....

श्री मूलचन्द डागा : थानेदारों का तबादला तो रिकार्ड पर है।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बिलकुल करप्ट है। आप संजय गांधी को बदनाम करते हैं। अभी पिछले दिनों में उनको इतनी सहूलियतें दी हैं कि इस प्रकार से थानेदारों

(श्री अब्दुल अजीज)
के ट्रान्सफर कराते हैं। कल्याण सिंह कालवी है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता था लेकिन मुझे अब कहना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हाउस में नहीं हैं, उनका नाम लेना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : सुनिये, सुनने की तो हिम्मत रखिये। आप चाहेंगे तो जो अनियमिततायें हो रही हैं, उनकी पूरी लिस्ट बता सकता हूं, आपको शर्म उठानी पड़ेगी। मैं किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : सवाल पूछिये, भाषण नहीं।

श्री अब्दुल अजीज : मेरे इलाके में तीन बार कैसे बदले गये थानेदार ? इस पर आप क्या कदम उठायेंगे ? इस अनियमितता पर आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में जानकारी मंत्री महोदय को नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : बड़े इतमिनान के साथ कह दिया कि चोरी हो गई।

(व्यवधान)

श्री बजरंग लाल शर्मा : यह तो कामनसेन्स की बात है, चोरी हुई ट्रान्सफर कर दिया।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, उत्तर दिलवाइये....

(व्यवधान)

आप इस सम्बन्ध में कुछ उत्तर तो दिलवाइये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय सदस्य ने कहा है कि चार बार ट्रान्सफर किये हैं, इसका कारण तो बताइये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : कांग्रेस के शासन में भी थानेदारों के इस प्रकार से ही ट्रान्सफर होते थे।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइये।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल का जवाब तो आया ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री बंशी लाल सारस्वत (नागौर) : क्या यह सही है कि माननीय सदस्य के कारण भी एक थानेदार का तबादला हुआ ?

श्री मूलचन्द डागा : गृह मंत्री जी के पास जवाब है लेकिन गृह मंत्री जी जवाब को छिपा रहे हैं, मैं यह कह सकता हूँ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : मैं कहता हूं इस प्रकार का जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, वह आपको भी ले डूबेगा।

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : थानेदार को 8 माह में चार बार बदल दिया, इसके क्या कारण हैं ? आप बताइये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपसे इन्साफ की अपेक्षा करते हैं । आप इन्साफ करें । मैं समझता हूं गृह मंत्री जी के पास जवाब हैं । इनकी फाइल मंगाई जाय और कस्टडी में ली जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेश कुमार ।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दिलवाइये ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : चुनाव लड़ कर डिफीट हुये हैं । गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिये वरना जो इनफरेन्श निकलेंगे, वे खराब होंगे···

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : यह तो थानेदार बदलने की बात है, यहां तो राज्य ही बदल गया···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : कुछ न कुछ तो कहा जाय ।

श्री अध्यक्ष : आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो मंत्री महोदय के कक्ष में जाकर जानकारी ले लें ।

(व्यवधान)

तत्काल उत्तर नहीं दें, इसका मतलब है कि जानकारी नहीं है । वे तो उत्तर देने को तैयार है लेकिन जानकारी नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिये । अगले टर्न पर जवाब मंगवाइये ।

(व्यवधान)

श्री नूरा (मनूदा) : मैं पूछना चाहता हूं थानेदारों की नियुक्ति करने में सरकार की क्या नीति है ?

श्री अध्यक्ष : You have exposed the working of the Government. अब स्थान ग्रहण करें

श्री सुरेश कुमार

भरतपुर के किसानों की सिटी फ्लड कन्ट्रोल ड्रेन में ली गई भूमि का मुआवजा

95. श्री सुरेशकुमार (भरतपुर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भरतपुर तहसील के ग्राम बछामदी, खेमरा और ठेई आदि के किसानों की सिटी फ्लड कन्ट्रोल ड्रेन के लिये जो जमीन राज्य सरकार ने ली थी उसका मुआवजा अभी तक किन कारणों से न दिया गया है ?

(2) जब एक ही प्रकार की जमीन का राज्य सरकार ने कुछ व्यक्तियों को एक हजार रुपया प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया है तो फिर उसी क्षेत्र में उसी प्रकार की जमीन के लिये दूसरे किसानों के लिये कम रेट क्यों निर्धारित की गई है ?

(श्री सुरेश कुमार)

(3) निश्चित तौर से अब कब तक बकाया किसानों को उचित रेट से मुआवजा दिये जाने के मामले तय कर दिये जायेंगे ?

सिंचाई मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) भरतपुर तहसील के सिटी फ्लड कन्ट्रोल ड्रेन में आई भूमि (सूची संलग्न अ) के मुआवजे का भुगतान 1964-65 में ही कर दिया गया था । तदुपरान्त वर्ष 1976-77 में ली गई भूमि (सूची संलग्न ब) के मुआवजे का मामला विचाराधीन है ।

(2) अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा राजस्व विभाग (भूमि अवाप्ति अधिकारी) द्वारा दिये गये अवार्ड में प्रमाणित दरों के अनुसार किया जाता है । सिंचाई विभाग का दरों के निर्धारण एवं प्रमाणीकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(3) 1964-65 में अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा उस समय की प्रमाणित दरों से कर दिया गया था । बढ़ी हुई दरों से भुगतान करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है तथा निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।

वर्ष 1976-77 में अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा इसी साल में देने का पूरा प्रयास किया जावेगा ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री सुरेश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्य प्रश्न यह था कि कुछ लोगों को ढाई सौ रुपया और साढे तीन सौ रुपया प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया गया है सन् 65 में जब कि कुछ जमीनों का एक हजार रुपया प्रति बीघा की दर से दिया गया है । यह फर्क क्यों रखा गया है । उनको भी एक हजार रुपया प्रति बीघा की दर से धनराशि क्यों नहीं दी गई ?

श्री कौशल किशोर जैन : इस सम्बन्ध में मेरा भी एक पूरक प्रश्न है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक एक का जवाब दे देने दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री तारा चन्द (रूपवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर तहसील में जो जमीन सिटी फ्लड कन्ट्रोल ड्रेन के लिए ली गई और जो ड्रेन 1964 में भरतपुर में बनाई गई उसके बनाने में यह हुआ कि जिस वक्त मानचित्र बन कर आया उसी समय एक लाख रुपया भेजा गया । रातों रात मार्च के महीने में उन लोगों को ढाई सौ रुपये प्रति बीघा की रेट से दे दिया गया । लेकिन जो रह गए थे उन्होंने पीछे इस मामले को उठाया था, उनको काफी दिनों तक कम्पेन्सेशन नहीं मिला था । उनको रेट बढ़ा कर क्यों कम्पेंसेशन दिया गया ? यह मुख्य प्रश्न है । एक ही दिन उनकी सारी जमीन एक्वायर की गई, एक ही दिन नोटिस दिया गया, जमीन भी एक सी है तो फिर वहां पर अलग अलग रेट से पैसा क्यों दिया गया ? बाद में रेट बढ़ा कर क्यों दी गई और पहले घटा कर क्यों दी गई ? यह सवाल है । या तो वही रेट दी जाती जो पहले थी अथवा दुबारा बढाई गई तो पीछे वालों को भी उतनी ही रेट दी जानी चाहिये थी जितनी कि आगे वालों को दी गई है ।

Page No 16

(16)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1964–65 में म्यूचुअल कंसेंट से तय हुआ उसके आधार पर कलेक्टर साहब ने जो अवार्ड घोषित किया है उसके अनुसार ढाई सौ और साढ़े तीन सौ रुपये प्रति बीघा के हिसाब से उनको मुआवजा दिया गया है। प्रश्न यह रहा कि एक बीघा और चार बिस्वा भूमि, जो कि उस अवार्ड में नहीं आती, के सम्बन्ध में सन् 69 में सम्बन्धित व्यक्ति ने आवेदन पत्र दिया। जब आवेदन पत्र दिया गया तो 69 की रेट के अनुसार जिलाधीश महोदय ने जो नीति निर्धारित की उसके अनुसार एक हजार रुपया प्रति बीघा के हिसाब से कम्पेन्सेशन सन् 69 में दिया गया है।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिलाधीश भरतपुर के दि. 23-7-77 के आर्डर की कापी, फोटो स्टेट कापी, मेरे पास है जिसमें यह लिखा गया है कि 1965 में भरतपुर तहसील के काश्तकारों को ढाई सौ रुपया प्रति बीघा बारानी और साढ़े तीन सौ रुपया प्रति बीघा चाही के हिसाब से मुआवजा टेम्प्रेरी रूप से दिया गया था। कोई मुआवजा फाइनल नहीं हुआ था। इसके बाद एक पत्र सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर इरिगेशन सर्किल, जयपुर का डेटेड 9-7-74 उसी संदर्भ में है, इसमें कहा गया है :

"In this connection the cultivators have been repeatedly submitting representations to this office as well as to the Collector Bharatpur for payment of compensation @ Rs. 1000/- per bigha for Chahi and Sairabi lands. They state that they did not agree to the negotiated rate stated by the Collector, but on an assurance from the concerned executive authorities that they would be paid balance amount of compensation when their representations were decided later on, they allowed the work to go on. Shri Vinay Vyas, the then Collector Bharatpur later on approved the rate of Rs. 1000/- per bigha on 28-3-1969 for similar other lands,"

"Subsequent payments have also been made to other cultivators of Noh at the rate of Rs. 1000/- per bigha".

श्री मूलचन्द डागा : And these are certified documents.

श्री सुरेशकुमार : "The concerned Tehsildar, S.D.M. Bharatpur and Collector Bharatpur have verified the Khatonies of the above areas at the rate of Rs. 1000 - per bigha for balance amount as requested by the cultivators."

जैसा कि आपने कहा कि इंजीनियर्स को इसकी पावर नहीं है, यह लैटर है मेरे पास सिंचाई विभाग का जिसमें सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने यह निवेदन किया है कि :

(श्री सुरेश कुमार)

"Further, according to schedule of powers, item No. 85 (a), the powers to sanction estimates of compensation for the lands taken over by the Government for public works and crops by negotiations, subject to the condition that the amount is certified by Land Acquisition Officer, are as under:—

Chief Engineer—

Up to Rs. 10,000/- for each individual claimant

Superintending Engineer—
Up to Rs. 1000/- for each individual claimant."

यह उनको पावर थी, उन्होंने इसकी रिकमण्डेशन की कि इनको एक हजार रुपया प्रति बीघा की रेट से मुआवजा दिया जाय। उस जमाने में भी तहसील के अन्दर जितनी रजिस्ट्रियां हुई वे सब पन्द्रह सो रुपया प्रति बीघा की हुई थीं। इससे स्पष्ट है कि उस जमीन का मुआवजा एक हजार रुपया प्रति बीघा के हिसाब से दिया जाना चाहिए था। मैं, मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि वे इस बात को छुपा क्यों रहे हैं? बाद में जो एक हजार रुपया प्रति बीघा के हिसाब से कम्पेन्सेशन दिया गया उसका कारण क्या था?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, लैंड एक्वीजीशन ऑफिसर, कलेक्टर का आर्डर है जिसको मैं आपके समक्ष पढ़ कर सुनाता हूं :

"To

The Secretary to the Government of Rajasthan,
Department of Irrigation,
Jaipur.

Subject.—Land acquisiion by mutual negotiations for Singhawali Flood Scheme in Roopbas Tehsil and City Flood Control drain in Bharatpur Tehsil.

Land for the above two works has to be acquired emergently in the public interest as these schemes pertain to flood control, and are aimed at saving vast devastation which is expected almost every year."

श्री रघुनाथ विश्नोई : पढ़ने की क्या जरूरत है?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : "On request of Sub-Divisional Magistrate and Tehsildar, cultivators of the respective villages have agreed to accept compensation by mutual negotiations @ Rs. 190/- per bigha for Sairabi and Rs. 300/- per bigha for Chahi in case of Singhawali Project and @ Rs. 250/- per bigha for Sairabi and Rs. 350/- per bigha for Chahi in case of City flood drain.

"The rates conform to the prevalent market rates in the neighbouring area and seem to be

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

reasonable, and have been agreed to by the Executive Engineer, Irrigation Division, Bharatpur. The total amount of compensation will come to Rs. 78,000.50 in the case of Singhawali Project and Rs. 2,30,970.00 in case of City flood drain."

"I shall feel obliged if Government approval for disbursement of the above amount is accorded immediately so that funds available may be utilised in this financial year itself and the work be started at once.

Khatonies of the area are enclosed for a reference,

Collector Bharatpur."

(व्यवधान)

पहले सुन लें। यह 12-3-65 का है। 64-65 में सारी भूमि लेने के बाद उसके अनुसार सारा मुआवजा दे दिया गया। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करूं कि जैसा अभी मैंने बताया, केवल एक बीघा और चार बिस्वा का मामला रह गया था उसको एक हजार रुपया के हिसाब से मुआवजा 1969 में स्वीकार किया गया लैंड एक्वीजिशन आफिसर के आर्डर से। जब य हु ा तो प्रश्न समानता का आकर खड़ा हो गया। उसके आधार पर उस गांव के लोगो ने रिप्रेजेन्टेशन किया कि हमको मुआवजा ढाई सौ और तीन सौ रुपया प्रति बीघा के हिसाब से दिया है जब कि दूसरे को एक हजार रुपये के हिसाब से दिया है इसलिए हमको भी एक हजार रुपये के हिसाब से दिया जाय। जब इस प्रकार रिप्रेजेन्टेशन ए तो यह सारा मामला हमारे विचाराधीन है कि ऐसा कौन-सा राजनैतिक दबाव था जिसके कारण यह किया गया? यह फाइल देखने के बाद, इन्क्वायरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि कौन से कारण थे, कौन मंत्री थे, केन्द्र या राज्य के, जिनके दबाव में आकर यह निर्णय किया गया और उस गांव के बाकी लोगों को एक हजार के हिसाब से भुगतान कर दिया गया। दूसरे गांवों के लोग भी इसकी मांग कर रहे हैं। एक्चुअल इश्यू यह है कि भरतपुर के लैंड एक्वीजिशन आफिसर के आर्डर से पहले निर्णय दे दिया गया और मुआवजा भी दे दिया गया। उसके बाद सारे नियमों को ताक में रख कर किस प्रकार यह एक हजार रुपये के हिसाब से मुआवजा दिया गया, यह सारा मामला विचाराधीन है। इस पर निर्णय लिया जायेगा, इसकी पूरी इन्क्वायरी की जाएगी and guilty persons will be taken to task.

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि यह क्यों दिया गया, किस कारण से दिया गया और किस राजनैतिक दबाव से दिया गया है। प्रश्न यह है कि जो ज्यादा रेट दी गई वह किस कारण से दी गई जब कि पहले किसानों की रेट कम दी जा रही थी? अगर इसमें किसी किस्म का राजनैतिक दबाव भी हो तो कोई बुराई नहीं है। जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया कि...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसकी भी जानकारी करेंगे।

श्री सुरेश कुमार : आज वहां पर किसान एजीटेशन कर रहे हैं, फ्लड कन्ट्रोल के लिये भरतपुर में सिंचाई विभाग का जो काम चल रहा है उसको चलने नहीं दिया जा रहा है। अगर यही हालत रहें, लोगों को कम्पेन्सेशन उचित दर से नहीं दिया गया तो मुझे डर है कि यह शासन जो अभी 5 करोड़ 20 लाख रुपये भरतपुर फ्लड कण्ट्रोल के काम पर खर्च कर रहा है, किसान उस काम को चलने नहीं देंगे, इसकी मुझे चिन्ता है। पहले भी मैंने तत्कालीन सिंचाई मंत्री जी से इस बारे में कहा था। उन्होंने मामले की गहराई में जाने की कोशिश की तो वे इतनी गहराई में चले गए कि सिंचाई विभाग से ही चले गए। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को इतना लाइटली नहीं लिया जाय। यह बड़ा अहम प्रश्न है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक दिन के अन्दर इसका फैसला करें ताकि आगे का काम चल सके।

श्री अध्यक्ष : मुझे विश्वास है कि आपको सन्तोष होगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जांच किस की कर रहे हैं? ज्यादा कम्पेन्सेशन क्यों दिया, इसकी जांच कर रहे हैं?

श्री सुरेश कुमार : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि गांव वालों की सहमति से ढाई सौ और साढ़े तीन सौ रुपया प्रति बीघा कम्पेन्सेशन तय किया, यह गलत है। किसान सन् 1965 में ही एक हजार रुपये प्रति बीघा की मांग कर रहे थे जो उनकी वाजिब मांग थी। उनको एक हजार रुपये के हिसाब से मुआवजा दिया जाय, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार की नीति क्या है?

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, यह मुआवजे का महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनका पांच-पांच साल से मुआवजा नहीं चुकाया गया है। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि इन सभी योजनाओं का मुआवजा शीघ्र दिया जाएगा?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री बंशीलाल सारस्वत : एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री रावत राम।

तहसील सुजानगढ़ के गांवों की जलप्रदाय योजना

96. **श्री रावतराम** (सुजानगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ तहसील के गांव मूंदड़ा, मालीणा, गड़ोप तेलपा, बागसरा, आबूंगन, करजेड़ा आदि के लिये जल प्रदाय योजना स्वीकृत हो चुकी है? यदि हां, तो कब और इसकी अनुमानित लागत क्या है?

(2) उक्त योजना के लिये वाटर सोर्स कहां से लिया है? क्या कानोता के पास जो ट्यूब वैल है उसे वाटर सोर्स नहीं बनाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(20)

(श्री रावतराम)

(3) उक्त योजना पर कार्य कब तक चालू हो जाएगा ?

राज्य मंत्री, जल प्रदाय (श्री महबूब अली) : (1) ग्राम मूंदड़ा, मासीना, गड़ोप एवं बागसर ग्राथूंगन को क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना मासीना फेज प्रथम में सम्मिलित किया गया है जिसकी स्वीकृति 1976-77 में की गई है जिसकी अनुमानित लागत 11.92 लाख रुपये है।

(2) स्वीकृत योजना में वाटर सोर्स भू-जल विभाग की सिफारिश पर ग्राम मूंदड़ा में लिया गया था। लेकिन मूंदड़ा में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध न होने की संभावना के कारण अब कानोता के पास वाला नल कूप वाटर सोर्स रखा जाएगा तथा इसी से संशोधित योजना बनाई जा रही है।

(3) इस योजना का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 1976-77 में इस योजना पर 1.00 लाख रुपये खर्च किया जा चुका है। वर्ष 1977-78 के लिए 0.38 लाख रुपये आवंटित है। इसी वर्ष ग्राम मूंदड़ा को स्थानीय कुए से पानी देने का लक्ष्य है।

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि यह योजना 1976-77 में स्वीकृत की है। यह भी कहा कि 1976-77 में इसके लिए एक लाख रुपये खर्च किया जा चुका है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह पैसा किस काम में खर्च किया गया है ?

श्री महबूब अली : वाटर सोर्स उपलब्ध कराने के लिये भू-जल बोर्ड को राशि जमा करायी जाती है जो स्कीम बनाते हैं, उसके पहले वाटर सोर्स मालूम करते हैं, इसलिये भू-जल बोर्ड को पैसा जमा करके वहां का वाटर सोर्स मालूम किया गया। उन्होंने यह कहा है कि यहां पर वाटर सोर्स उतना नहीं है इसलिये कानोता के पास वाला वाटर सोर्स रखा जाय। इसके अन्दर एक लाख रुपया खर्च हो चुका है और 0.38 लाख रुपया इसके लिये और आवंटित है। कानोता में जो सोर्स होगा उस पर स्कीम बनाई जाएगी।

श्री रावतराम : कानोता गांव में जो ट्यूब वैल है उसको आपके विभाग ने टेकअप कर लिया है तो क्या उससे आप पानी देंगे?

श्री महबूब अली : कानोता के ट्यूब वैल से पानी लिया जाएगा।

श्री रावतराम : कलेक्टर के दफ्तर में एक मीटिंग हुई थी। उस एरिया में आपके विभाग के जो इन्जीनियर्स हैं, उन्होंने कहा कि वे इस ट्यूब वैल को नहीं ले सकते हैं क्योंकि यह दूर पड़ता है। क्या नया ट्यूब वैल बनाने के लिए रकम दी गयी है ?

श्री महबूब अली : कानोता का जो ट्यूब वैल है, उसके लिए फैसला कर लिया गया है और उसकी स्कीम बनाई जा रही हैं।

श्री रावतराम : इस योजना में कितने गांव शामिल हैं ? क्या उन गांवों को पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा ?

श्री महबूब अली : इसमें सात गांव शामिल हैं। मूंदड़ा, मूंदड़ा बास, तेलाप, हुमतेलपा, बांसीता, टेडाव, अथूंना।....

Page No 21

(21)

श्री रावतराम : तो यह मानकर चलें यह योजना कानोता के ट्यूब वेल से होगी और इसे वाटर सोर्स मानकर आपने ले लिया है ? इस साल में काम शुरू हो जाएगा ?

श्री महबूब अली : बिलकुल।

श्री रावतराम : यह जो जो गांव आपने बताये हैं वहां पर जहरीला और खारा पानी है। हजारों आदमी उसके कारण मर गये हैं। 1976-77 में इस योजना को स्वीकृत किया गया था। अभी तक इस योजना पर काम नहीं हुआ। आपके डिपार्टमेंट में इतनी ढिलाई क्यों है ? क्या आप इसकी जांच करवाएंगे ? 1976-77 में इस योजना को स्वीकृत किया गया था। तीन साल तक काम शुरू नहीं हुआ, इसका कारण क्या है ?

श्री महबूब अली : वाटर सोर्स नहीं मालूम पड़ा। जो वाटर सोर्स मिला उसके अन्दर उतना पानी उपलब्ध नहीं था। इसलिए इस स्कीम के अन्दर देरी हुई है। हालांकि कानोता का ट्यूब वेल 4-5 किलोमीटर दूर है...

श्री हरजीराम बुरडक : तो क्या आपने यह निश्चित कर लिया है कि वहां पर इतना पानी है कि इन गांवों को पानी सप्लाई हो सकेगा ?

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, सुजानगढ़ नगर का पिछले साल आधा हिस्सा डूब गया था। वहां पर पानी भरा हुआ है। अगले साल सुजानगढ़ न डूबे इसके लिए क्या कोई समुचित व्यवस्था की गई है या नहीं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अगले साल सुजानगढ़ डूबने की स्थिति में है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

श्री रावतराम : मेरा प्रश्न यह है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

सांचौर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चीतलवाना डिस्पेन्सरी के पुराने भवनों की मरम्मत

97. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांचौर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पुराने भवन एवं चीतलवाना डिस्पेन्सरी भवन की राज्य सरकार द्वारा विशेष मरम्मत नहीं कराई गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अगर उक्त भवनों की शीघ्र विशेष मरम्मत वर्षा से पहिले नहीं करवाई गई तो उक्त भवन गिर जावेंगे एवं राज्य सरकार का लाखों रुपयों का नुकसान होगा ? यदि हां, तो उक्त दोनों भवनों की विशेष मरम्मत कब तक तखमीना बनवा कर राज्य सरकार द्वारा करवा दी जावेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि सांचौर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का अहाता का निर्माण अभी तक पूर्णरूपेण नहीं करवाया गया है ?

Page No 22

(22)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भवन के आसपास अहाता नहीं होने से लोगों द्वारा अस्पताल भवन की जमीन पर नाजायज कब्जे किये जा रहे हैं? यदि हां, तो नाजायज कब्जों को रोकने के लिए अस्पताल की जमीन के चारों तरफ अहाते का निर्माण कितने रुपयों में कब तक राज्य सरकार द्वारा करवा दिया जावेगा?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री त्रिलोक चन्द जैन): (1) जी नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांचौर एवं डिस्पेन्सरी चीतलवाना के भवनों की मरम्मत आवश्यकतानुसार कराई जाती रही है।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुनाथ विश्नोई: अध्यक्ष महोदय, वहां पर स्टेट टाइम की बिल्डिंग में डिस्पेन्सरी चल रही है। उसकी दीवार गिरी हुई है और क्वार्टर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। उनका तखमीना बनवा कर रिपेयर कराने की व्यवस्था करायी जाए अन्यथा गिर जाएगी और गवर्नमेन्ट को लाखों रुपयों का नुकसान होगा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता: इस वित्तीय वर्ष में कितना खर्च हुआ? क्या डिपार्टमेंट खर्च नहीं कर पा रहा है?

श्री त्रिलोक चन्द जैन: अध्यक्ष महोदय इस बिल्डिंग की बराबर मरम्मत कराई जाती रही है। 1976-77 में 4000/- रुपये और इसके बाद 500/- रुपये उस पर खर्च किए गए हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि स्थिति खराब है। जो जांच रिपोर्ट है उसके अनुसार ऐसी स्थिति नहीं है कि वह गिरने वाली है। उसकी मरम्मत हुई है। फिर भी माननीय सदस्य ने यह अनुमान लगाया हो कि दीवार अगले साल गिर जायेगी तो इसकी जांच और करवा ली जाएगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई: दीवार वहां पर गिरी हुई है, आप इसकी जांच करवा लें। मैंने जो कुछ कहा है, यह तथ्य है। इसकी आप जांच करा लें। आप जो सूचना दे रहे हैं, वह सही है या मैंने जो सूचना दी है, वह सही है, यह मालूम हो जायेगा।

श्री त्रिलोक चन्द जैन: इसकी अवश्य जांच करवा ली जाएगी।

श्री अध्यक्ष: श्री माधोसिंह।

व्यापारिक संस्थान शिवरोड

98. **श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा):** क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि शिवरोड पर कई वर्षों से व्यापारिक संस्थान व दुकानें हैं? अगर हां, तो नगर सुधार न्यास ऋण के लिए एन. ओ. सी. क्यों नहीं प्रदान करती है?

(2) क्या राज्य सरकार इस प्रकार ओल्ड स्टाइलिस्ट मार्केट पर नागरिकों को व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने से वंचित करना पसंद करेगी? अगर हां, तो क्या अनेक प्रिन्टिंग प्रेस व आटा चक्की वालों को पूर्णतया स्थापित बाजारों से निकाला जाएगा और रोजगार नहीं करने दिया जाएगा?

राज्य मंत्री नगर आयोजना (श्री विज्ञान मोदी) : (1) जी हां। नगर सुधार न्यास ऋण के लिए एन. ओ. सी. व्यवसायिक क्षेत्रों में स्थित दुकानों एवं संस्थानों को ही देता है जो नगर के मास्टर प्लान के अन्तर्गत घोषित किए गए हैं।

(2) जी नहीं।

श्री माधोसिंह कछवाह : क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि जोधपुर शिव रोड पर जहां यह मार्केट है वहां पर कई ऋण-दाताओं को यू. आई. टी. के चेयरमैन ने एन. ओ. सी. देने से मना किया है और इसलिए उनको ऋण नहीं मिल सका है इसकी जानकारी आपको है? अगर है, तो आप इसके लिए भविष्य में क्या करना चाहते हैं? ऐसा हुआ है, तो क्यों हुआ है?

श्री विज्ञान मोदी : अध्यक्ष महोदय, शिवरोड रातानाड़ा जोधपुर में व्यवसायिक दुकानें हैं। वह जोधपुर नगर के मास्टर प्लान में नहीं हैं। मास्टर प्लान में नहीं होने की वजह से यू. आई. टी. एन. ओ. सी. नहीं दे सकता है। जहां पर व्यवसायिक क्षेत्र घोषित किए गये हैं, उनका डिटेल्ड प्लान बनाने पर विचार किया जा रहा है लेकिन टैक्निकल कर्मचारियों के अभाव के कारण इसमें समय लगना संभव है। जहां तक शिव रोड की व्यवसायिक दुकानों का मामला है, चूंकि ये ओल्ड स्टाइलिस्ट दुकानें हैं, मार्केट होने की वजह से बड़ी बड़ी फेक्ट्री में न्यूसेंस क्रिएट होती है इसलिये वहां पर जनहित में एन. ओ. सी. नहीं दिया जाता है। परन्तु व्यवहारिक दृष्टिकोण को मद्दे नजर रखते हुए रेजीडेन्शियल कालोनी में आटा चक्की होना जरूरी है, उसी तरह से इस मामले के औचित्य पर विचार किया जा रहा है। माननीय सदस्य की मूल भावना को समझते हुए वहां के प्रिन्टिंग प्रेस को एन. ओ. सी. दे दिया जाये इसके लिए राज्य सरकार नगर सुधार न्यास जोधपुर को निर्देश दे रही है कि नगर नियोजक से बातचीत कर नियमानुसार इनको एन. ओ. सी. जारी कर दें।

श्री माधोसिंह कछवाह : अध्यक्ष महोदय, शिव रोड पर व्यवसाय करने के लिये ऋण का अधिकार माना गया है, उस मार्केट में बिल्डिंग बनाने के लिये लोन के लिये अप्लाई किया था। मेरा प्रश्न था, क्या बिल्डिंग के लिए जोधपुर के जिलाधीश, जो नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष हैं, ने एन. ओ. सी. नहीं दिया है? यदि नहीं दिया गया तो क्या उसके बारे में पुनर्विचार करेंगे?

श्री विज्ञान मोदी : राज्य सरकार नगर सुधार न्यास को निर्देश जारी कर रही है कि वहां के नगर नियोजक की राय लेकर कार्यवाही करने के लिए विचार करे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री गुल मोहम्मद : एक व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्नावली है, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न पीछे डाल दिये जाते हैं। मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पीछे डाल दिया गया है। इसमें 31 क्वेश्चन हैं। जब से असेम्बली चली है, 31 क्वेश्चन कभी पूरे नहीं किये गये हैं। आज भी 15 प्रश्न ही हुए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न पीछे रख दिये जाते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं, जल्दी आते हैं। अगर हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता है, तो प्रश्न देने से

(श्री गुल मोहम्मद)

क्या फायदा होगा ? इसलिये हमारा प्रश्न स्थगित किया जाये। 109 नम्बर का प्रश्न है यह स्थगित किया जाये : इससे सरकार को लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को शेष प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त भी आपको अगर कोई विशेष समस्या है तो मुझ से मेरे कक्ष में आकर बात कर लें।

श्री मूलचन्द डागा : शिकायत तो हमें हो सकती है, इनको क्या हो सकती है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए मैरिट फार्मूला

83. श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए मैरिट फार्मूले पर पुनर्विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक इस पर निर्णय ले लिया जाकर अमल में लाया जावेगा ?

उत्तर

जी हां, निर्णय लिया जा चुका है। मैरिट फार्मूला राज-पत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा।

समाज कल्याण में रोस्टर प्रणाली

85. श्री सूर्य प्रकाश (खेरवाड़ा): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या समाज कल्याण विभाग में रोस्टर प्रणाली प्रारम्भ की गई है ? यदि नहीं की गई है तो किन कारणों से एवं क्यों ? यदि की गई है तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है ?

सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या समाज कल्याण विभाग में वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर ही पदोन्नति की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या समाज कल्याण विभाग में जो स्क्रिनिंग की गई है, वह सही है ?

उत्तर

(1) जी हां। समाज कल्याण विभाग में रोस्टर प्रणाली लागू है और इसी के अनुसार कार्यवाही की जाती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों को क्रमशः विभिन्न सेवाओं में जो पदोन्नतियां नियमानुसार दी गई हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) संबंधित सेवा नियमों में प्रावधान के अनुसार पदोन्नतियां वरिष्ठता एवं योग्यता तथा केवल योग्यता दोनों ही आधार ई हैं।

(समाज कल्याण मंत्री)

(3) विभाग में स्क्रीनिंग राज्य सेवा व अधीनस्थ सेवा के लिए संबंधित सेवा के नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

समाचार-पत्रों का विज्ञापन

88. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में विभिन्न समाचार-पत्रों को विभिन्न श्रेणियों में तय करने के लिये राज्य सरकार ने कितने सदस्यों की समिति बनाई है?

(2) इस समिति के कौन-कौन सदस्य हैं? उनकी क्या-क्या योग्यताएं हैं? इस समिति के सदस्य होने के लिये विभागीय मापदण्ड क्या है?

(3) 1 जुलाई, 77 से 1 फरवरी 78 के दरमियान सबसे अधिक विज्ञापन किस पत्र को दिये गये? विज्ञापन देते समय किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है?

उत्तर

(1) समाचार-पत्रों के अनुमोदन एवं वर्गीकरण की सलाह के लिये 10 सदस्यों की एक समिति गठित की हुई है।

(2) इस समिति में निम्न सदस्य हैं :-

1. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग —अध्यक्ष
2. श्री काशीनाथ गुप्ता (अध्यक्ष राजस्थान पत्रकार परिषद्) —सदस्य
3. श्री पदम मेहता (सम्पादक जलते दीप, दै. जोधपुर) —सदस्य
4. श्री चन्द्रेश व्यास (सम्पादक जय राजस्थान, दै. उदयपुर) —सदस्य
5. श्री भंवर शर्मा (सम्पादक, अमर राजस्थान, दै. जयपुर) —सदस्य
6. श्री मदन मदिर (सम्पादक दकाल, सा. बूंदी) —सदस्य
7. श्री नंदकिशोर आचार्य (सम्पादक, मरुदीप, सा. बीकानेर) —सदस्य
8. श्री प्रकाश जैन, (सम्पादक लहर मा. अजमेर) —सदस्य
9. श्री माधव शर्मा (प्रधान सम्पादक, लोकमंच समाचार, पाक्षिक, चूरू) —सदस्य
10. संयुक्त निदेशक, जन सम्पर्क विभाग —सदस्य सचिव।

सामान्यतया पत्रकारिता के क्षेत्र में योग्य एवं अनुभवी पत्रकारों को समिति का सदस्य मनोनीत किया जाता है। इसके अलावा यह भी ध्यान में रखा जाता है कि पत्रकार सदस्यों की सीमित संख्या के अनुरूप सभी नियतकालिता के पत्रों का प्रतिनिधित्व हो सके और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के पत्रकार सम्मिलित किये जा सकें।

(3) एक जुलाई, 1977 से एक फरवरी, 1978 के दरमियान जन सम्पर्क विभाग द्वारा दैनिक राजस्थान पत्रिका को सबसे अधिक विज्ञापन दिया गया है। सामान्यतया स्वीकृत पत्रों को विज्ञापन देते समय जिस विभाग का विज्ञापन प्रकाशन हेतु प्राप्त होता है उस विभाग की इच्छा, पत्र की प्रसार संख्या एवं प्रभाव, विज्ञापन की उपयोगिता को ध्यान में रखा जाता है।

राजस्थान महिला परिषद् माध्यमिक विद्यालय उदयपुर

92. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान महिला परिषद् माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर को राज्य सरकार ने आपातकाल के पूर्व अपने अधिकार में क्यों लिया ?

(2) यदि इस विद्यालय की भारी अनियमितता के कारण राज्य सरकार ने लिया, तो इसे वर्तमान सरकार के आने के पश्चात् पुनः क्यों लौटाया ?

(3) क्या यह सही है कि महिला परिषद् की संचालिका श्रीमती शांता त्रिवेदी जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री परस राम जी त्रिवेदी की पत्नी होने के कारण ही यह विद्यालय उन्हें पुनः लौटा दिया गया एवं उन्हें 500/–रु. महीना वेतन देना भी राज्य सरकार ने शुरू किया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं। संस्था को राज्याधीन नहीं लिया गया अपितु व्यवस्थित रूप से चलाने हेतु जून, 1972 से प्रशासक नियुक्त किया गया था और अब भी प्रशासक श्री शान्तिलाल खाशगीवाला चला रहे हैं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक अब भी कार्यरत हैं। श्रीमती शांता देवी को 500)रु. माहवार मानदेय उनके व्यवस्था सचिव के पद पर कार्य करने के कारण दिया जाता था। बाद में उनके विरुद्ध फौजदारी मामले चलने के कारण मानदेय बन्द कर दिया गया था।

न्यायालय से फौजदारी मामले समाप्त होने पर दिनांक 2–12–76 से पुनः मानदेय चालू कर दिया गया।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री प्रतापसिंह मकासर, सदस्य विधान सभा की ओर से पिछले कई महीनों से राजस्थान के बन्दी गृहों में लगातार किसी न किसी में भूख हड़ताल चल रही है और जयपुर कारागृह में स्थिति विस्फोटक बनी हुई है, इस विषय में।

(2) श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से 5 दिन पूर्व ग्राम पांचला, तहसील सांचोर में नव निर्वाचित सरपंच श्री उगमसिंह पर असामाजिक तत्वों द्वारा कातिलाना हमला किये जाने के विषय में।

(3) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से सम्पूर्ण राजस्थान में अपनी मांगों को लेकर वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के विषय में।

इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास जानकारी के लिए भेजा जा रहा है और

Page No 27

(27)

(श्री अध्यक्ष)

जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

स्थगन प्रस्तावों पर माननीय सदस्य..

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री श्योपतसिंह मकासर : थोड़ा सा बोल लूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : (मुख्य मंत्री) : आपके पास सूचना आ जाये, उस समय बोल लें।

श्री अध्यक्ष : यह परम्परा अच्छी रहेगी। सरकार का जवाब आ जाये तो बोल लें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दो मिनट में अपने विचार रख दें।

श्री अध्यक्ष : जैसी आपकी इच्छा।

श्री जयकृष्ण शर्मा : हाउस की यह परम्परा रही है कि जो माननीय सदस्य के पास जानकारी है, वह रख दें

श्री अध्यक्ष : अच्छा, दो दो मिनट बोल लें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा होगी तब होगी। जवाब आयेगा या नहीं आयेगा। मुझे निवेदन करना है और मेरा विश्वास है कि सत्ता पक्ष में बैठने वालों में से अधिकांश लोगों के 19–19 महीने जेलों में गुजरे हैं। जेल में कैदियों द्वारा जिस प्रकार से उनको सहयोग मिलता रहा, वह उन्हें मालूम है। हमने लगातार कैदी बन्धुओं से वायदा किया था। जनता पार्टी की सरकार बने 8 महीने गुजर चुके हैं। इन महीनों में राजस्थान के हर बन्दी गृह में मांगों को लेकर हड़ताल होती रही है। भूख हड़ताल हुई है। लाठी चार्ज हुआ है। बहुत ही भयंकर घटनाएं होती रही हैं। इससे पहले भी सदन में हम बैठे थे। उस वक्त भी जेलों के बारे में, बन्दी-गृहों के बारे में, उनमें सुधार करने के बारे में हमने चर्चा की थी। हमारे पड़ोसी राज्यों में और दूसरे राज्यों में जनता पार्टी की सरकार ने बन्दी गृहों पर विशेष ध्यान दिया है। मगर खेद का विषय है कि राजस्थान की जनता पार्टी सरकार ने बन्दीगृहों में सुधार करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। बन्दियों ने जो उम्मीद की थी, उस उम्मीद को पूरा नहीं किया है। उसको एक नेग्लेक्टेड पार्ट बना दिया है। मेरा ख्याल है, सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों को, सत्तापक्ष के लोगों को तो शायद दुबारा जेल में जाने का मौका नहीं मिले लेकिन मैं भयग्रस्त हूं, अगर दुबारा मुझे जेल जाने का मौका मिला तो बन्दी मुझे छोड़ेंगे नहीं। कुछ दिनों पहले मैं अजमेर जेल में गया था। मैंने बन्दियों से बात की है। हम भी जेलों में रहे हैं। लेकिन अब दो महीने के बाद मिलाई की बात जेलों में रखी जा रही है। 15 दिन के बाद हमको मिलने का मौका मिलता था। जो बन्दी 20–20 साल की सजा काट रहे हैं उनके मिलने के लिए दो महीने बाद का समय रख रहे हैं। अभी तक एक सप्ताह के अन्दर मिलाई हुआ करती थी, वह दो महीने कर दी गई है। ऐसी क्या बगावत हो रही है ? जिस आदमी को सजा दे दी उसको यह अधिकार है। उन लोगों ने लगातार लड़ कर जो अधिकार, कांग्रेस की हुकूमत में प्राप्त किये हैं, वह

(श्री श्योपत सिंह मकासर)
जनता पार्टी की सरकार छीन रही है। इस पर सरकार सोचें।

दूसरी बात ऐसा अधिकारी सेण्ट्रल जेल में सुपरिण्टेण्डेण्ट था जिसका किसी कैदी के साथ बुरा व्यवहार नहीं था। वह सुपरिण्टेण्डेंट, जो मीसा के अन्दर था, आज डायबिटीज का शिकार है और परेशान है। उसने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं उसे व्यक्तिगत तौर से जानता हूं। एक तो मर चुका है और बाकी भी मरने की हालत में है, इसलिए जिन अधिकारियों का व्यवहार हमने देखा है, उनके विरुद्ध कार्यवाही चालू रहे तो उनकी इमदाद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। दूसरी बात जो अधिकारी उदयपुर जेल में था, बहुत से साथी जानते हैं, सेन्ट्रल जेल का वह सुपरिन्टेन्डेन्ट था अंसारी, वह ऐसा था जिसने रियायतें बंदियों तक नहीं पहुंचने दीं। आज वही आदमी सबसे ऊंचे पद पर है, उस आदमी के खिलाफ सबसे भयंकर असन्तोष है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। गृह मंत्रीजी के पास वह विभाग है लेकिन उनको तजुर्बा नहीं है, वे कभी जेलों में नहीं रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप विशेष तौर से जेलों की हालत को सुधारने का प्रयत्न कीजिये, मेरा निवेदन है, कैदियों को मजदूरी दी जानी चाहिए। जेल एक इण्डस्ट्री है। वहां पर बहुत अच्छे लोग हैं। यह अलग बात है कि वह समाज के अपराधी हैं लेकिन इसके लिए केवल वही लोग जिम्मेदार नहीं हैं। समाज ने ही उन्हें अपराधी बनाया है। उनकी शक्ति को यूटिलाइज करना चाहिए। इण्डस्ट्री के तौर पर किस प्रकार से उनका उपयोग किया जा सकता है, इस पर विचार करना चाहिए उनकी मांगों के लिए कमेटी बनायी जानी चाहिये जो यह देखे। वह पड़ोसी सूबों के अन्दर भी जावे और यह देखे कि वहां पर क्या सुधार किये गये हैं। जल्दी से जल्दी उन बन्दियों की आवाज को सुना जाय जो ऊंची दीवारों और तन्हाइयों में बन्द हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक ही माननीय सदस्य बोल सकेंगे। बाकी को मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री भैरों सिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कैदियों के सम्बन्ध में अपने सेन्टीमेन्ट्स व्यक्त किये हैं, उन कैदियों के साथ मेरी भी बहुत सहानुभूति है। माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि उन्होंने जेलों में रहकर कैदियों की समस्याओं को देखा है, कैदियों का हमारे साथ पूरा सहयोग रहा, इस बात से मैं भी इन्कार नहीं कर सकता। इसलिए 1898 में जो जेल मेन्युअल बना था उस जेल मेन्युअल में क्या सुधार किया जा सकता है? कैदियों के हित में और जेल प्रशासन की दृष्टि से मैंने जेल मेन्युअल को रिवाइज करने का आदेश दे दिया है। इस सिलसिले में माननीय सदस्य कोई सुझाव देना चाहेंगे तो मैं सबको पत्र भेजकर उनके सुझाव मांगूंगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : कमेटी बनाकर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कमेटी बनाने की आवश्यकता हुई तो उस पर भी विचार करेंगे। एक जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट को इमर्जेन्सी के दिनों में मीसा में गिरफ्तार किया गया उस सम्बन्ध में माननीय सदस्य की सहानुभूति है तो मेरी भी सहानुभूति है। मैंने उसका जिस प्रकार का व्यवहार देखा है, मुझे उससे शिकायत नहीं है। हम लोग जेलों में थे और उनको मीसा में गिरफ्तार किया गया था, मैंने सारा विवरण इस सम्बन्ध में मंगाया है। मैं फाइल देख रहा हूं, गुजरात और बाहर के स्थानों से भी जानकारी कर रहा हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी प्रकार से कोई प्रिजुडिस होकर निर्णय नहीं लिया जायगा, जो भी न्यायसंगत होगा वह निर्णय लिया जायगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : गंगानगर जिले के भी·····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां सभी जगह के देखेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया था। 60 हजार सैनिकों ने फील्ड एक्सरसाइज की थी, सड़कों को तोड़ दिया, इन्सानों के घरों को नुकसान पहुंचाया। इसके पहले भी मैंने जिक्र किया था और माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया था कि भारत सरकार से इस सिलसिले में बातचीत करके कुछ निराकरण निकालेंगे और सड़कों को रिपेयर के लिए डिफेंस से या अपने विभाग से पैसा दिलवायेंगे। उसके बारे में मैं चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी प्रकाश डालें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, इसी प्रकार का मामला लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी उठाया था। इस सारे मामले की फाइल मंगवा ली है और भारत सरकार से बात-चीत चल रही है। शायद आज और कल इस सारे मामले को लेकर डिफेन्स मिनिस्टिर से या डिफेन्स सेक्रेटरी से बात करूंगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : गंगानगर के इलाके में भी···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन सारे प्रश्नों पर आज या कल बातचीत करूंगा। जो किसानों को राहत दी जा सकती है उसके बारे में चिन्ता मेरे को भी है, मेरी भी सहानुभूति है, मेरे से जितना प्रयास हो सकेगा, निश्चित रूप से करूंगा।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो फायरिंग होती है····

श्री मोहम्मद जहूर (कामां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव कामां थाने के बारे में दिया था जिसमें पचास-साठ लोगों को मार-पीट के बाद छोड़ दिया गया।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्थगन प्रस्ताव मिला था और माननीय सदस्य का पत्र भी मिला था। मगर इसको शिकायत के रूप में लेना है तो इसको एन्टीकरप्शन में दे दिया जाय।

Page No 30

(30)

श्री मोहम्मद जहूर : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से ढील बरती गई तो क्या होगा ? लोगों ने अपने जेवर और जमीन बेच दी और उनके साथ अत्याचार हुआ है, इसलिए जो भी दोषी अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर किया जाय या उनको सस्पेण्ड किया जाय, तभी इसकी इन्क्वायरी हो सकती है।

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय,बड़ा गम्भीर मामला है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, कामां से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है वह चार दिन पहले से मंत्री महोदय के पास गया हुआ है। उन्होंने बात भी की लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब यह कह रहे हैं कि इसको एन्टीकरप्शन में दे रहे हैं। इनको जवाब देना चाहिए। इससे सारे फेक्ट्स सामने नहीं आने वाले हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, 60 हजार की रिश्वत का मामला है।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : गृह मंत्री जी ने अपनी बला मुख्य मंत्रीजी पर टाल दी है, एन्टी-करप्शन विभाग मुख्य मंत्रीजी के पास है, थानेदार के खिलाफ शिकायत है तो उच्च अधिकारियों से इसकी जांच कराई जानी चाहिए, थानेदार को सस्पेण्ड करना चाहिए यह हमारी मांग है, वरना यह असेम्बली का मखौल है, वह घूस मांग रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय ने जयपुर से एस. पी. साहब को फोन किया लेकिन एस. पी. साहब ने कहा कि मैं विधायक से फोन पर बात नहीं करता। उनको अगर बात करनी हो किसी भी केस के बारे में तो अलवर आकर बात करें। अध्यक्ष महोदय एक विधायक जन प्रतिनिधि है उसकी इस तरह से बेइज्जती करके अलवर के एस. पी. ने विधायकों के प्रिविलेज का हनन किया है। इसके लिए उन एस. पी. साहब के खिलाफ में कार्यवाही की जानी चाहिये। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। लोगों से 60–60 हजार रुपये ले लिये जाते हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब इसके लिए गृह मंत्री जी के पास आकर शिकायत करते हैं तो वह अपने गले का फन्दा मुख्य मंत्री जी के गले में डाल देते हैं। मुख्य मंत्री जी के पास कोई जाता है तो वह गृह मंत्रीजी के पास जाने को कहते हैं। इस प्रकार किसी भी केस में कोई न्याय नहीं मिल पाता है। यह केस मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी के मखौल के कारण उलझता ही जा रहा है। मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी का इस प्रकार का खेल उचित नही है।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जब एक माननीय सदस्य किसी भी अधिकारी पर आरोप लगाता है तो कम से कम मुख्य मंत्री जी को फौरन ही उस दोषी अधिकारी को सस्पेन्ड करके उसके खिलाफ में जांच करनी चाहिए। अगर इसी प्रकार की हरकतें राज्य

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

सरकार की रही तो मैं समझता हूं कि जनता में हमारी सरकार का कोई भी विश्वास नहीं रहेगा। और जो आज जनता हमारे ऊपर करोड़ों रुपये खर्च रही है उस सभी पर पानी फिर जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। एक-एक सदस्य बोलें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि कामां क्षेत्र के जो विधायक हैं, उन्होंने जो मसला हाउस में रखा है उसकी तुरन्त जांच की जानी चाहिए। यह जो गृह मंत्री जी ने एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट से जांच करने की बात कही है उससे काम नहीं चलने वाला है। आपको तुरन्त उस थानेदार को सस्पेण्ड करके इसकी जांच करानी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आज ही इसी वक्त सदन में मुख्य मंत्री जी को यह घोषणा करनी चाहिये कि उस थानेदार को सस्पेण्ड कर दिया गया है। उसके खिलाफ में जांच की जानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, कामां के माननीय सदस्य ने जो सदन के अन्दर मांग रखी है उसके ऊपर तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये। गृह मंत्रीजी ने यह कहा कि यह मामला एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट को भेज दिया जायेगा।

(व्यवधान)

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि कामां के थानेदार ने और दीगर पुलिस वालों ने वहां के ग्रामीणों को परेशान करना शुरू कर दिया है। वह कहते हैं कि हम तुम लोगों को गांव में नहीं रहने देंगे क्योंकि तुमने 60 हजार रुपये की रिश्वत देने की बात विधायक को क्यों कही? अब वहां पर उन बेचारे गरीब लोगों की हालत खराब हो रही हैं। इसके लिये मेरा निवेदन है कि एक तरफ तो आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ में अगर कोई शिकायत की जाती है तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। आप दोषी थानेदार को सस्पेन्ड करके इन्क्वायरी करने में संकोच क्यों कर रहे हैं?

(व्यवधान)

आज वहां की जनता बहुत ही परेशान हो रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आपको आज फैसला करना पड़ेगा कि आप कौनसी बात को सही मानते हैं। जो बात जनता पार्टी के विधायक ने कही वह सही है या आपके पुलिस वाले कहते हैं वह बात सही है।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के विधायक श्री मोहम्मद जहूर ने पुलिस के अधिकारी के खिलाफ में सदन में जो आरोप लगाया है वह बिलकुल सही है।

(व्यवधान)

Page No 32

(32)

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि गृह मंत्रीजी इसके बारे में स्पष्ट घोषणा करें····

(व्यवधान)

कामां की ग्रामीण जनता को धैर्य दिलाने के लिये कि उस थानेदार को सस्पेन्ड कर दिया जायगा और उसके खिलाफ में जांच की जायगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक एक करके बोलें। कृपया शान्त रहें।

श्री गुलमोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, इसकी आज घोषणा गृह मंत्री द्वारा होनी ही चाहिये कि थानेदार को सस्पैन्ड कर दिया गया है तथा उसके खिलाफ इन्क्वायरी शुरू कर दी गयी है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय मुख्य मंत्री जी को सदन में घोषणा करनी चाहिए कि उस थानेदार को सस्पैन्ड कर दिया गया है। तभी विधायकों की इज्जत रहेगी और हाउस की गरिमा भी रहेगी।

(व्यवधान)

नहीं तो यह पुलिस वाले जनता के ऊपर अत्याचार करते रहेंगे और भ्रष्टाचार बढ़ता ही रहेगा। अध्यक्ष महोदय, आज जनता के साथ मखौल किया जा रहा है कोई सुनवाई ही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, इसके तो दो ही रास्ते हो सकते हैं। या तो जिन ग्रामीण लोगों ने रिश्वत की शिकायत की है उनको गांव से निकाल दिया जाये या उन लोगों को गांव से हम जयपुर ले आवें। या जिस थानेदार ने रिश्वत ली है उसको सस्पेन्ड किया जाय तथा उसके खिलाफ में कार्यवाही शुरू कर दी जाय। आपको इन दो में से एक चीज को मानना ही पड़ेगा। या तो ग्रामीणों को आप वहां से हटायें या थानेदार को सस्पेन्ड किया जाय। इन दोनों में से एक काम किया जाय।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूँगा कि वह इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करें और उस थानेदार को सस्पैन्ड इसी वक्त करके पुलिस लाइन हाजिर करें तथा उसके खिलाफ में जांच शुरू करें। अध्यक्ष महोदय, यह सारी बातें कांग्रेस के राज में चल सकती थीं हमारे जनता पार्टी के राज्य में नहीं चलने वाली हैं। वह कांग्रेस का जमाना गया, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस के राज्य में भ्रष्टाचारी लोगों का पक्ष लिया जाता था। हम जनता पार्टी के राज्य में यह करप्शन बिलकुल नहीं चलने देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप दो तीन बार बोल चुके हैं। कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्य, शान्त रहें।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही बुरी बात है। इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि उन लोगों को गांव में रहने नहीं दिया जायेगा, इस प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। इस प्रकार आप इकट्ठे एक साथ बोलेंगे तो सदन की कार्यवाही किस प्रकार सुचारु रूप से चल सकेगी। मैं समझता हूं, सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल पायेगी, इसलिये आप लोग स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्य, आप दो बार बोल चुके हैं। आसन पैरों पर खड़ा है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें, आप दो बार से अधिक बोल चुके हैं। मैं लगातार यह प्रयत्न करता हूं कि एक माननीय सदस्य एक बार बोले, ताकि दूसरे माननीय सदस्यों को भी अपनी बात कहने का मौका मिले।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मन्त्री जी तो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, जनता में स्टेटमेन्ट देते हैं कि मैं भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ कर, दोषी व्यक्तियों को कब्र से निकाल कर उनके खिलाफ जांच कराऊंगा। दूसरी तरफ आपके गृह मंत्री जी भ्रष्टाचार को दाबने की कोशिश कर रहे हैं। जो विधायक सदन में आकर सही सूचना भ्रष्टाचार के बारे में दें, तो गृह मन्त्री जी को कम से कम उस थानेदार को तत्काल सस्पेन्ड करके उसको लाइन हाजिर करना चाहिये।

श्री नूरा : गृह मंत्री जी यह नहीं करेंगे।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, अभी जब राष्ट्रपति जी आये थे तब मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा था....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमने इन कांग्रेस वालों की बातें बहुत सुनीं। हमने पिछले तीस साल तक इनको सुना है अब हमें इनको एक मिनट नहीं सुनना है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है। यह वर्माजी बार बार डराते हैं यह बिलकुल ही गलत प्रक्रिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। स्थान ग्रहण करें। एक एक सदस्य बोलें। बाकी सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री काशीनाथ गुप्त।

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में पिछले पांच माह में 6

(श्री काशीनाथ गुप्त)
बार डकैतियां हुई, और मर्डर भी हुए हैं पर कोई भी कार्यवाही पुलिस द्वारा नहीं की गयी है। अध्यक्ष महोदय, आज से चार माह पूर्व मेरे क्षेत्र में दो माह के अन्दर सेवर पंचायत समिति के घोरमुई एवं लुधावई ग्राम में दो डकैतियां डाली गई जिनमें डकैत लोग 6-6, 7-7 हजार रुपये का माल लूट कर ले गये एवं घर के मालिकों को बुरी तरह पीटा तथा उनके परिवार वालों को बन्दूक की गोलियों से घायल कर दिया। इसी प्रकार कुम्हेर थाने के अन्तर्गत पंगोर के नगला लखन और नगला दादू में भी डकैतों ने डाके डाले। नगला लखन में श्री मिश्रीलाल के यहां से 6-7 हजार का सामान लूट कर ले गये। मिश्रीलाल के बच्चों तक के कपड़े उतार कर ले गये। जो मकान मालिक था, श्री मिश्रीलाल की गोलियों से मार कर हत्या कर दी। उसके बच्चे तथा उसकी विधवा पत्नी सभी बेघरबार हो गये हैं। इसी तरह अभी पांच मार्च को ग्राम दादू में डकैतों ने हमला किया और बन्दूक की गोली से बुढ्ढा की हत्या कर दी। इसी प्रकार हमारे यहां भटावली और दूसरे गावों में कई बड़ी संगीन चोरियां हुई। अध्यक्ष महोदय, डकैतों ने बन्दूक की गोली चलाकर कई व्यक्तियों को घायल कर दिया। और पत्थरों से 4 आदमियों को घायल कर दिया। यह हालत है। इस विषय में समय-समय पर अधिकारियों को सूचना दी गयी है; लेकिन आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। भरतपुर का यह एरिया उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। वहां चोरियां और डकैतियां बराबर होती रहती हैं। मैंने यह निवेदन किया था कि इस सीमा पर आर. ए. सी. की फोर्स लगा दी जाय जिससे लोगों में जो चोरियों और डकैतियों के कारण आतंक है वह नहीं रहे और चोरियों और डकैतियों में कमी हो जाय। एक बार फोर्स को लगाया भी था लेकिन वापस उसको हटा दिया। इसलिये घटनायें वहां पर बढ़ गयी हैं। आये दिन इस प्रकार की घटनायें घटती रहती हैं जिससे लोगों में भय छाया हुआ है। यदि डकैतियों और चोरियों का माकूल इन्तजाम नहीं हुआ तो हमारा इस विधान सभा में बना रहना बेकार होगा। असली मुजरिमों को पकड़ा नहीं गया है। आज तक किसी को नहीं पकड़ा है। लोग आतंकित है, गांव वाले गांव छोड़कर शहरों में आ गये हैं। कितने ही परिवार गांवों से कस्बों में आ गये हैं। फिर भी कोई इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और न ही कोई इसकी रोकथाम की निश्चित कार्यवाही की जा रही है। खुद डी.एस.पी. मौजूद थे। ओन दी स्पोट, डकैतों ने डकैती की और रफा हो गये। उन्होंने लोगों को घायल कर दिया लेकिन उनको पकड़ा नहीं जा सका। भरतपुर शहर में आये दिन चोरियां हो रही हैं किन्तु न एक भी बरामद की गयी है और न ही कोई कार्यवाही की गयी है। मैंने गृह मंत्रीजी को, वित्त मंत्रीजी को, मुख्य मंत्रीजी को भी कहा। आज मैं फिर से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाकर निवेदन करना चाहता हूं कि अविलम्ब इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय ताकि जो लोग आतंकित हैं उनको भय मुक्त किया जा सके। अभी जो हालत है वह बड़ी ही खेदपूर्ण है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक आप ही सदस्य नहीं हैं और भी बैठे हैं। माननीय

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सदस्य की आदत है बार बार बोलने और हो हुल्ला करने की, चाहे कोई इधर से बोले और चाहे उधर से कोई बोले · · ·

श्री प्रद्युम्नसिंह : ये एक ही माननीय सदस्य हैं He uses a very derogatory language

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्षद्वारा पुकारे जाने पर बोलने का अधिकार

श्री मूलचन्द डागा : ऑन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर। मैं, श्रीमान्, आपका ध्यान रूल नं. 270 की ओर दिलाना चाहता हूं। वह यह है।

"When a member rises to speak, his name shall be called by the Speaker. If more members than one rise at the same time, the member whose name is called shall be entitled to speak."

मेम्बर साहबान खड़े हो जाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। नियम 270 के अन्तर्गत आप इजाजत दें तब ही वे बोलें।

श्री भंवरलाल एरन : अगर माननीय सदस्य अपने गिरहबान में झांक कर देखें तो वे ही सबसे ज्यादा इस प्रकार से बोलते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कृपापूर्वक · · ·

श्री मूलचन्द डागा : मेरे पोइन्ट आफ आर्डर पर व्यवस्था होने दीजिये।

श्री अध्यक्ष एक-एक करके माननीय सदस्यों को बोलना चाहिये, इसको मैं मानता हूं। माननीय सदस्यों को यह निवेदन करता हूं कि एक-एक करके बोलें तो सुचारु रूप से कार्यवाही चल सकती है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूं, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : बोल सकते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी भरतपुर जिले से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो भरतपुर में पुलिस की रिश्वतखोरी बढ़ रही है और जरायम बढ़ रहा है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है। श्रीमन्, यों तो सारे हिन्दुस्तान में क्राइम की वेव आयी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ होने के कारण भरतपुर भी उससे अछूता नहीं रहा है।

(व्यवधान)

मुझे बोलने दीजिये ना।

उत्तर प्रदेश का गैंग वहां पर रेगुलर उधम मचाये हुए है। भरतपुर उत्तर-प्रदेश की सीमा से लगा हुआ होने के कारण उसकी ओर खास तौर से ध्यान दिया जाना चाहिये। यह बात मैं राजनैतिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। आज यू. पी. में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वह किसी से छिपी हुई नहीं है।

कामां से आने वाले माननीय सदस्य ने रिश्वत की बात कही। मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले की जांच होनी चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि हम को भी किसी ने गलत सूचना दी हो और हम खुला आरोप लगा दें किसी अधिकारी के ऊपर उसी बिना पर उसे सस्पेन्ड कर दिया जाय तो, श्रीमान, यह उसके साथ न्याय नहीं होगा। चाहे किसी भी विभाग का अधिकारी हो, वह यहां तो अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता है। हमारी जानकारी में सही बात ही हो, लेकिन हो सकता है, किसी कारण से हमको सूचना देने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

वाले ने गलत सूचना दी हो, चूंकि चारों तरफ से मांग आ रही है इसलिये वरिष्ठ अधिकारी को भेज कर तुरन्त जांच करायें ताकि माननीय सदस्यों को संतोष मिल सके, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोल चुके हैं।

श्री अब्दुल अजीज : मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की बात को ही दोहराता हूं। कई घोषणायें उन्होंने मुख्य मंत्री बनने के बाद कीं, जैसे रिश्वतखोरी को मैं जड़ से निकाल फेंकूंगा। विशेष तौर पर जब राष्ट्रपति जोधपुर आये तब यह कहा कि कौन है जिसने रिश्वत ली है, पब्लिक के आदमी उसका नाम बतायें तो मैं उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये तैयार हूं। तो हजारों की तादाद में पब्लिक में यह बात कहना और सदन में रिश्वत की बात आये तो मौन धारण कर लेना...

एक माननीय सदस्य : यह मौन है क्या ?

श्री अब्दुल अजीज : आज कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है उसके लिये मुख्य मंत्रीजी को ताड़ना दें। उनकी कथनी और करनी में फर्क है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, जो भरतपुर जिले से आये हैं, ने भरतपुर में डकैती और चोरियों के संबंध में अभी काफी चिन्ता व्यक्त की है। मैं भी उसी प्रकार की चिन्ता प्रकट करता हूं। मुझे इसमें कोई खुशी नहीं होगी कि भरतपुर जिले में या राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में चोरियां और डकैतियां हों और वह पकड़ी न जायें। आज माननीय सदस्य ने सुबह मुझे बताया कि यू.पी. की सरहद लगती है वहां पर यदि आर. ए. सी. की पोस्ट लगा दी जाये और आर.ए.सी. वहां दौरा करती रहे तो यू. पी. के डाकू वहां आ नहीं सकेंगे। मैं कल से इस सम्बन्ध में विचार कर रहा था। मैं इसकी व्यवस्था करूंगा कि कोई एन्टी-डेकोइटी फोर्स उस क्षेत्र में लगा दी जाये जिससे डाकुओं का आना जाना बन्द हो और डकैतियां नहीं हों। इस प्रश्न पर माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितने चिन्तित वह हैं उतने ही हम भी हैं। आजकल में ही ऐसी व्यवस्था कर ली जायेगी जिससे डाकुओं का वहां से आना बन्द हो जाये।

दूसरा प्रश्न कामां से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया। वह मुझसे भी मिले थे। मैंने ए.सी.डी. के अधिकारियों को बोल रखा है। यदि वह चाहेंगे तो आज ही रवाना कर देंगे और तुरन्त जांच हो जायेगी। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि भय के कारण से कोई गवाही नहीं दे सके, ऐसी तो हालत नहीं हो सकेगी। हम ऐसे किसी व्यक्ति के साथ कोई सहानुभूति नहीं दिखा सकते और न दिखाना चाहते हैं जो जनता को इस प्रकार से लूटे। इसलिये सदन का जीरो आवर समाप्त होने के बाद ही ए.सी.डी. के अधिकारियों को तुरन्त रवाना कर देंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पहले उस महाशय को जयपुर बुला लीजिए। मत सस्पेण्ड कीजिये लेकिन उसे जयपुर तो बुला लो।

एक माननीय सदस्य : आपको क्या परेशानी है ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : We thrive paisa on them and so we are worried

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आज सदन के समक्ष स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस बारे में मैं आपके जरिये माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ग्राम पांचला तहसील सांचोर में पंचायत के इलेक्शन हुए। वहां पर 18 हजार वोट पड़े एक सरपंच जीता और एक हारा। 1½ महीने से गांव में बड़ा भारी आतंक है। पांच, छः रोज पूर्व सरपंच सांचोर में आया इस बात की रिपोर्ट लिखाने कि मेरी जान का खतरा है। वापस जब वह गांव में घुसा सौ लोगों ने उसको घेर लिया और एक घंटे तक मल्लयुद्ध होता रहा। वह बीमार आदमी है और हार्ट का पेशेन्ट भी है। ऐसी हालत में उसने मुझे टेलीग्राम भेजा है। एस. पी., थानेदार और डिप्टी साहब को भी तार और रिपोर्ट भेजी है। दूसरी पार्टी प्रेस कर रही है कि तुम रिजाइन कर दो। खड़े होकर जीत तो गया लेकिन जैसे गुजरात में और बिहार में हुआ था उसी से तरह दूसरी पार्टी वाले जगह जगह कुल्हाड़ी आदि लिये पीछे पीछे फिरते हैं। मेरे पास दरख्वास्त आई, वहां पर शांति व्यवस्था को कायम करने के लिये। गांव में सरपंच के साथ ऐसा हो रहा है इसलिए पूरे गांव में आतंक है। मेरा निवेदन है कि दो तीन सिपाही भेजकर वहां पर आप व्यवस्था कायम कर दें। उसके बाद कायदे से जो भी उचित कार्यवाही करना चाहें वह करें। जो भी एलीमेन्ट हैं, जो उसके पीछे पड़े हुए हैं वे इस तरह से उसको प्रेस कर रहे हैं, 80 साल की उगमसिंह जी की अवस्था है। उनके साथ कोई भी घटना हो सकती है, इसका मुझे भय है, इसलिए मैंने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। जो भी हरकत कर रहे हैं उनके खिलाफ माकूल कार्यवाही कर दें वरना उस गांव में खून खच्चर और झगड़ा होने वाला है। ज्यादा सिचुएशन न बिगड़ जाये इसलिए यह तथ्य आपके सामने मैंने रखे हैं।

श्री माणकलाल ठाकोर : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और सरपंच · · ·

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं।

श्री माणक लाल ठाकोर : सदन में जो भी मसले आये हैं उनमें मेरा मसला सबसे महत्वपूर्ण है . .

श्री अध्यक्ष : आपका कोई प्रस्ताव नहीं है। मुझसे आकर आप बात कर लें। मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं।

श्री माणक लाल ठाकोर : आसन से निवेदन करना चाहूंगा कि दरवाजे अध्यक्ष महोदय के और मन्त्रिमण्डल के खुले हुए हैं इसके लिए तो हम बहुत अधिक आभारी हैं किन्तु जो अब तक चर्चायें हुई उन चर्चाओं से कम महत्वपूर्ण मेरा निवेदन नहीं है। यह एक सरपंच की दर्दभरी कहानी है जो सरपंच

(श्री माणक लाल ठाकोर)
किसी व्यक्ति से चुनाव में जीता । गांव रिदाना जिला बूंदी का सरपंच . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य; इस संबंध मे अगर आपको कुछ कहना है तो आप ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के रूप में सदन में लायें । मैं इस सम्बन्ध में आपको चर्चा करने की इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री माणक लाल ठाकोर : मैंने स्थगन प्रस्ताव भेज रखा है ।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, माननीय सदस्य, सरकार को भेजा गया है जानकारी प्राप्त करने के लिए । जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् मैं आपको समय दूंगा । ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सदन के अन्दर एक दिन में एक ही आ सकता है, रोजाना एक ही आ सकता है, एक से अधिक नहीं आ सकता है । इसलिए कृपा कर स्थान ग्रहण करें ।

माननीय श्री डागा ।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधि की विडम्बना है कि आज सत्ता में बैठने वाले सज्जन माननीय भैरोंसिंह जी, गिरधारी लाल जी भार्गव और प्रोफेसर केदारनाथ जी सब विरोधी दल में थे तो अध्यापकों की पुरजोर शब्दों में वकालत करते थे । उनके भाषण मैं अभी बताना नहीं चाहता । आज शिक्षा मन्त्री जी यहां हैं उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यापकों के द्वारा राजस्थान में छात्रों की परीक्षाओं का बॉयकाट हो रहा है । परीक्षायें नहीं हो पा रही हैं और सारी परीक्षायें स्थगित करनी पड़ी हैं । बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है । इस बारे में शिक्षा मन्त्री जी अपना स्टेटमेन्ट दे दें । वक्तव्य देने के बाद माननीय अध्यक्ष इजाजत देंगे तो मैं इस पर चर्चा करूंगा । यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव । श्री डागा ।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

महिला सदन, जयपुर से 14 लड़कियों का पलायन

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत महिला सदन जयपुर से 14 लड़कियों के भाग जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

मैं नम्र शब्दों में एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि नियमों में प्रावधान है कि मुझे स्टेटमेन्ट की कापी पहले मिलनी चाहिये । मैंने प्रार्थना भी की थी Statement is normally laid on the Table of the House and the Minister is required to supply copies...

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : Provided it is laid on the table.

श्री प्रद्युम्नसिंह : टेबल पर ले करने पर हाउस की प्रापर्टी हो जाती है । कोई भी माननीय सदस्य देख सकता है ।

श्री मूलचन्द डागा : Minister is required to supply copies thereof

(श्री मूलचन्द डागा)
in advance for being kept with a view to making it available to the members concerned.

मुझे कापी देने से सुविधा होती। माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा मैं मानूंगा। वह स्टेटमेन्ट पढ़ दें, फिर मैं उस पर सवाल पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : You should await statement from the Treasury Benches.

श्री मूलचन्द डागा : Yes Sir.

श्रीमती विद्या पाठक (राज्य मन्त्री, समाज कल्याण) : अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खेद है कि राज्य महिला सदन जयपुर से दिनांक 2–3 मार्च, 1978 को रात्रि को 14 महिलायें एवं उनके 4 बच्चे महिला सदन की पूर्वी एवं पश्चिमी दीवारों में छेद करके आखिरी छोर से चले गये। इस घटना का पता चलने पर दिनांक 3 मार्च, 1978 को प्रातः आदर्शनगर थाने में सूचना दे दी गई है। पुलिस इस मामले की सक्रियता से छानबीन कर रही है।

निकल कर जाने वाली महिलाओं में से 3 महिलायें राजस्थान की हैं तथा शेष 11 महिलायें व उन्हीं के बच्चे अन्य राज्यों के हैं। इन महिलाओं में से 6 महिलाओं को महिला सदन से मुक्ति देने की व्यवस्था की जा रही थी। 4 महिलाओं ने शादी की इच्छा जाहिर की थी जिस हेतु प्रयत्न किये जा रहे थे।

इसकी प्रारम्भिक जांच के आधार पर श्रीमती हरबामी अधीक्षिका राज्य महिला सदन को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। सरकार ने इन सारी घटनाओं की जांच श्री विजय वर्मा, सदस्य, राजस्व मण्डल के द्वारा कराने का निर्णय लिया है।

पूरी जांच के बाद जो भी व्यक्ति दोषी पाये जायेंगे उनके विरुद्ध सरकार समुचित कार्यवाही करेगी तथा व्यवस्था सुधार के सभी प्रयत्न किये जायेंगे। सरकार ने राज्य महिला सदन, जयपुर के भवन सुधार हेतु 40,990 रुपये की स्वीकृति दी हुई है तथा कार्य चालू है और इस बाबत व्यवस्था की जायेगी जिससे महिला सदन में अधिक सुविधाओं से महिलाओं को रखा जा सके।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके प्रति अपना आभार प्रदर्शन करूं कि आपने मुझे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने की आज्ञा दी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कारण ही इतना अच्छा प्रश्न रखने का अवसर मिला। जितनी सदन की महिलायें हैं और लड़कियां हैं वे आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगी...

एक माननीय सदस्य : इस सदन की महिलायें ?

श्री मूलचन्द डागा : महिला सदन की, स्वामी विवेकानन्द ने एक जगह कहा है:–

"Can you better the condition of your women ? Then there will be hope for your well being. Otherwise, you will remain as backward as you are now."

एक बात और आपकी सेवा में अर्ज करूं इसका क्या कारण है ?

(श्री मूलचन्द डागा)

"We the rescued, Beg you show us your sum, but gradually." Be gentle when you "Teach us to live again".

श्रीमान्, महिला सदन से लड़कियों का भाग जाना और माननीय मंत्री का यह स्टेटमेंट देना कि पुलिस सरगर्मी से जांच कर रही है और इस प्रकार की बात कहना कि पुलिस सरगर्मी से जांच कर रही है, खेदजनक है। महिलायें, मकान में छेद करके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 18 और 21 वर्ष की अवस्था की 14 महिलाएं जब रात्रि पूरे यौवन पर थी ....

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य कैसे बोल रहे हैं। नियमों में स्पष्ट है कि किसी विषय पर सदस्य मंत्री का ध्यान दिला सकेगा और मंत्री के ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाये, कोई वाद विवाद नहीं होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इनको कोई जानकारी नहीं है, इनको समझाइये। नया मुल्ला प्याज ही प्याज मांगता है।

श्री सुरेशकुमार : मंत्री के वक्तव्य के बाद वाद-विवाद नहीं होगा। व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : डागा साहब को बोलने की अनुमति मैंने दी है।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं। राजस्थान में जो यह घटना घटी इससे मालूम होता है कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत जो महिला सदन चल रहा है वह महिला सदन है या कैदियों का घर? कैदी भागते हैं, पुलिस जांच करती है। किस बात की जांच? फिर अखबारों में निकलता है कि सरगर्मी से जांच की जा रही है। उस स्थान पर जहां पर उनको मानसिक संतुलन व शांति प्रदान की जावे, उन्हें नया जीवन दिया जावे, ताकि वे जीवन में आगे बढ़ सकें। वहां समाज की और हमारी कमजोरियों के कारण इस प्रकार की बातें होती हैं। जो महिलायें सारी सजा यापता हैं, वे महिला सदन से भाग गईं। उनके बारे में आपने यह कहा कि पुलिस सरगर्मी से जांच कर रही है। सवाल यह है कि 14 लड़कियां क्यों भाग गईं? इसका कारण सोचना चाहिये, इसकी गहराई में जाना चाहिये।

The style of functioning of the Rescue Home called Asha Sadan is appealing. To the visitor, it is clear that the women are being jailed for a crime definitely not of their making"...

श्री प्रद्युम्नसिंह : काहे में से पढ़ रहे हैं?

श्री मूलचन्द डागा : It further says 'the careless manner of running the Home has apparantely forced many a rape victim to leave the Home and go back to prostitution.' The Home offers a daily allowance which falls far short of that offered by brothel madames.

यह महिला सदन में कैसे होने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बहुत संक्षेप में, very brief.

श्री मूलचन्द डागा : बहुत संक्षेप में।

(श्री मूलचंद डागा)

इस प्रकार से 14 लड़कियों के भाग जाने के बारे में बताया जावे, इसका कारण क्या था ? जो लड़कियां वहां आती हैं उन लड़कियों को किस प्रकार से आगे बढ़ने की शिक्षा मिलती है ? मानसिक रूप से उनको आगे बढ़ने का क्या स्कोप मिलता है ? क्या कारण था ? क्या यह 14 लड़कियां दिन में नहीं भाग सकती थीं ? रात में भागी हैं, उसके दूसरे दिन किस बात की पुलिस में रिपोर्ट होती है ? लड़कियां 18 वर्ष की उम्र से ज्यादा की हैं, उनकी खोज करने के लिये पुलिस की आवश्यकता क्यों पड़ी ? इस पर चिन्तन की आवश्यकता है । मैं समझता हूं, महिला सदन या नारी सदन में आज किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। उसकी व्यवस्था में मूलभूत सुधार होना चाहिये वह नारी सदन में सुधार नहीं हुआ । इस सदन में लड़कियां रखी जाती हैं उनके जीवन को सुधारने के लिये, उनमें ज्ञान को नई रोशनी पैदा करने के लिये लेकिन ऐसा न हुआ। इस कारण यदि लड़कियां भाग जायें तो इसका मतलब यह होता है कि हमारे समाज कल्याण विभाग में जिस प्रकार की व्यवस्था है, यह व्यवस्था संतोषजनक नहीं है । न लड़कियों को नया जीवन मिलता है, न मानसिक संतोष मिलता है। इस प्रकार समाज कल्याण विभाग पर बहुत गहराई से विचार करना चाहिये। तीन लड़कियां जो आ गई हैं, उन्होंने क्या बयान दिये हैं, क्यों चली गई ? लड़कियों के भागने का उद्देश्य क्या था ? इस प्रश्न का उत्तर भी आपका नहीं आया। तीसरा सवाल आता है जब लड़कियां एक एक करके निकली हैं तो कितना समय लगा होगा ? उस समय के दौरान गई . . .

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

115 लड़कियां और रहती हैं। यह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है । विचारणीय विषय है।

आपका उत्तर पूर्ण नहीं है, मेहरबानी करके इस महिला सदन में मूलभूत सुधार करो। अधीक्षिका को निलम्बित किया गया, इसका कारण क्या था ? क्यों बदली गई ? इन सारी बातों पर आपका उत्तर कुछ भी नहीं आया।. आपने जो उत्तर दिया, उससे मुझे सन्तोष नहीं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। अब बजट पर सामान्य वाद-विवाद ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं भी दो मिनट बोलना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं था।

श्री श्योपत सिंह मकासर : महिला सदस्यों को भी मौका दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नियमों के अन्तर्गत ऐसा नहीं है।

एक माननीय सदस्य : नारी की वेदना को यह ज्यादा समझती हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : महिला मंत्री भी हैं, वे सारी वेदना समझती हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन की परम्पराओं के प्रतिकूल होगा। आप कृपया इस सम्बन्ध में चर्चा न उठायें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह: कुछ क्लेरीफिकेशन्स चाह रही हूं, भाषण नहीं दे रही हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्री प्रद्युम्नसिंह : Ladies should get chance.

श्री अध्यक्ष : With due respect, I have great regard for ladies, you know that. पर परम्परा निभानी चाहिये।

सामान्य वाद विवाद

श्री सुरेश कुमार शर्मा।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया नहीं। When I have put specific questions, I must get reply. I did not receive any reply.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी ने भी मेरा ध्यान आकर्षण किया है। इस सदन की परम्परा रही है कि सामान्य रूप से सरकारी जवाब के बाद चर्चा नहीं होनी चाहिये। किन्तु आज वक्त जब मैं इधर बैठता था, तब सदन की व्यवस्था मैं देखा करता था कि उदारतापूर्वक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रेषित करने वाले माननीय सदस्य को मौका दिया जाता था। उसके पश्चात् सरकारी जवाब उधर ट्रेजरी बेन्चेज से आना चाहे तो आ सकता है।

श्री खेतसिंह : देना चाहे तो।

श्री राम करण सिंह (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। वह मैंने आज से 7 दिन पहले दिया था—नांगल गांव तहसील कोटपूतली में बरसात के कारण आने जाने के मार्ग अवरुद्ध हो गये हैं और वहां के लोगों को उठने बैठने की भी दिक्कत आ रही है···

श्री अध्यक्ष : सरकार को भेजा गया है।

आय-व्ययक 1978–79 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा वर्ष 1978–79 का प्रस्तुत बजट मेरी निगाह में एक बहुत सुन्दर हौंसले वाला बजट है। श्रीमन्, यह बजट साबित करता है कि जनता पार्टी की सरकार दृढ़ निश्चय के साथ अपनी घोषित नीतियों के अनुसार, अपने घोषणा-पत्र में किये गये वायदों के अनुसार कार्यवाही करने में दृढ़ प्रतिज्ञ है। श्रीमन्, पिछले वर्ष अतिवृष्टि और असमान वृष्टि के कारण प्रदेश को बड़ी हानि उठानी पड़ी है। बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। करीब 10 करोड़ रुपया राहत कार्यों में सरकार द्वारा लगाया गया, लोगों की सहायतार्थ बांध व सड़कों की मरम्मत के लिये रुपया दिया गया। और 10 करोड़ टन गेहूं खाने के लिये भी सरकार की तरफ से दिया गया। मुझे आश्चर्य है इतना सब कुछ होने के बावजूद जनता पार्टी की सरकार ने योजना के आकार को 232 करोड़ रुपये का रखा है। पिछली योजना की तुलना में 18.61 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। यह बहुत बड़ी सराहना की बात है, श्रीमन्।

जनता पार्टी की सरकार द्वारा ट्रैक्टर और ट्रैक्टर पार्ट्स तथा कृषि उपकरण इन सब पर 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर कर देना और किसी प्रकार के नये कर, जिसका बोझ सामान्य कृषक पर पड़े, न

(श्री सुरेश कुमार)
लगाना यह साबित करता है कि जनता सरकार किसानों को हिमायती है।

एक माननीय सदस्य : अभी आपको एक हजार बीघा का मुआवजा नहीं दे रही है सरकार···

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : बोलना सीखिये पहले।

श्री सुरेश कुमार : जिस प्रकार शराब पर कर बढ़ाया गया और तीन जिलों में पूर्ण शराबबन्दी की गई, इससे साबित होता है कि मद्य-निषेध नीति की जो घोषणा की गई उस नीति को राजस्थान में लागू करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। इससे स्पष्ट है कि जनता पार्टी की सरकार वायदे को पूरा करने में पक्की है।

श्रीमन्, 25 पैसे प्रति व्यक्ति पंचायत को जो अनुदान दिया जाता था उसके लिये अब सरकार ने घोषणा की है कि 25 पैसे के बजाय 2।।) रु. प्रति व्यक्ति अनुदान देगी। इससे स्पष्ट है कि पंचायत संस्थानों को स्वावलम्बी बनाकर खड़ा करना चाहती है–यह इस बात का सबूत है।

मैं सरकार से एक बात निवेदन करूंगा कि बजट में आय और सम्पत्ति की विषमता में कमी तथा आर्थिक शक्ति और आर्थिक समानता के विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य को रखकर अग्रसर होना चाहिये। पिछले 30 वर्षों में यह नहीं हुआ है जिसके कारण गरीबी बढ़ी है और दूसरी तरफ अमीरी का वैभव भी बढ़ा है। सदन को मालूम होगा, सन् 1963-64 में हिन्दुस्तान के सब 20 औद्योगिक परिवारों में केवल दो परिवारों की कुल सम्पत्ति 100 करोड़ रुपये थी लेकिन, श्रीमन्, यह आश्चर्य की बात है कि सन् 1974–75 के अन्दर उन 20 परिवारों की कुल सम्पत्ति 100 करोड़ से अधिक बढ़ गई। यह देखने की बात है कि एक औद्योगिक परिवार की तो 283 करोड़ की सम्पत्ति से 1064 करोड़ तक बढ़ गई। इस प्रकार पुरानी योजना की खराबी के कारण सारी सम्पत्ति सिमट कर इन 20 परिवारों में पहुंच गई। श्रीमन्, आपको आश्चर्य होगा कि सन् 1974-75 के अन्दर उन 20 परिवारों की सारी सम्पत्ति 5 हजार 111 करोड़ रुपये हो गई। मैं समझता हूं हमारी सरकार इसको समझे और अब यह सम्पत्ति छोटे समुदायों के हाथों में पहुंचे। अब ऐसा न हो, इसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाने पड़ेंगे।

मेरी ऐसी मान्यता है न्यूनतम और अधिकतम वेतन की सीमा निर्धारित की जाय और खर्च की व्यक्तिगत सीमा बांधी जाय। इस प्रदेश में, श्रीमन्, किसी को चार हजार रुपये से अधिक प्रति माह खर्च करने की इजाजत न दी जाय। इससे ऊपर जो रकम बचे वह अनिवार्य रूप से सरकार के खजाने में जमा रहे और वह रुपया सरकारी खजाने में तब तक रहे जब तक गरीबी की सीमा से लोग ऊपर न उठ जायं। उसके बाद वह रकम मय ब्याज के उन्हें या उनके बच्चों को दे दी जाय। श्रीमन्, जब तक व्यक्तिगत खर्च की सीमा पर पाबन्दी नहीं लगायेंगे तब तक हम समझते हैं कि आप दरिद्रनारायण की सेवा नहीं कर पायेंगे।

(श्री सुरेश कुमार)

सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सहूलियत दी हैं। मैं सरकार से एक सहूलियत की मांग और करता हूं। यदि अनाज के ऊपर, हर किस्म के अनाज के ऊपर सेल्स टैक्स हटा दें और उसके एवज में तिलहन व दालों पर टैक्स बढ़ा दें तो मैं समझता हूं गरीब वर्ग को लाभ मिलेगा। तिलहन और दालें बाहर जाती हैं और ये अधिक गरीब वर्ग के काम काम की चीजें हैं। आज अनाज की खपत देश में सबसे अधिक होती है। अनाज प्रत्येक गरीब से गरीब आदमी खाता है। तो मेरा निवेदन है, श्रीमन्, अनाज के ऊपर से सेल्स टैक्स माफ करना होगा और इस घाटे की पूर्ति तिलहन और दालों पर टैक्स लगाकर करनी होगी। सरकार आसानी से इसकी पूर्ति कर सकती है। इसके अतिरिक्त फिर भी कुछ घाटा रह जाय तो, श्रीमन्, मेरा एक सुझाव और है। हमारे प्रदेश के अन्दर इमारती पत्थर बहुत बड़ी तादाद में उपलब्ध होता है, यहां का पत्थर बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट होता है। संगमरमर का पत्थर है वह भी एक्सपोर्ट होता है, मारबल और चिप्स वगैरह वैभवशाली लोगों के मकान बनाने के काम में आता है, यहां की बढ़िया लकड़ी, सागवान की लकड़ी, देवदारू की लकड़ी होती है जिसको गरीब आदमी काम में नहीं लेता है। इस पर अगर आप टैक्स बढ़ा देते हैं तो मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, इससे सरकार का और भी जो घाटा है वह पूरा होगा और प्रदेश की गरीब जनता पर कोई भार नहीं पड़ेगा।

श्रीमन्, मैं एक खास विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि जिसकी वजह से मुझे आशंका है कि आने वाले समय में प्रदेश की जनता को कहीं तेल की कमी महसूस न होने लग जाय। जो एडीबल आयल है, खाद्यान्न तेल है उसकी कमी महसूस नहीं हो। इसकी दलील मेरे पास यह है, श्रीमन्, भारत सरकार ने पलसेज एण्ड एडीबल आयल्स कण्ट्रोल आॅर्डर बनाया है। इसके तहत, श्रीमन्, यह पाबन्दी लगाई गई है शहर की श्रेणी के अनुपात में। कैटेगरी 'ए' के शहर के लिए पन्द्रह सौ टन, कैटेगरी 'बी' के लिए एक हजार टन और कैटेगरी 'सी' के शहरों के लिए पांच सौ टन, इस सीमा से अधिक कोई होलसेलर है या जो मिल मालिक है वह अपने पास स्टाक नहीं रख सकते। लेकिन इसके साथ साथ, श्रीमन्, एक और उस आर्डर के अन्दर पाबन्दी लगाई गई है :

"Provided also that where any quantity of pulses, edible oils or edible oilseeds is in transit then, for the purpose of this clause, such quantity shall be deemed to have been included in the stocks of the dealer."

सो, श्रीमन्, आप सोचिये, इसके इम्प्लीकेशन्स क्या होंगे? एक मिल मालिक, एक तेल का व्यापारी कुछ आयल सीड खरीदता है, कुछ तेल का स्टाक करता है, कुछ इस प्रकार से बेचता है। पाबन्दी यह है कि जो माल उसके काम में आ रहा है वह भी स्टाक में, जो उसकी फैक्ट्री में रखा है वह भी स्टाक में और जो माल बेचता है वह जब तक माल जाकर आखिरी पोइन्ट तक नहीं पहुंच जाय वह भी उसके स्टाक में

(श्री सुरेश कुमार)

शामिल होगा। श्रीमान्, मेरी यह मान्यता है कि इस रूल को पेश करने में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है, साजिश हुई है। इसका नतीजा यह होगा कि बाजार में उतना माल पड़ा रहेगा, किसान को माल के कम दाम मिलेंगे, मिल वाला माल नहीं रखेगा और व्यापारी भी अपनी पूंजी नहीं लगाएगा क्योंकि माल बाजार में सस्ते दाम पर पड़ा हुआ है और इससे प्रोडक्शन गिरेगा। तो मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस आर्डर के जो इम्प्लीकेशन्स हैं उन पर अच्छी तरह से विचार करें। केन्द्रीय सरकार ने तो अपना दामन छुड़ा लिया और यह बात कह दी :

"The State Government if it considers it necessary for avoiding any 'difficulty or hardship...may, by notification"

इसका मतलब है कि वक्त कर सकते हैं। यह अधिकार देकर केन्द्रीय सरकार ने अपना दामन तो छुड़ा लिया कि हमने राज्य सरकार को पावर दे दी। राज्य सरकार एग्जेम्प्शन कर सकती है। मैं इसके ऊपर माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके इम्प्लीकेशन्स को अच्छी तरह से देखें। कहीं ऐसा नहीं हो कि किसान को उसकी पैदावार का उचित मूल्य न मिले और उधर प्रोडक्शन गिर जाय और माल बाजार में कम आने से उपभोक्ताओं को तकलीफ हो। श्रीमान्, मैं इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसकी तरफ आप अच्छी तरह से ध्यान देकर विचार करें।

एक निवेदन और करना चाहता हूं, श्रीमान्। बजट बहुत अच्छा है, बजट के अन्दर सब आस्पेक्ट्स पर विचार किया गया है, उद्योगों पर विचार किया गया है, रोजगार देने पर विचार किया गया है, सब कुछ किया गया है। मुझे सिर्फ एक बात यह कहनी है, श्रीमान्, अगर वित्त मंत्री महोदय इस बजट के अन्दर कुछ ऐसा प्रावधान और कर देते कि जो अधूरे काम हैं उनको पहले पूरा किया जाय, जैसे बहुत सी ऐसी अधूरी सड़कें हैं, बहुत जगहों पर ऐसी सड़कें हैं जो दो किलोमीटर तो इधर बन गई और दो किलोमीटर उधर बन गई और बीच की सड़क खाली पड़ी हुई है, थोड़ा बहुत इसके लिए प्रावधान कर देते तो मैं समझता हूं कि जो रकम व्यर्थ जा रही है वह उपयोग में आ जाती।

इसके अतिरिक्त, श्रीमान्, एक बहुत बड़ी विकट समस्या है। मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन राज्यपाल महोदय के भाषण में भी मैं कह चुका हूं और मेरी यह निश्चित मान्यता है कि खेलकूद के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अपने देश के अन्दर यह बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए विशेष ध्यान दें, उसके लिए बजट में विशेष प्रावधान करना होगा। मैंने कहा था कि खेल और सांस्कृतिक मंत्रालय अलग से बनाया जाय और उसके अन्दर नौजवानों को प्रोत्साहन देना चाहिए। नौजवानों का ध्यान खेल-कूद की तरफ आकर्षित करना चाहिए जिसके लिए बजट में अच्छी तरह से प्रोविजन किया जाय। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियों के अन्दर कम से

(श्री सुरेश कुमार)

कम बीस प्रतिशत स्थान अच्छे खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रखे जायं, उनको नौकरियां दी जायें तो मैं समझता हूं कि उनको यह अवसर प्रदान करने के कारण लोगों का हौसला बढ़ेगा। जो उद्दण्डता और उत्पात करते हैं उनसे पीछा छूटेगा। उद्दण्डता और अनुशासनहीनता कौन करता है? जिसमें कुव्वत और ताकत होती है। जब उसकी शक्ति का उपयोग नहीं हो पाता तो उसके अन्दर झुंझलाहट पैदा होती है और झुंझला कर वह दौड़ता है तोड़फोड़ की तरफ, अनुशासनहीनता की तरफ। तो श्रीमान्, जो सुझाव मैंने दिए हैं उन पर वित्त मंत्री महोदय गौर करें। एडीबल आयल, कण्ट्रोल आर्डर की जो बात मैंने आपके सामने रखी है उस पर विचार करें। मेरे सुझावों पर गौर कर कार्यवाही

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

की जाय तो आपने बुलन्द हौसले का बजट बनाया है उसको और भी बुलन्द बनाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनारायण।

श्री शिवनारायण (पामाणाजी): अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो हमारे राजस्थान का बजट प्रस्तुत किया है वह बहुत ही सराहनीय और संतुलित है। हमारी जनता पार्टी की घोषित नीतियों की ओर अग्रसर होने में एक सराहनीय कदम है। हमारी जनता पार्टी की सरकार की विवेकपूर्ण एवं ठोस नीतियों के कारण आवश्यक वस्तुओं के भावों में गिरावट आई है। हमारे समस्त बजट का जो विकास व्यय है उस विकास व्यय में से 64.40 पर्सेन्ट हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लगाने का प्रावधान है, मैं समझता हूं कि इस राजस्थान असेम्बली में यह पहला अवसर है जब कि ग्रामीण क्षेत्रों को अग्रसर करने, ग्रामीण क्षेत्रों का समुचित विकास करने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में रकम का प्रावधान किया गया है।

इसके साथ में ही हमारे राजस्थान की वित्तीय स्थिति में 49.01 करोड़ रुपयों का जो सुधार हुआ है वह भी हमारे प्रशासनिक खर्चे में कमी के कारण, विशेष सजगता बरतने के कारण हुआ है। यह भी हमारी सुन्दर प्रशासनिक व्यवस्था का परिचायक है।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गलत है।

श्री शिवनारायण: आप कहना चाहती हैं तो दूसरे की सुनने को भी तैयार हों।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गलत बातें कहेंगे तो बोलेंगे ही।

श्री रतनलाल वर्मा : जब आपका नम्बर आवे तब बोलना।

श्री शिवनारायण : इसके साथ में ग्रामों के विकास के लिए और अन्य विषयों में हमारे प्रदेश के विकास के लिये अन्त्योदय योजना और समग्र ग्रामोदय योजना इस सरकार ने नई चालू की है, वह हमारे प्रान्त के लिए ही नहीं अपितु समस्त राष्ट्र की नई चेतना का आभास देती है।

इसके सन्दर्भ में मैं, अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के माननीय नेता महोदय द्वारा अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में कहे हुए कुछ उद्गारों के सम्बन्ध

(श्री शिवनारायण)

मैं निवेदन करना चाहता हूं। विपक्ष के नेता महोदय ने, सहज में राजस्व अभियान और अन्त्योदय योजना पर बोलते हुए यह विचार व्यक्त किया था कि ऐसे अभियान तो हमने भी बहुत चलाए थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस राजस्व अभियान के अन्तर्गत जब मैं गांव गांव में गया, एक विधायक की हैसियत से गया, तो एक शिड्यूल्ड कास्ट के सज्जन ने मुझ से यह पूछा कि क्या मेरी जमीन मेरे को वापस मिल सकती है? जो जमीन नाजायज तौर पर आज से 15 वर्ष पहले एक व्यक्ति ने खरीद ली थी, सवर्ण क्लास के व्यक्ति ने वह जमीन छः बीघा गांव सौ रुपयों में खरीद ली थी। माननीय सदस्यों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह खरीदने वाला व्यक्ति जनता पार्टी का व्यक्ति नहीं था, वह खरीदने वाला व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति था। यही नहीं, थानागाजी तहसील कांग्रेस का वह 15 वर्ष तक अध्यक्ष रहा। उसने 6 बीघा जमीन 500/- रुपये में खरीद ली। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, उसकी पत्नी थानागाजी समाज कल्याण की अध्यक्षा के पद पर कार्य करती रही। यह बड़े शर्म की बात है जो इस सदन में इस बात की आलोचना कर रहे हैं और यह आह्वान कर रहे हैं कि हम हरिजनों के मददगार हैं, गरीब दलित वर्ग के पोषक हैं, उनका यह एक उदाहरण इस प्रकार इस भू-राजस्व अभियान के दौरान सामने आया है।

इसी प्रकार के करीब 30-40 प्रकार के केसेज और हमारे सामने आए हैं। भू-राजस्व अभियान के दौरान हमें उनका ज्ञान हुआ है। मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल वे घोषणा करना जानते थे। उन्होंने 1972-73 में रजत जयन्ती के उपलक्ष में हर तहसील के दो दो गांव छांटे थे। उनमें मेरा भी एक गांव पर्टीकुलरली लिया गया था। नाम मात्र की घोषणा की गई थी और उस गांव में किसी प्रकार का कोई विशेष कार्यक्रम नहीं रखा गया जिसको हम रजत जयन्ती के रूप में कह सकें। किसी आदर्श गांव के रूप कोई कार्यवाही उस गांव में राज्य प्रशासन द्वारा नहीं की गई।

अन्त्योदय योजना के बारे में कहा गया, इसका संधि विच्छेद करके कहा गया कि इस योजना का उदय होते ही अन्त हो गया। मैं जहां तक समझता हूं, राजस्थान के जन प्रतिनिधि पंच से लगा कर पार्लियामेन्ट के सदस्य महानुभाव अगर इस स्कीम के अन्तराल में जाकर, गहराई में जाकर नियमित रूप से प्रशासन के साथ रह कर मदद करें, सहयोग करें तो निश्चित रूप से इस स्कीम का उदय होने के बाद अन्त होने की बात नहीं होगी। मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस स्कीम के उदय होने से उनका अन्त होना स्वाभाविक है।

इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रशासन को कुछ सुझाव देना चाहता हूं ताकि क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा न हो। अध्यक्ष महोदय, इस बजट के प्रावधानों में भरतपुर में चिकित्सा मद में करीब 10.54 लाख से अधिक रकम रखी गयी है। इस वर्ष जयपुर जिले में चिकित्सा के मद में अधिक रकम का प्रावधान किया गया है जब कि हमारे अलवर जिले के लिए, अलवर शहर के लिए

(श्री शिवनारायण)

चिकित्सा के मद में एक पैसा नहीं रखा गया है।

इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, एक लाख 54 हजार रुपया भरतपुर के न्यायालय के निर्माण के लिए रखा गया है जब कि थानागाजी क्षेत्र में कोई न्यायालय का भवन नहीं है। बराबर दस वर्षों से इसके लिए मांग रखी जा रही है। चिन्ता की बात तो यह है कि एक तहसील भवन किराये पर लिया गया है। न्यायालय में बैठने के लिये कोई जगह नहीं है और न इसके लिए कोई प्रावधान है। साथ के सारे बंगलों में बिजली लग गयी है परन्तु न्यायालय भवन में बिजली नहीं है।

इसी प्रकार से आर. ई. सी. विद्युतीकरण की योजना को लीजिए। योजना में करीब करीब सभी पंचायत समितियां हैं लेकिन हमारे थानागाजी क्षेत्र की कतई उपेक्षा की गयी है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने का प्रयास करें।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जिस ढंग से यह बजट प्रस्तुत किया गया है, वह स्वागत योग्य है। जो कर प्रस्ताव सदन के विचारार्थ रखे गये हैं, वे भी स्वागत योग्य है और मैं उनका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक बजट का सवाल है, जो बजट वित्त मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, वह जनता पार्टी की घोषित नीतियों के अनुकूल है परन्तु क्योंकि वित्त मंत्री कांग्रेसी विचारधारा से ओत प्रोत हैं इसलिए उसकी छाप भी इस पर है। गांवों की उन्नति के लिए इस बजट में शामिल करके यह दिखाया गया है कि कुछ रोजगार लोगों को, गरीब लोगों को मिलेगा। मैं इसका स्वागत करता हूं। खास तौर से जो टैक्स लगाये हैं, वह शराब पर लगाये हैं, जिससे शराब बन्दी को प्रोत्साहन मिलेगा। जो लोग शराब पीने वाले हैं वे अन्त में कम होंगे। इसके साथ ही साथ जो कुछ किसानों को राहत दी गई है, वह भी स्वागत योग्य है। जो किसान ट्रैक्टर ट्रोली रखते हैं उसको कर मुक्त रख कर किसानों के साथ हमदर्दी दिखाई है।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और आज तक मैं बार बार इस बात को सदन में उठाता रहा हूँ कि राजस्थान, बृहद् राजस्थान बना, सारे रजवाड़े जब स्वतन्त्र हुए, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल और रजवाड़ों के बीच में जल्दबाजी में बातचीत हुई और जो छोटी छोटी स्टेट थीं, उनको छोटे छोटे जिलों का रूप दे दिया गया और जो बड़ी स्टेट्स थीं उनको भी बड़े जिलों का रूप दे दिया गया। इस प्रकार उस समय जो कुछ हुआ, वह समय के अनुकूल हो सकता है परन्त एक लम्बे समय के बाद भी वही बात चली आ रही है। मान्यवर, जब आप विपक्ष में बैठते थे, मेरी

(श्री मूलचन्द सामरिया)

मांग का आपने समर्थन किया था। जयपुर जिला और उदयपुर जिला बहुत बड़े जिले हैं। इनको काट कर के दो जिले बनाये जायें। आज मैं फिर से अपनी इस मांग को दोहराना चाहता हूं। हो सकता है कि इसमें कुछ प्रशासनिक व्यय हो लेकिन, मान्यवर, यह प्रशासनिक व्यय नान-रेकरिंग होगा। एक बार ही खर्च होगा। दुबारा नहीं होगा। बार बार इसको खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। मान्यवर, देखिये एक तरफ तो आपका जिला डूंगरपुर है। तीन तहसीलें हैं। एक बूंदी जिला है। इसके मुकाबले उदयपुर और जयपुर जिलों को देखिये। आज जयपुर जिले से कम से कम 19 एम.एल.एज. इस सदन में आते हैं। जयपुर शहर की आबादी दस लाख के आस पास है। जयपुर एक जिला है और साथ ही साथ राजधानी है, उसका मुख्यालय है और यहां का जो जिला प्रशासन है, जिलाधीश होते हैं उनको इतने प्रकार के जबर्दस्त काम होते हैं कि वे पूर्ण रूप से समय के मुताबिक, समय के अन्दर आसानी से जिला प्रशासन के काम का निष्पादन नहीं कर सकते हैं। समय के अन्दर काम का निष्पादन करना उनके लिए संभव नहीं होता है। जयपुर नगर में रहने वाले अपनी समस्याओं को लेकर कच्ची बस्ती की समस्याओं को लेकर आए दिन प्रदर्शन करते हैं, विद्यार्थी हड़ताल करते हैं, मजदूर हड़ताल करते है, राजनैतिक पार्टियां अपने प्रदर्शन करती हैं, राज्य कर्मचारी अपना आन्दोलन करते हैं। यह सब जयपुर जिले के मुख्यालय पर होता है। इसके साथ ही साथ जो वी.आई.पी. राजनेता आते हैं, उनका इन्तजाम, ला एण्ड आर्डर की जिम्मेवारी भी जिला प्रशासन की होती है। यह इतना जबर्दस्त काम होता है कि जिलाधीश और एस.पी. जिले के बाहर के क्षेत्र की देखरेख नहीं कर पाते। उनके लिये इफेक्टिव प्रशासन करना असम्भव होता है। मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि राजस्थान के किसी भी जिले के लोगों को जिला प्रशासन से सीधा एप्रोच करने, उसका लाभ लेने, अपनी समस्याओं को रखने और उन्हें दूर कराने का अधिकार है। जो दो-तीन तहसीलों के जिले हैं, वहां के जिलाधीशों से लोग सीधा ही एप्रोच कर लेते हैं। जिला प्रशासन जितनी आसानी से लोगों से मिल सकता है, उनकी समस्याओं पर गौर कर सकता है, वह बड़े जिले का प्रशासन नहीं कर पाता है. इसके अलावा यह राजस्थान की राजधानी भी है। उनको अपने काम के साथ साथ जयपुर शहर के लोगों को देखना है। यह प्रशासन 19 एम.एल.ए. के निर्वाचन क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी विशेष देख-रेख हो, ध्यान हो, जयपुर का जिलाधीश असरदार तरीके से काम कर सके तो दो भागों में यह जिला बांटा जाना चाहिये। जयपुर, दौसा, सिकराय, लालसोट, मंडावर के रहने वाले व्यक्ति जिला प्रशासन, जिलाधीश से उतनी आसानी से नहीं मिल सकते हैं जितनी आसानी से छोटे जिले के व्यक्ति मिल सकते हैं। मैं कई मामलों में जब भी कभी जिलाधीश से मिला तो मैंने देखा है, जिलाधीश इतने व्यस्त रहते हैं कि वह मिल नहीं सकते हैं। कहीं वह यू.आई.टी. के चेयरमैन बना दिये जाते हैं तो वह इतने इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान के नागरिक को प्रशासन से सीधे सम्बन्ध रखने का अधिकार

(श्री मूलचन्द सामरिया)

है । अब इस बात को जनता ने महसूस किया है और जन प्रतिनिधियों ने महसूस किया है । दौसा के लोगों ने महसूस किया है कि दौसा को एक अलग जिला बनाना चाहिये । दौसा को उन्होंने जिला बनाने की मांग की है इसी प्रकार से धौलपुर का भी अलग जिला बनाने की मांग की गई है । ठीक है, वहां की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है । उसको जिला बनाया जाय तभी जिला प्रशासन समस्याएं दूर कर सकता है । जनता चाहती है और जन प्रतिनिधि मांग करते हैं तो मैं यह नहीं समझता कि इस सरकार को विचार करने में क्या आपत्ति है ? मुख्य मन्त्री का स्टेटमेंट पढ़ा । उन्होंने कहा है कि हम विचार नहीं कर रहे हैं । जनता कह रही है । वित्तमंत्री जी, राजस्व मन्त्री जी, जो भूतपूर्व मन्त्री थे, ने बताया है, कि हम इस पर विचार करने जा रहे हैं । उन्होंने कहा कि अलग जिला बनाने में दो ढाई करोड़ का खर्चा होगा । मैं निवेदन करूंगा कि दो ढाई करोड़ खर्च होगे जब कि भवनों को एयर कण्डीशण्ड बनाया जाये । लेकिन जनता पार्टी के होते हुए ऐसे भवन बनाने की जरूरत नहीं है । सादे भवन का उपयोग किया जा सकता है । जनता के फायदे के लिये वैभवशाली भवन बनाने की आवश्यकता नहीं है । उनको आडम्बर पूर्ण बनाने की आवश्यकता नहीं है । सादा भवन बनाने की ओर ध्यान देना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री, जी दौसा पधारे थे । उन्होंने कहा था कि मैं इस मांग का समर्थन करता हूं । उन्होंने कहा कि इसके लिये पैसे की कमी नहीं होगी । जब एक सीनियर मोस्ट मन्त्री, जिनको राजस्थान की जनता गांधीवादी के नाम से जानती है, यह बात कहें और वह पत्रों में छप जाये तो मैं नहीं समझता कि फिर कौन सा कारण है जिससे कि मुख्य मन्त्री महोदय इस पर विचार करने से मना कर दें और वहां की जनता की भावनाओं को नहीं समझें । क्या मुख्य मंत्री महोदय, यह चाहते हैं कि जिस प्रकार से किसान प्रदर्शन करते हैं, उसी प्रकार से वह भी प्रदर्शन करे ? क्या प्रदर्शनों की भाषा को ही आप समझेंगे? प्रदर्शन के बाद उनको यह सुविधा मिलेगी ? मैं निवेदन करूंगा कि उनकी समस्या को सुलझाने का आप प्रयत्न करें । अगर प्रदर्शन के बाद ही बात मानते हैं तो हम भी जिले के लोग प्रदर्शन करें । दस, बीस, पचास एम एल.ए. कहें । प्रदर्शन करके तोड़फोड़ करें । आपका ध्यान आकर्षण करने के लिए यहां आकर प्रदर्शन करें । इस प्रकार अगर होगा तो यह सरकार के लिये उचित नहीं होगा । अगर वाजिब मांग है तो सरकार को ध्यान देना चाहिए । मैं कहता हूं कि यह वाजिब मांग है । यह वाजिब मांग है कि राजस्थान के जिलों का पुनर्गठन हो । अगर ऐसा नहीं होगा तो आन्दोलन होगा । अगर सी.एम. साहब इस पर स्टेप लेना चाहें तो ले सकते है । यह सभी के हित में है । इसके लिये सदन के कम से कम बहुमत माननीय सदस्यों की राय है । जिला प्रशासन का सारे राजस्थान के लोगों को लाभ मिलना चाहिये । इस पर अगर विचार नहीं किया जाता है तो मैं इस सरकार के साथ रहते हुए भी पब्लिक से अलग नहीं हो सकता हूं । मैं जनता की भावनाओं को दबाने में असमर्थ हूं । मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य मन्त्री महोदय ने जो स्टेटमेन्ट दिया है, उस पर वह

Page No 51

(51)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

पुनर्विचार करें। ऐसा नहीं करने से, वाजिब बात को नहीं मानने से भयंकर परिणाम होते हैं और होते रहेंगे। इसलिए मैं इस पर पुनः विचार करने के लिए निवेदन करता हूं। दौसा को जिला बनाने के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैं अर्ज करूंगा कि दौसा में एक डिग्री कालेज है। एक प्राइवेट संस्कृत कालेज है। बांदीकुई में एक डिग्री कालेज है। कोटपूतली के ए.डी.सी. ने भी परिस्थितियां देख कर नम्बर आफ केसेज देखकर–Dausa is a place वहां दो तीन साल से बेंच कायम कर रखी है। जुडिशियरी का भी इण्डायरेक्ट डिसीजन है। विद्युत विभाग के एक्स.ई.एन. का आफिस है। 132 के.वी. लाइन है। वहां बड़े बड़े लोग पधारेंगे हेलीकाप्टर से तो उनके लिए हेलीपेड भी बना हुआ है। दौसा रोड से जुड़ा हुआ है। वहां पर एक पशुपालन अधिकारी भी है। जयपुर जिला इतना लम्बा है कि ईस्ट और वेस्ट के नाम से दो भागों में बंटा हुआ है। इसी प्रकार से अधिकारी बैठते हैं। एजूकेशन डिपार्टमेन्ट में दो इन्सपेक्टर रहते हैं। करीब 16 आफिसेज हैं। डबल आफिसेज हैं। सब जिला अधिकारी काम करते हैं। इनमें से एस.डी.ओ. दौसा की सीट जयपुर में है। जयपुर में रहने में कोई फैसिलिटी नहीं हो सकती है। आने जाने में लाखों रुपया फूंकना पड़ता है। इसके बावजूद लोगों का एस. डी. ओ. से मिलना नहीं होता है इसलिए वह हमारे क्षेत्र में शिफ्ट कर दें तो आटोमेटिक जिला हो जाएगा। दौसा में उनको कम किराये पर मकान मिल सकेंगे। जयपुर में भी किराया कम होगा। वहां सारी फैसिलिटीज मिल सकती हैं। जो लोग काम कर रहे हैं, उनको शिफ्ट कर दिया जाये तो दौसा जिला हो सकता है।

इसके अलावा मैं मुख्य समस्या के बारे में ध्यान आकर्षित करूंगा। जमवा रामगढ़ का बांध आज से 100 साल या उससे कुछ कम पहले जयपुर के महाराजा, जिनको आप पूंजीवादी और सामन्तवादी कहते हैं, ने बस्सी, दौसा, जमवारामगढ़ के किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए बनवाया था। उसके बाद किसानों का दावा करने वाली जो सरकार किसानों के वोट लेकर आई थी, उसने उसको जयपुर शहर के लोगों को पीने का पानी देने के लिए ले लिया। कुछ समय के लिए तो यह ठीक हो सकता है। मैं दावे से कहूंगा कि जो पानी आप पीते हैं, उससे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। यह पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह सिंचाई के लिए बांध बनाया गया था। पीने के पानी के लिए बीसलपुर व्यास योजना है। जो जयपुर, टोंक, अजमेर और ब्यावर के लिए है। यह बांध सिंचाई के लिए है, इसके लिए सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है। यह कैसी अजीबो गरीब स्थिति है गरीब किसानों की लंगोटी लेकर जयपुर के पगड़ी बांध दी है, उसके पास कुछ भी नहीं रहा। इस तरह से व्यवहार करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब कभी भी, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में सिंचाई के साधनों की बात करता हूं तो सरकार की तरफ से यह उत्तर आता है कि विचार कर रहे हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

मैं दो-तीन मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

ढूंढ नदी पर बांध बनाने में जयपुर के लिए भी पीने के पानी की समस्या हल होगी। जमवारामगढ़ के बांध से बहुत अच्छी और अल्ट्रा-मोडर्न नहरें बनी हुई हैं उनका उपयोग किया जाना चाहिए। सिंचाई के लिए जो पानी था उसको क्रम से बन्द करते जायं उसके बजाय अगर यह सरकार ईमानदारी से किसानों की हिमायती है तो बीसल परियोजना शुरू करनी चाहिए। वाटर वर्क्स के इन्चार्ज माननीय मुख्य मन्त्रीजी हैं। उन्होंने प्रेस कान्फ्रेंस में भी कहा था कि ड्रिंकिंग वाटर की योजना को प्राथमिकता दी जायगी। इससे टौंक, अजमेर और ब्यावर की समस्या हल होगी और सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही आपने जो घोषणाएं की हैं वे भी कार्यान्वित हो जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय, आज एस. एम. एस. हॉस्पिटल में जिस प्रकार की दुर्व्यवस्था है, जिस प्रकार का वहां के नर्सिंग स्टाफ का व्यवहार है, उसको देखते हुए यही कहना पड़ता है कि बहुत ही शोचनीय दशा है। आज दुर्भाग्य से मैं मेरे परिवार के एक सदस्य को लेकर वहां गया तो मुझे महसूस हुआ कि ईश्वर किसी को बीमारी नहीं दे, और दे भी तो गांव में ही खतम हो जाय तो अच्छा है। एस. एम. एस. हास्पिटल में भयंकर लापरवाही है। मैं तो यह कहूंगा कि कोई एकाएक बीमार हो जाय तो भी यहां पर नहीं आये, इसके लिये मेरा निवेदन है कि लोकल स्थानों पर मरीजों को राहत मिलनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि दौसा हॉस्पिटल को रेफरल हॉस्पिटल में अपग्रेड कर दिया जाय जिससे वहां की आठ लाख की जनता को लाभ मिल सके। जिला बनाने की बात तो सी. एम. साहब सोच रहे हैं। उसके साथ ही ए. डी. एम. और डी. एस. पी. के कार्यालय भी वहां पर तुरन्त खोले जाने चाहिए जिससे जनता को सुविधायें मिल सकें।

फसली बीमा के बारे में योजना बनाकर केन्द्रीय सरकार से मिलकर किसानों को राहत देने के लिये सोचना चाहिए। अन्त्योदय योजना बहुत अच्छी है, हम लोग गांवों में गये, लोगों ने कहा कि अच्छा हुआ, सरकार हमारे गांवों में आ गई और हमको न्याय मिला। लेकिन मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बैंकों को जब तक सरकार गारन्टी नहीं देगी तब तक उनको ऋण नहीं मिल सकेगा। उनको कोई गारन्टर नहीं मिल रहे हैं, उनके पास कोई सम्पत्ति नहीं है, वे निर्धन लोग हैं, गारन्टी नहीं देने से उनको बैंकों के द्वारा लोन नहीं दिया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को अपनी ओर से गारन्टी देने पर विचार करना चाहिए।

इसी प्रकार से कुण्डल और भाखरी की सड़क के बारे में निवेदन करूंगा कि तीन किलोमीटर सड़क का सवाल है उसको शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

मान्यवर, जब से राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार आई है, कहीं भी मजदूरों और मालिकों के बीच में पुलिस नहीं पड़ी। अगर बीच में पड़ी है तो मजदूरों की

(श्री मूलचन्द सामरिया)

ही सहायता की है, सेठों की नहीं। लेकिन अब कुछ जगहों पर पुलिस को सक्रिय होते देखा गया है। वह सेठों का पक्ष ले रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम कोई सेठों के खरीदे हुए नहीं हैं, उनके गुलाम नहीं हैं। हमको सेठों ने नहीं किसानों ने जिताकर भेजा है इसलिए मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी और गृह मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सेठों और मजदूरों के झगड़े में जब तक लॉ–एण्ड–ऑर्डर की स्थिति नहीं आवे तब तक पुलिस नहीं आनी चाहिए और जहां तक हो सके मजदूरों का पक्ष लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के चुनावों का मैं स्वागत करूंगा लेकिन पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव जब तक नहीं होंगे तब तक पंचायतों के चुनाव कोई मायने नहीं रखते हैं। इसलिए अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने से पूर्व पंचायत समितियों और जिला परिषदों के भी चुनाव हो जाने चाहिए। उनको कितनी पावर दी जाय, थ्री–टायर या टू-टायर कुछ भी रखिये, लेकिन उनके चुनाव होना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इसके बिना पंचायतों के चुनाव का कोई महत्व नहीं है।

मनी लैण्डर्स एक्ट में 25 हजार तक की छूट दी गई है। इसके अलावा जो व्यक्ति दस-बीस और पचास रुपये देते हैं उनके लिए भी बिल, जो पड़ा हुआ है, इन्ट्रोड्यूस किया जाना चाहिए जिससे किसानों को उसके आधार पर भी पैसा मिल सके। हरिजनों और शिड्यूल्ड कास्ट्स तथा शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये जो काम किया गया है उसकी मैं सराहना करता हूं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सन् 1947 से लेकर सन् 1978 तक एक व्यक्ति भी राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विस में या राजस्थान जुडिशियल सर्विस में नहीं आया है। इससे हम मापदण्ड का अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तरक्की हुई है। आज तक राजस्थान सरकार कास्ट या ट्राइब में से एक भी व्यक्ति को जुडिशियल सर्विस में नहीं ला सकी है, इसलिए आपका जो मापदण्ड है उसके अनुकूल इनको फायदा मिले, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए वरना घोषणाएं तो अच्छे ढंग से करते रहेंगे लेकिन केवल घोषणाओं से काम होने वाला नहीं है। यह हम देख रहे हैं, यह हमारी आदत सी हो गई है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री भंवरलाल ऐरन।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या आज सत्ता पक्ष के लोग ही बोलेंगे?

श्रीमती सुमित्रासिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी कि तीन सत्ता पक्ष से और एक विरोधी दल से बोलेंगे। तीन सत्ता पक्ष के बोल चुके हैं, कायदे से अब हमारा नम्बर आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपको भी समय मिलेगा।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आपने स्वयं ने व्यवस्था दी थी, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान बजट ने

Page No 54

(54)

(श्री भंवरलाल ऐरन)
यह सिद्ध कर दिया है कि माननीय वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। यह पहला अवसर है कि राजस्थान में विकासोन्मुख और ग्रामोन्मुख बजट प्रस्तुत किया गया है।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : इससे पहले नहीं ?

श्री मूलचन्द डागा : मुख ही मुख है।

श्री भंवरलाल ऐरन : इस बजट के लिए मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। वे गांधीवादी विचारों के हैं इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि उनका लक्ष्य पूर्ण नशाबन्दी की ओर है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : वाटर आफ लाइफ का क्या होगा ?

श्री भंवरलाल ऐरन : मेरी मान्यता है कि सरकार शनैः शनैः पूर्ण नशाबन्दी की ओर जा रही है। उसकी नीति पूर्ण नशाबन्दी की ओर इंगित करती है। किन्तु जब तक पूर्ण नशाबन्दी नहीं होती मैं समझता हूं कि कुछ जिलों में ही नशाबन्दी करने से केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना मात्र ही होगा। इसलिये मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि उनका लक्ष्य पूर्ण नशाबन्दी को लागू करने का है तो वह इस बात को भूल जायं कि इससे राज्य सरकार को कितनी कम आय होगी। अध्यक्ष महोदय, इससे राज्य सरकार को वित्तीय संकट का सामना तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि गलत आमदनी से जो पैसा आता है वह गलत ढंग से ही खर्च होता है। और उसका गलत अन्जाम ही होता है...

(व्यवधान)

जैसा कि राजस्थान की भूतपूर्व कांग्रेस सरकार का हुआ। अध्यक्ष महोदय, इसके लिये एक पर्शियन शेर याद आता है इस वक्त, आपकी इजाजत हो तो अर्ज करूं। वह है,

"ए ताहिरे लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी,

जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही।"

श्री मूलचन्द डागा : वाह वाह ! क्या बात है ! एक बार और फर्माइये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : दौर चलता रहे, जश्न जारी रहे।

श्री मूलचन्द डागा : क्या कहने हैं अब तो बजट कल ही पास हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस पर्शियन शेर का मेरे ही शब्दों में हिन्दी अनुवाद किया है। उसकी ओर मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वह है :--

"ओ असीम के पथिक विहंगम,
उस रोजी से मौत भली।
जिस हित पंखों की गति तेरी,
अधम की ओर चली।"

श्री मूलचन्द डागा : वाह, क्या बात है !

श्री भंवरलाल ऐरन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी

(श्री भंवरलाल ऐरन)

का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि इसी सत्र में पूर्ण नशाबन्दी लागू करने की घोषणा करें। और नहीं तो कम से कम अजमेर जिले में तो लागू करें ही। अध्यक्ष महोदय, मैं नसीराबाद क्षेत्र से चुनकर आता हूं। नसीराबाद जो मेरा क्षेत्र है वहां पर मिलिट्री की छावनी है। वहां पर हमेशा शराब के दौर चलते ही रहते हैं। वहां पर दोहरी प्रशासन प्रणाली है। वहां पर लॉ एण्ड आर्डर तो राजस्थान सरकार के हाथ में है और वहां का प्रशासन केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आता है। मैंने पहले भी इस विधान सभा में अर्ज किया था कि नसीराबाद, जो कि मिलिट्री छावनी है, एक नगरपालिका क्षेत्र घोषित किया जाय। हालांकि इस बारे में मैं समझता हूं कि विचार तो पूरा केन्द्रीय सरकार करेगी लेकिन इस आशय का प्रस्ताव राज्य सरकार भी अपनी रिकमन्डेशन के साथ केन्द्रीय सरकार को भेज सकती है जिससे शीघ्रता से नसीराबाद को एक नगरपालिका का रूप दिया जा सकता है। इससे कम से कम एक बात तो होगी कि जो शराब के दौर रात दिन मिलिट्री छावनी में चलते रहते हैं उनमें कमी आयेगी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया, अजमेर में तो पहले ही नशाबन्दी लागू हो जानी चाहिये। खास तौर से जब आपने इन तीनों जिलों में नशाबन्दी की तो आपको अजमेर को भी साथ साथ ले लेना चाहिये। लेकिन आपने अपने इस बजट भाषण में अजमेर को इन्क्लूड नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप अजमेर को भी पूर्ण नशाबन्दी वाला जिला घोषित करने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट भाषण में कहीं भी अजमेर में घड़ियों का कारखाना खोलने की बात नहीं दिखायी देती है। अभी मुख्य मन्त्री जी कुछ समय पहले अजमेर पधारे थे तब उन्होंने यह घोषणा की थी कि अजमेर में जल्दी ही एक घड़ियों का कारखाना खोला जायेगा। लेकिन मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उसका कहीं भी उल्लेख बजट भाषण में नहीं है। इसलिए मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर में जल्दी ही घड़ियों का कारखाना खोलने की व्यवस्था की जाय।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को यह निवेदन करना चाहूंगा कि बजट में अजमेर को कान्सपीक्यूअस बाई इट्स एबसेन्स रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अजमेर में प्रारंभ से ही जूडिशियल कमिश्नर का कोर्ट रहा है। वह कोर्ट हमारे हाई कोर्ट के समकक्ष होता था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर। ट्रेजरी बेन्चेज पर कोई भी मिनिस्टर साहबान नहीं हैं और सदन की कार्यवाही चल रही है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह नियम है कि ट्रेजरी बेन्चेज पर मिनिस्टर साहब हों।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय ऐसा तो पहले कभी भी राजस्थान की विधान सभा के सत्र में नहीं हुआ कि ट्रेजरी बैन्चेज पर कोई भी मिनिस्टर नहीं रहे । आप इन मन्त्रियों को ताड़ना दें ताकि यह सदन की कार्यवाही को गम्भीरता से लें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, पिछले 20 साल के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपना बजट पर भाषण दे रहे हैं और ट्रेजरी बैन्चेज पर एक भी मिनिस्टर नहीं है । It is a mockery of the House

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने बार बार इस बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि यह अत्यन्त खेदजनक बात है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय को ताड़ना दीजिये, यह अत्यन्त आपत्तिजनक बात है । श्रीमन्, आप ताड़ना दें इन्हें, वरना यह मानने वाले नहीं ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, एक भी मिनिस्टर नहीं है । एक मिनट भी नहीं बैठते हैं । भाग कर चले आते हैं ।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : तो मैं यह निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, जब अजमेर का राजस्थान में विलीनीकरण हुआ तब अजमेर वालों ने यह प्रश्न उठाया था । वहां पर हाई कोर्ट नहीं रखा और राजस्व मण्डल को रखा गया । लेकिन अब तो स्थिति यह है कि राजस्व मण्डल की बैन्चेज भी अलग अलग लगायी जानी शुरू हो गयी है । इससे अजमेर का महत्व बहुत ही कम हो गया है । इसलिये मैं राज्य सरकार के मुख्य मन्त्री जी को और विधि मन्त्री जी को यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस तरह से जोधपुर हाई कोर्ट की बैन्च आपने जयपुर में लाकर रखी है उसी प्रकार जोधपुर हाई-कोर्ट की एक बैन्च अजमेर भी रखी जावे ताकि अजमेर डिविजन के केसेज वहां पर निपटाये जा सकें । यह होना अत्यन्त आवश्यक है ।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ एक अत्यन्त आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण मांग, जो अजमेर के लिये बहुत अर्से से उठायी जा रही है, की ओर मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वह है कि अजमेर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय । अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त ही आवश्यक है । मैं इसके लिये वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि अजमेर हमेशा से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है । वहां पर विश्वविद्यालय का नहीं होना अपमानजनक और दुःख की बात है । इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां विश्वविद्यालय कायम किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं राज्य सरकार का ध्यान पेयजल की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले में पेयजल की बहुत भारी समस्या है । मेरा राज्य सरकार को यह सुझाव है कि अगर राज्य सरकार बनास योजना को कुछ और धनराशि मदद के रूप में दे दें तो मैं समझता हूं कि यह बनास योजना पूरी होने से नसीराबाद और अजमेर

(श्री भंवरलाल ऐरन)

के आसपास के गांव व ब्यावर की जनता को पीने का पानी मिल सकेगा और पेयजल की समस्या का निदान हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, नसीराबाद तथा उसके आस पास के गांवों की जनता के पीने के पानी की समस्या का हल हो सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि पेयजल की समस्या तो एक बहुत मानवीय समस्या है उसका हल तो निकाला ही जाना चाहिये।

इसके अलावा राज्य सरकार व मुख्य मन्त्री जी का नसीराबाद में तहसील हैडक्वार्टर की स्थापना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, नसीराबाद और अजमेर जिले के आस पास के करीब 150 गांवों के लोग अपने छोटे मोटे केसेज को लेकर अजमेर आते हैं तथा उनको बहुत भारी परेशानी होती है। अगर आप नसीराबाद को तहसील हैडक्वार्टर बना दें तो लोगों को काफी सुविधा रहेगी। मेरा निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र नसीराबाद को तहसील बनाया जाय। इससे राज्य सरकार को कोई आर्थिक संकट नहीं होने वाला है क्योंकि अजमेर में आज भी दोहरी प्रणाली है। काफी स्टाफ है आप उसी स्टाफ में से कुछ लोगों को नसीराबाद स्थानान्तरित कर सकते हैं और नसीराबाद को तहसील बनाया जा सकता है। नसीराबाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, एक सैनिक छावनी है।

इसके साथ साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि नसीराबाद एक सैनिक छावनी है। वहां पर एक बालिका हितकारिणी उच्च माध्यमिक विद्यालय चलाया जाता है। वहां पर करीब एक हजार छात्रायें पढ़ती हैं। वहां पर दूसरी शालाओं में भी विद्यार्थी हैं। मेरा निवेदन है कि इस विद्यालय को महाविद्यालय का रूप दे दिया जाय। बालिका हितकारिणी उच्च माध्यमिक विद्यालय एक प्राइवेट संस्था है जहां पर टीचर्स को पूरी तनख्वाह दी जाती है। अब उसकी वित्तीय हालत खराब है इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस स्कूल को राज्याधीन लेकर महाविद्यालय का रूप दे दें। इसमें आपका अधिक खर्च नहीं होगा।

बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का स्वागत करता हूं।

(2.00 म. प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकृष्ण।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने जो बजट इस हाउस में प्रस्तुत किया है उस बजट भाषण को पढ़ने से ऐसा महसूस होता है कि यह कोई बुद्धिहीन व्यक्ति ने या बुद्धिहीन सरकार ने प्रस्तुत किया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, पहले जो बजट प्रस्तुत किया गया था वह थोड़े समय का ही था लेकिन इतना खराब बजट तो पिछले तीस सालों में कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया....

(व्यवधान)

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के अन्दर राजस्थान के जो महत्वपूर्ण विषय हैं पी. डब्ल्यू. डी., सिचाई और विद्युत् इनकी प्रगति के बारे में कोई बात नहीं कही गयी है। इसलिये यह जो बजट है, यह केवल मात्र एक ढकोसला है। इसका एक एक पन्ना उठा कर देखें। जो कुछ बातें इसमें कहीं गई हैं वह संदेह की दृष्टि से देखी जा सकती हैं। आपके जो ट्रेजरी बैन्चेज के माननीय सदस्य बोले, वे भी कह रहे थे, हमें ऐसी शंका होती है कि शराबबन्दी की बात कही गयी है उससे सरकार कहीं मुकर न जाय। सरकार हर बात में मुकरती जा रही है। एक मेरे साथी कह रहे थे कि सरकार का यह शराब-बन्दी की तरफ बढ़ा कदम है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी पांच छः दिन पहले ही शराब के ठेके हुए हैं वह ठेके शराब की गारन्टी बढ़ा कर दिये गये हैं। एक तरफ एक जिले को ज्यादा से ज्यादा पीयक्कड़ बना रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे जिले में शराबबन्दी की बात कर रहे हैं। यह विरोधाभास है। आपने देशी शराब पर टैक्स बढ़ाया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारी मंशा शराबबन्दी करने की नहीं लगती है। शराबबन्दी करने की हमारी मंशा नहीं है। हमारी मंशा यह है कि कुरीतियां बन्द हों, गरीब आदमी इससे बचें। बुराइयों से बचाने के लिये जो कुरीतियां हैं उनको छोड़ना होगा। बुराइयों के कारण एक व्यक्ति अपनी कमाई का बहुत बड़ा भाग शराब पीने में खर्च कर देता है। यदि गरीब व्यक्ति को शराब पीने की लत हो जाती है, उसको यदि ठेके पर पांच रुपये में शराब मिलती है तो वह कुछ भी नहीं देखेगा, अपने बच्चों को लूटेगा, अपनी बीबी को लूटेगा और शराब के ठेके पर जिस भाव शराब मिलेगी वह उसको पीयेगा। आपने देशी शराब पर टैक्स बढ़ा कर यह कर दिया कि ऐसे व्यक्ति की बीबी बच्चों को जो कुछ थोड़ा बहुत खाने को मिलता था वह भी उनसे दूर हो जाय। आपने गरीब को और ज्यादा गरीब बनाने और दुःख देने की बात की है।

अभी कह रहे थे कि ये यह एक सर्वांगीण विकास का बजट है। किस दिशा में यह विकास का बजट है? आज से तीन वर्ष पहले पंचायत समिति स्तर पर सैकन्डरी स्कूल, तीन चार मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल खोलने का तय कर लिया गया था। पिछली सरकार के लिये तो कहते हैं कि चलते चलते कह दिया। अब की बार कौनसा शिक्षा के लिये बहुत बड़ा बजट रखा गया है। इस सम्बन्ध में कोई खास बजट नहीं रखा है। अभी एक माननीय सदस्य ने सवाल किया था। शिक्षकों के सम्बन्ध में और कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो अनाप-शनाप व्यय हुआ है इसके सम्बन्ध में उन्होंने असंतोष व्यक्त किया। क्या आपने बजट में कहीं देखा है कि कोई मितव्ययता की जा रही है? कोई मितव्ययता इसमें देखने को नहीं मिलती। वित्त मंत्रीजी, यह आप देख लें। जो जोश खरोश जनता में पैदा हुआ है वह आपकी बातों से कायम नहीं रहने वाला है। 30 साल में पिछली सरकारों ने जो प्रगति की है उसके बाद अभी मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि गरीबी को दूर करने जा रहे हैं। अगर आप इसी प्रकार से घोषणायें करते रहे तो यह सिद्ध हो जाने वाला है कि

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

हाउस में आप केवल वाहवाही लूटना चाहते हैं। जिस अन्त्योदय योजना की आप वाहवाही लूटना चाहते हैं उसको भी हमने देखा है। आपके गृह मंत्री जी बैठे हैं उनसे पूछ लें। 1977 में अलवर जिले में 85 हजार बीघा जमीन गरीबों को अलाट की है, हरिजनों को अलाट की है, आप उसको भूलें नहीं। 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जमीन अलाट की है जिसका आप मखौल करते हैं और आप कहते हैं कि उसके अधीन काम नहीं हुआ। 80 प्रतिशत किसान हैं यह आप भी मानते हैं। किसान के मरने पर, किसान की जमीन जरूरत होने पर दूसरों को देने पर, सिंचाई बदली आदि का नामान्तरण होता रहता है। यह बहुत बड़ा काम है। जो कार्य 20 साल में हुए हैं यदि आप 1976–77 के ही आंकड़े निकाल कर देखें तो अलवर जिले के ही जो आंकड़े हैं उनसे मालूम होगा कि आपके जो आंकड़े हैं वे तो उनके मुकाबले में एक चौथाई भी नहीं हैं। मैं आपको आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि जिन हरिजनों की जमीन सवर्णों ने ली उनको जेल में भेजा और उनसे जमीनें खाली करवा कर वह हरिजनों को वापस दिलायी, जबरदस्ती करके भी हमने दिलवायी। अन्त्योदय योजना के तहत परिवारों का चयन किया है उनके यदि आपके सामने आंकड़े आवेंगे तो आप इस बात के लिये अफसोस ही जाहिर करेंगे कि अन्त्योदय योजना में किन को लाना है इसके लिये षड़यन्त्र रचा गया है। आपने यह बात कही कि हरिजन आदिवासियों को सुविधायें दिलायेंगे लेकिन अन्त्योदय योजना आपने सबके लिये रखी है इसमें आपका बहुत बड़ा पर्दाफाश होगा। यह गरीब के प्रति एक षडयन्त्र है। अन्त्योदय योजना के तहत आप गरीब को राहत देना चाहते हैं लेकिन कोई हाउस में खड़ा होकर कह दे कि उसका इम्प्लीमेन्टेशन सही होगा। इसमें कई तरह की खामियां हैं। योजना को लेकर हो अथवा इम्प्लीमेन्टेशन को लेकर मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि गारन्टी देने में नहीं चूकेंगे। कोई भी योजना बनती है तो उसके पहले तैयारियां होती हैं परन्तु आपने कहा कि सरकारी कर्मचारियों ने परिवारों का चयन कर लिया। इसमें कौनसी वाहवाही पैदा कर ली। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आगे आने वाला समय जो बतायेगा, आप उसको देख लेना। पिछली विधान सभा का सत्र हुआ था तो ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठने वाले माननीय सदस्य गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे उस समय हमने कुछ बातें कही तो हमारी बात आपने मानी नहीं। अब मैं कहना चाहता हूं कि अगली विधान सभा में जब आवेंगे तो ट्रेजरी बेन्चेज फिर मानेगी कि विपक्ष में बैठने वालों ने कहा था कि यह अन्त्योदय योजना एक बहुत बड़ा धोखा है और राजकीय सचिवालय एक नमूना है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष के अन्दर हमने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ा, हमने बजट का भी भाषण पढ़ा, किन्तु बहुत दुःख का विषय है कि राजस्थान के अन्दर आज जो अव्यवस्था है, सुरक्षा के मामले में बहुत बड़ी कमी है उसके बारे में इसके अन्दर कोई इंगित नहीं किया गया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बीस सूत्री कार्यक्रम में 200 परिवारों को वामोली ग्राम जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, मैं रिहायशी प्लाट दिये उनके ऊपर एक ही परिवार ने जबरन

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
काश्त कर दी यहां से मंत्रीजी लिख देते हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपका अगर यही हुक्म है कि बोलू नही तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बोलें जरूर लेकिन दस मिनट हो चुके हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : दो मिनट बाद आप फिर घंटी बजा देंगे। इस प्रकार बोलने में कुछ मजा आता नहीं है। इस हाउस की परम्परा रही है, इस हाउस का मैं 15 साल से सदस्य हूं मुझे मालूम है कि विरोधी पक्ष को ज्यादा से ज्यादा समय दिया गया और ज्यादा से ज्यादा सुना गया। यहां अब हम नयी परम्परा पाते हैं कि विरोधी पक्ष वालों को बोलने ही नहीं दिया जाता। पहले भी विरोधी पक्ष के केवल 18 सदस्य थे फिर भी हमने उनको बोलने के लिए बहुत समय दिया। हमारा रिकग्नाइज्ड विरोधी पक्ष होते हुए भी हमको समय नहीं दिया जाता है। यह बहुत दुःख का विषय है। मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। यही बात है कि सरकारी पक्ष के ही लोग बोलें और विरोधी पक्ष के लोग नहीं बोलें तो मैं समझता हूं कि कोई बात कहना बेकार है। इसलिए आप कहें तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको बोलने का अधिकार अवश्य है। आप उसके अन्तर्गत ही बोल रहे हैं लेकिन समय का भी ध्यान रखें। मैं आशा करूंगा कि आप जल्दी ही अपना भाषण समाप्त कर देंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, अब तक बड़े बड़े उद्योग इस देश में पनपते रहे। आपने कहा है कि हम कुटीर उद्योग पनपायेंगे जिससे गांवों के अन्दर गरीबी दूर होगी। नारा बड़ा सुन्दर है। जो भी साधन उपलब्ध कराये जा सकेंगे वह उपलब्ध करायेंगे। परन्तु कोई भी साधन उपलब्ध कराने के साथ साथ यह बात सोचने की जरूरत है कि आप कुटीर उद्योग के लिए, हैण्डलूम के लिए थोड़ा बैंकों से या अपने साधनों से कर्जा दे देंगे लेकिन जो लोग कुटीर उद्योग में चीजें तैयार करेंगे, जो लोग कपड़ा बनायेंगे वह मार्केट में जाकर बिक भी पायेगा या नहीं—यह एक सोचने का विषय है। इसलिए कुटीर उद्योग लगाने से पहले मार्केटिंग की व्यवस्था के बारे में आपने नहीं सोचा और आपने उसके लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं कराये तो आपका जो भी धन है वह फंसेगा और उन लोगों के अन्दर असन्तोष पैदा होगा। यह और भी ज्यादा बुरा होगा क्योंकि जो आज खाली बैठे हैं उनके ऊपर कर्जा हो जायेगा। उनके ऊपर ब्याज चढ़ता रहेगा और मार्केटिंग का कोई साधन नहीं हो पायेगा।

एक बात इसमें बहुत ही अच्छी कही गयी है कि सरकार के बहुत बड़े प्रयत्नों से जिन्सों के भाव गिर रहे हैं। धन्य है यह सरकार ने यह जनता सरकार, यह किसान सरकार धन्य है। जो भी किसान एम. एल. ए. हैं चाहे वह इधर बैठने वाले हों या उधर बैठने वाले हों वह थोड़ा अपने मन को टटोलें, किसान ने धनिया बोया,' जब किसान की फसल आती है तो एक महीने के लिए भाव नीचे गिरने की बात शुरू हो

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

जाती है और किसान को सही कीमत एक महीने में नहीं मिल पाती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जून और जुलाई तक भाव गिरते रहेंगे और जुलाई चली जाने के बाद फिर भाव आसमान को छूने लग जायेंगे। यह आपकी नीति की वजह से होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि आप यह बात नहीं कहें कि भाव गिर रहे हैं। भाव गिरे नहीं हैं। हां, भाव एक बार चढ़े थे तो गेहूं के चढ़े थे। बाकी 1977-78 में सबके भाव बढ़े हैं चाहें आप धनियां लें, चाहे आप मिर्ची लें और चाहे आप तेल लें। इन सब के भाव तेजी से बढ़े हैं। जो पैसे वाले लोग थे उन लोगों ने कीमतों के बढ़ने से बहुत पैसा कमाया है। आपके लिए यह विचारणीय विषय है। इसलिए मैंने कहा था कि ज्यादा बुद्धि इस बात में नहीं लगाई गई कि राजस्थान में विकास की गति को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने हमेशा एक बात कही है और वह समय दूर नहीं कि जो बात मैं आज कह रहा हूं उसको बहुत से लोग कहेंगे कि दिशाहीन सरकार का और साधनहीन सरकार का ऐसा ही बजट होता है। इस बात से कोई भी मुकर नहीं सकेगा। आपने कल एक बात कही, उससे ऐसा मालूम होता है कि आपके अन्दर यह जजबात भी नहीं है कि सही बात सुन सकें। किसानों के सामने बिजली की जो समस्या है इस समस्या का समाधान करने के लिए आप कुछ उपाय करें। मैंने यह बात पहले भी कही थी और आज फिर कहना चाहता हूं कि पिछले दो ढाई महीनों के अन्दर किसी भी किसान को दिन में बिजली नहीं मिली।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इससे किसान की फसल अच्छी नहीं होगी और उसको ठीक प्रकार से भाव नहीं मिल सकेंगे। चाहे जयपुर में एम. आई. रोड की दुकान में या विधायकों के घर चोरी हो या गांव में डकैतियां हों, इनको देखने से साफ जाहिर होता है कि आज व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा एक ही कारण है कि इस सरकार के काम करने की शक्ति है वह बहुत कम है और ऐसी नहीं है कि जिससे देश को अच्छा प्रशासन दे सके और देश को सुव्यवस्थित व्यवस्था दे सके। इस प्रकार से यह सरकार चल रही है।

इसके अन्दर कर प्रस्ताव भी रखे हैं। 1 पर्सेन्ट से 3 पर्सेन्ट लोहे के ऊपर बढ़ाया यह कर लखपतियों के ऊपर लगेगा। अमीर लोगों के लोहे की छड़े

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

लगेंगी। मैं एक ही बात कहूंगा कि जो कर प्रस्ताव रखे हैं वह ऐसे नहीं है कि ऐसा लगे कि राजस्थान के विकास के लिए, चाहे वह किसी भी दिशा में हो, आपने सोचा है। इसलिए आपका जो बजट है इसके बारे में यह जरूर सोचें कि इसके द्वारा राजस्थान का विकास हो और किसानों को किसी प्रकार से राहत मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह इस प्रकार का बजट आपने हाउस में प्रस्तुत किया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामेश्वरलाल गूजर !

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह क्या चार आदमी उधर से बोलें और फिर एक इधर विरोधी पक्ष से बोलें। ऐसे कैसे कार्यवाही चलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो जो सदस्यों का अनुपात है उसके अनुसार है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : 4 आदमी उधर से बोलें और इधर से एक बोलें। यही लोकतंत्र की दुहाई देने वाली सरकार है तो हम चले जाते हैं। *I* am going.

श्री उपाध्यक्ष : तीन सदस्य सत्ता पक्ष की तरफ से बोलेंगे और एक इधर से बोलेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : चार बोलें हैं सत्ता पक्ष के और एक विरोधी दल का बोला है। आसन के ऊपर बैठने के बाद आपसे उम्मीद करूंगा कि आप हमारे साथ न्याय करें। हम आपसे न्याय की आशा रखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं न्याय ही कर रहा हूं। आप बैठिये। आपको भी अवसर मिलेगा।

श्री रामरघुनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रिमण्डल के सदस्य, मुख्य सचेतक आदि निकाल देने के बाद तो 2 और 1 का रेश्यो आता है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : कथनी और करनी में सामंजस्य रखना चाहिये। बोलने का अधिकार हम लोगों को भी मिलना चाहिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर, सर !

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आन ए पाईंट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : फर्माइये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इस सदन के अन्दर मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि बजट भाषण के समय सामान्य चर्चा के दौरान मुद्दे उठा सकते हैं। मैंने कहा था आप अपने मंत्रियों को निर्देश दीजिये कि सदन में उपस्थित रहें, गायब न हों। उन्होंने खुद कहा था कि कोई मंत्री गायब नहीं रहेगा। यह रिकार्ड में है। आप देख सकते हैं गृह मंत्री और वित्त मंत्री के अलावा किसी मंत्री का पता नहीं है। आप मंत्रियों को ताड़ना दीजिये। माननीय मुख्य मंत्री ने सदन को गुमराह करने की कोशिश की है····

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, यह संभव नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय मुख्य मंत्री जी को सोच समझ कर घोषणा करनी चाहिए। मेरा यही निवेदन है यह तो कह दें कि मंत्री उपस्थित रहेंगे। बजट के समय हर विभाग के ऊपर कहा जाता है···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : मुख्य बात पैसे की हो रही है, वित्त मंत्री महोदय बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में आप सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह पैसों का प्रश्न नहीं है। मंत्री अपने चैम्बर में बैठे हुए गप्पें मार रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सदन में राजस्थान की जनता की बात को सुनने का किसी में···

एक माननीय सदस्य: मंत्रियों को जोइंट रैस्पान्सिबिलिटी है···

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जोइन्ट है तो 20 मंत्री क्यों रखें, दो ही मंत्री रखते।

श्री उपाध्यक्ष : रामकृष्णदास जी, बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रासिंह : यह बात सही है जनता सरकार के यह मंत्री इस तरह विधान सभा को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कोई नहीं था···

(व्यवधान)

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं···

श्री दाऊदयाल जोशी : इस बात की पहले भी चर्चा उठ चुकी है। एक क्रम है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने यह व्यवस्था दे दी कि 3 और 1 के रेश्यो से बोलेंगे। मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि आज जो बोलने वाले हैं, जब तक वे सारे न बोल लें, तब तक क्या सदन की कार्यवाही बढ़ा देंगे ताकि हर बोलने वाला बोल सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दो दिन और शेष हैं। इसी तरह सदस्य बोलने वाले रहे तो बाद में सोच लेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : तो मैं मानकर चलूं कि तीन उधर से बोलेंगे फिर हमारा नम्बर है।

श्री उपाध्यक्ष : आसन की तरफ से जो समय निर्धारित किया गया है···

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम क्या मानकर चलें, आप साफ कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको निवेदन कर दिया है कि समय का जिस तरह से विभाजन किया गया है उसको देखते हुए यही क्रम रहेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हमारा गला घोटा जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : हर सदस्य को बोलने का अधिकार है। बजट में हर माननीय सदस्य को चर्चा में भाग लेने का अधिकार है।

श्री रामेश्वर लाल गूजर।

(अनुपस्थित)

श्री चिरंजीलाल गर्ग।

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसकी मैं भूरि भूरि प्रशंसा करूंगा....

एक माननीय सदस्य : भूरि भूरि प्रशंसा।

श्री चिरंजीलाल गर्ग : मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो लोग पहले इधर बैठे

(श्री चिरंजीलाल गर्ग)

हुए थे। तीस साल एक पार्टी को शासन करने का मौका मिला फिर भी उस प्रदेश की हालत गरीब रही। उनके लिये यह शर्म की बात है। आज गड़बड़ी की बात करते हैं। आपको वर्षों तक लगातार काम करने का मौका मिला था, आपको किसने रोका था गरीबी दूर करने के लिये? क्या आप इस साल के इन्तजार में थे? क्या आप इस बात का इन्तजार कर रहे थे कि जनता पार्टी आयेगी उसकी आप आलोचना करेंगे। आपने पहले इस काम को हाथ में क्यों नहीं लिया? किस ने रोका था? आज जब जनता पार्टी गांवों की ओर बढ़ रही है तो आपको सहन नहीं होता क्योंकि आपकी पैठ गांवों में नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : गांव में?

(व्यवधान)

श्री चिरंजी लाल गर्ग : इसी प्रकार उद्योगों की बात की गई, गांवों में चिकित्सालयों की बात कही गई। डेयरी विकास की बात की गई। यह कहा गया कि दूध की मात्रा अन्य स्थानों पर बढ़ेगी। नये डेयरी फार्म खोले जायेंगे। मैं पूछना चाहूंगा क्या इससे शहरी लोगों का जीवन उन्नत होगा? इससे किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। वे अधिक पशु रख सकेंगे और अपना स्तर ऊपर उठा सकेंगे।

इसी प्रकार से आप देखें; जनता पार्टी ने सहकारिता के माध्यम से अल्पकालीन और दीर्घकालीन कर्जे में भी बढ़ोतरी की है। उसके साथ साथ बजट में आश्वासन दिया है कि सारे ही गांवों को सहकारिता कार्यक्रम के अन्तर्गत अगले साल लाये जाने का कार्य पूरा किया जावेगा। क्या आप समझते हैं इससे हमारे किसान भाइयों का विकास नहीं होगा? इस तरह की बातें करके जनता को गुमराह करना शोभनीय नहीं है।

इसी प्रकार परियोजनायें जो राजस्थान में पूरी की जा रही हैं उनसे गांवों को ही निरन्तर लाभ मिलने वाला है। मैं समझता हूं सरकार की तत्परता का यह दिग्दर्शन है, इस प्रकार की योजनायें पूरी की जा रही हैं। सिंचाई के मामले में हमारी जनता सरकार ने बजट में बढ़ोतरी की है। इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई विभाग के जो लोग हैं उनको जाकर देखना चाहिए, सिंचाई के साधनों का सर्वे करना चाहिये और प्राथमिकता के आधार पर उनको पूरा करना चाहिये। इस पैसे का दुरुपयोग न हो इस बारे में अधिकारियों को कहा जाये।

इसी प्रकार से जिन गांवों के कुओं में सरकार ने बिजली पहुंचा दी है, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा उन गांवों में आटे की चक्की जो खोलना चाहते हैं उनको भी बिजली देनी चाहिये। अगर घरों में बिजली नहीं दे सकते हैं तो पोल्ट्री फार्म जो खोलना चाहते हैं उनको जल्दी से जल्दी बिजली के कनेक्शन देने चाहिये। घरों में भी बिजली पहुंचाने का ध्यान रखा जावे।

इसी प्रकार शिक्षित बेरोजगारों के सम्बन्ध में सरकार ने अपने बजट में प्रावधान रखा है। शिक्षित बेरोजगार रहते हैं, आज सरकार उनके बारे में विचारती है। आज तक आपने क्या किया। आज सरकार-

(श्री चिरंजीलाल गर्ग)

विचार करती है इन सब मुद्दों पर और आप कहते हैं कि जनता पार्टी का बजट दिशा शून्य है । आपने 30 सालों में कौन सा गांवों का बजट पेश किया था ? किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके इस जनता पार्टी के बजट में यह सब कुछ रखा गया है ।

इसी प्रकार लघु उद्योगों के बारे में 4.74 करोड़ के स्थान पर आज 9 करोड़ की राशि सरकार ने इस बजट में रखी है । इसी प्रकार मैं कहना चाहूंगा खादी ग्रामोद्योग के मामले में जितना प्रोत्साहन सरकार ने इस बार दिया है उतना पहले नहीं दिया गया । सन् 1947–48 से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये खादी की कितनी दुहाई देते थे लेकिन इन्होंने खादी का कोई विकास नहीं किया । आज हमारी सरकार ने इस पर भी ध्यान दिया है । जनता पार्टी ने आने के बाद कितना खादी को प्रोत्साहन दिया, यह सब माननीय सदस्य जानते हैं । सरकार ने इस बारे में अपनी पूरी जिम्मेदारी ली है । आज तक आपने गान्धीवाद के नाम पर अपने घर बनाये होंगे । गांधी जी के नाम पर आपने लाभ कमाने की कोशिश की है लेकिन आपने गांधीवाद के सारे सिद्धान्तों को ठुकरा दिया । आपको शर्म आनी चाहिये कि आज तक आपने खादी उद्योग पर कोई ध्यान नहीं दिया ।

इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा शिक्षा मंत्री जी से कि उन्होंने गांवों में स्कूल खोले हैं । आज ग्रामीण क्षेत्र में 485 प्राइमरी स्कूल खोलने का सरकार ने निश्चय किया है । मैं समझता हूं ग्रामीण क्षेत्रों में आज 5–5, 6–6 स्कूल खुल सकेंगे । इस प्रकार शिक्षा की तरफ भी गांवों में ध्यान दिया गया है । आज तक ग्रामीण शिक्षा के अभाव से शिक्षा से वंचित चलते आ रहे हैं । आज जो सरकार ने ग्रामों में शिक्षा का उत्थान किया है, वह उल्लेखनीय है । उससे ग्रामीण भाइयों को बहुत लाभ मिलेगा । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अजमेर शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अजमेर में एक गवर्नमेन्ट कालेज है उसमें चार हजार के करीब छात्र-छात्रायें पढ़ती हैं इसलिये आप एक दूसरा कालेज खोलने की कोशिश करें । अजमेर इतना बड़ा पुराना शहर है और शिक्षा की दृष्टि से अग्रणी रहा है इसलिये आज वहां दूसरा कालेज खोलने की आवश्यकता है । सरकार पूरी बिल्डिंग नहीं बना सकती है तो सावित्री कालेज में जो प्रशासक बैठा रखा है उसको अपने हाथ में लेकर वहां हमारी बहनों की शिक्षा की अलग से उचित व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये । मैं आपके माध्यम से यह बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं ।

इसी प्रकार चिकित्सा की दृष्टि से जो प्रावधान रखा है और पंचायत समितियों में जो चिकित्सा केन्द्र खोलने की बात कही है, 296 उप केन्द्र खोलने की बात कही है उससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा का कितना लाभ होगा । यह भी हमारी सरकार ने ध्यान में रखा है । बजट में काफी ग्रामीणों के उत्थान की बात कही गई है लेकिन आप केवल लोगों को गुमराह करने की ही बात करते हैं । मैं चिकित्सा की दृष्टि से एक बात और

(श्री चिरंजीलाल गर्ग)

कहना चाहूंगा। आज वैद्यों के लिये जरूरत से ज्यादा शोर मचाया जाता है लेकिन जब वे इलाज करते हैं तो एलोपैथिक दवाइयां काम में लेते हैं। यह बड़े दुःख की बात है। इससे आयुर्वेद से विश्वास उठता जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज आप अनुसूचित भाइयों की ओर भी देखें। उनके लिये गांवों में अधिक से अधिक होस्टल बना कर सुविधा देनी चाहिये।

इसी प्रकार आपने देखा, राज्य कर्मचारियों की पेन्शन में वृद्धि जनता पार्टी की सरकार ने की है। आप कहिये कौनसा क्षेत्र बचा है जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग को राहत नहीं मिली हो।

मैं यह सारी बातें कहने के बाद सेल्स टैक्स के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में कहा है कि सेल्स टैक्स खतम करेंगे। मैं यह कहूंगा जब तक हम सेल्स टैक्स को खतम नहीं करेंगे तब तक हमारे घोषणा पत्र की पूर्ति नहीं होगी। हमको सेल्स टैक्स को हटाना होगा। सूती कपड़े के बने वस्त्र का काम जो छोटे उद्योग के रूप में चलता है, उसको इन्क्लूड करके गरीब जनता के साथ ज्यादती की है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा जो सूती कपड़े के रेडीमेड क्लॉथ हैं उनको पिछले साल इन्क्लूड किया था, उसको सेल्स टैक्स के मद में से निकाल देना चाहिये।

इसी प्रकार हलवाइयों के बारे में कहना चाहूंगा। सेल्स टैक्स की रिकवरी हमें इनसे बहुत कम होती है। वे 'सी' फार्म के माध्यम से 1 पर्सेन्ट के आधार पर जो चीजें खरीदते हैं उससे हलवाइयों को लाभ मिलता है। इसलिये मैं कहूंगा बिक्री कर के स्थान पर कोई लाइसेन्स प्रणाली निकाली जावे तो इससे अधिक आय होगी और भ्रष्टाचार से भी बचा जा सकता है।

सेल्स टैक्स की दरें जो ज्यादा कर रखी हैं, वह कम करें। इससे भी हम भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं। आज भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इसलिए उसको कम करने की आवश्यकता है। कम से कम दो प्रतिशत की स्थिति में लाकर रख दें तो मैं समझता हूं सेल्स टैक्स की आय में कमी नहीं आयेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये कर्जा दिया जाता है। पहले बने बनाये मकान खरीदते थे, उन पर भी सरकार कर्जा देती थी। अब वह बन्द कर दिया। मैं यह कहना चाहूंगा जो लोग 5–5, 6–6 हजार रुपये अर्नेस्ट मनी के रूप में इस मद में दे चुके हैं अगर आज सरकार उनको कर्जा नहीं देगी तो जो साधारण तबके के लोग हैं वे मकान नहीं बना सकेंगे। उनके 5–5, 6–6 हजार रुपये डूब जायेंगे। इस मद पर भी सरकार ध्यान देकर कुछ करे। इसके लिये आवश्यक जांच पड़ताल कर लें और उनको कर्जे के रूप में राशि प्रदान करें। मैं समझता हूं सरकार को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी, बल्कि जिन

(श्री चिरंजीलाल गर्ग)

लोगों ने इस मद में रुपया इन्वेस्ट किया है, उनको मदद मिल जायेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप बने बनाये मकानों की खरीद पर भी राज्य कर्मचारियों को कर्जा दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो सरकार ने बजट पेश किया है वह काफी उत्साहवर्द्धक है। मैं समझता हूं हर वर्ग के लोग इसकी प्रशंसा करेंगे। आज सरकार का सारा का सारा बजट गांवों के हित में लगा है। ट्रैक्टर और ट्रोली पर भी एक पर्सेन्ट का टैक्स कम किया है और कृषि उपकरणों पर जो टैक्स है उसको भी हमारी सरकार हटा देना चाहती है। हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसके लिए उनको फिर से धन्यवाद देकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशलाल।

श्री गणेश लाल (हिन्डोली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसके समर्थन में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। एक अच्छा बजट वह बजट होता है जिससे रोजगार के अवसर बढ़े, विकास की गति बढ़े और प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़े। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में प्रशिक्षित लोगों की बेरोजगारी को खतम करने के लिये प्रावधान रखा गया है और शिक्षित लोगों की बेरोजगारी को भी समाप्त करने के लिये प्रावधान रखा गया है। गांवों के विकास करने की जो बात जनता पार्टी की सरकार ने रखी है, उसको भी पूरा करने का वायदा इस बजट में किया है। इसके साथ साथ किसानों की स्थिति को भी सुधारा जायगा. यह बात भी इस बजट में कही गई है। ढाई हैक्टेयर जमीन पर लगान माफ करके किसानों को सुविधा दी जा रही है। ट्रैक्टर ट्रोली का टैक्स 840) रुपयों से घटा कर 450) रु. किया गया है। दूसरे छोटे मोटे उपकरण हैं उन पर भी टैक्स नहीं लगाने की बात इस बजट में कही गई है। इन सारी बातों के होते हुए भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

सहकारिता के क्षेत्र में बजट में स्पष्ट स्थिति नहीं आ सकी है। वैसे एक बात बताई गई है कि सहकारिता के माध्यम से अल्पकालीन ऋण दिये जायेंगे, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण भी काश्तकारों को उपलब्ध कराये जाते रहेंगे। मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टतया निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारिता समाजवाद का एक अंग है जिसके माध्यम से हम गरीब तबके को लाभ पहुंचाना चाहते हैं और उसके आधार पर सही प्रकार से सेवा करना चाहते हैं। लेकिन इस बजट में केवल यही बात कही गई है कि इतने प्रकार का कर्जा काश्तकारों को दिया जाएगा। मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बात कही गई थी कि गंगानगर शुगर मिल को 1 करोड़ 62 लाख की मदद दी जाएगी। राज्य सरकार का ध्यान मैं एक मात्र सहकारी मिल, सहकारी शुगर मिल, जो बूंदी जिले में है, की तरफ खींचना चाहूंगा। सहकारिता के क्षेत्र में यह मिल है किन्तु न तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात पर विचार

(श्री गणेशलाल)

किया गया और न ही इस बजट में ध्यान दिया गया है कि इस मिल को किस तरह से सुधार कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान भर में यही एक सहकारी उद्योग है जिसके मार्फत, जिसके माध्यम से हम काश्तकारों को लाभ पहुंचाते रहे हैं। आज से करीब 12–13 वर्ष पहले इस मिल का रजिस्ट्रेशन हुआ था। आज भी यह मिल चल रही है लेकिन आज इस मिल की यह स्थिति है, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, इस मिल में मैनेजिंग डायरेक्टर सरकार के द्वारा भेजे हुए हैं। इस का संचालक मण्डल सरकार के द्वारा मनोनीत किया हुआ है। आज ही नहीं बल्कि जब से इस मिल का रजिस्ट्रेशन हुआ है तब से लेकर अब तक इस मिल के चुनाव नहीं हुए हैं। चुनाव नहीं होने का मूल कारण यह रहा है कि जिन लोगों ने सहकारिता में योग देकर, शेयर लेकर इस सहकारी मिल की स्थापना की, उनको अलग करके उस समय जो राजनैतिक प्रभाव वाले लोग थे वे ही मिल के संचालक मण्डल में चुन कर आ गए और आज तक वही लोग हैं। इसका नतीजा यह निकला कि यह मिल धीरे-धीरे नुकसान की ओर जाती रही। आज, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि यह मिल अन्तिम स्थिति में खड़ी हुई है। यदि इस मिल को नहीं सम्भाला गया तो यह मिल खतम होने की स्थिति में है। आज मैनेजिंग डाइरेक्टर जो मिल में बने हुए हैं वे एक आई. ए. एस कैडर के अधिकारी हैं। उन्होंने किस प्रकार से इस मिल को घाटे में डाला है, इसके बारे में मैं थोड़े में निवेदन करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मिल के शेयर होल्डर काश्तकार हैं। लेकिन स्थिति आज यह हो रही है कि चालीस हजार एकड़ में गन्ना बूंदी जिले में मौजूद है लेकिन दुःख की बात है कि मिल के आम सदस्यों की तरफ ध्यान नहीं देकर उनका ध्यान केवल मात्र इस मिल पर केन्द्रित है जो कि उनके द्वारा अलग से बनाई हुई है। सहकारिता मंत्रीजी, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि देवली के पास बनस्थली में उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र के नाम पर एक सहकारी मिल बना रखी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनकी मिल को बनाने के लिए गारा कहां से आया, मिट्टी कहां से आई, चूना कहां से आया है, इसका यदि आप प्रमाण चाहते हों तो मैं, सहकारिता मंत्रीजी, आपको प्रमाण दे सकता हूं। आज सहकारी मिल के विकास की ओर मैनेजिंग डायरेक्टर का ध्यान नहीं है। उनका ध्यान इस बात पर नहीं है कि उनकी मिल किस प्रकार से चले। इसके साथ साथ काश्तकारों के साथ अन्याय किया जा रहा है, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, काश्तकारों का गन्ना नहीं लिया जा रहा है। चालीस हजार एकड़ में गन्ना होने के बाद भी कुछ क्षेत्रों का गन्ना लिया जा रहा है जब कि यह मिल सारे जिले की है। अभी 26 तारीख को संचालक मण्डल ने यह निर्णय लिया है कि 120 ट्रक रोजाना इस मिल की कैपेसिटी है इसलिए इतना ही गन्ना किसान यहां बेच सकते हैं। मिल लगाते समय यह बात स्वीकार की गई थी कि सारे जिले का गन्ना बराबर लिया जाएगा लेकिन अब नहीं लिया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी तीन चार दिन पहले समाचार

(श्री गणेशलाल)

पत्रों में एक समाचार पढ़ा उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय सहकारिता मंत्री महोदय के इशारे से या यों कहिए कि उनके नाम से पत्रों में निकाला गया है कि केवल मात्र उस मिल के आस-पास के क्षेत्र का गन्ना ही लिया जाएगा, जिले के बाकी काश्तकारों का गन्ना नहीं लिया जाएगा। यह अखबारों में ही खबर नहीं छपी बल्कि आकाशवाणी से भी प्रसारित हुई है। यदि यह समाचार सही है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं सहकारिता मंत्रीजी से कि किस आधार पर उन्होंने यह समाचार दिया है ? यदि यह समाचार सही नहीं है तो इसका खण्डन करना चाहिए। इसके साथ साथ एक और बात भी निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हमको सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ाना है तो दिशा निर्देश देना चाहिए, हमको आधार ढूंढना चाहिए कि किस आधार पर हम काम करना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारा बूंदी सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक राजस्थान के प्रथम बैंकों में माना जाता है। पिछले कई वर्षों से यह बैंक प्रथम आता रहा है। जैसा मैंने निवेदन किया कि जिन स्थानों पर आई. ए. एस. अधिकारी हैं, आर.ए.एस. अधिकारी या दूसरे कोई अधिकारी हैं और जो ईमानदारी से काम करते हैं उनसे हमको कोई दिक्कत नहीं है, उनको भेजा जावे। लेकिन हमारा अनुभव उल्टा रहा है। एक सहकारी मिल में आई. ए. एस. अधिकारी के होते हुए हमको क्षति हुई है इसलिए हमको विश्वास नहीं है। हम लगातार यह सुनते आ रहे हैं कि राज्य सरकार की यह नीति रही है कि सारे के सारे केन्द्रीय सहकारी बैंकों में सरकारी अधिकारी भेजे जावें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपका विचार ऐसा हो तो फिलहाल स्टेट कोआपरेटिव बैंक, जो बूंदी में है, में आप इनको नहीं भेजें। यदि इस तरह के अधिकारी के काम करने के बाद हमारा विश्वास जमेगा तो हम फिर उनका स्वागत करेंगे।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह तय किया है कि राजस्थान में सहकारिता आन्दोलन के मार्फत सहकारी समितियों के सदस्यों की संख्या बढ़ायेंगे। इस सम्बन्ध में एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो सहकारिता में संख्या बढ़ाई जा रही है यह संख्या बढ़ाने मात्र से सहकारिता को बल नहीं मिलने वाला है। सदस्यों की संख्या के बढ़ाने के साथ साथ सदस्यों को सहकारिता की शिक्षा देने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। यदि यह व्यवस्था नहीं की जाती है तो इसका नतीजा यह होता है कि ऐसे लोगों को सदस्य बना लिया जाता है जो सहकारिता की रीति नीति नहीं समझते, सहकारिता का मतलब नहीं समझते। केवल मात्र छोटा मोटा लोन देकर, उनको कुछ कर्जा दिया जाएगा, यह लोभ देकर उनको मेम्बर बना लिया जाता है। वे लोग कुछ भी नहीं समझते हैं। कुछ लोग सोसायटी पर हावी हो जाते हैं। वे लोग सोसायटी से नाजायज. . .

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

फायदा उठाते हैं और आखिर में वह सोसायटी डूब जाती है। मान्यवर उपाध्यक्ष महो-

(श्री गणेशलाल)

दय, इस दृष्टि से मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और शिक्षा की दृष्टि से भी सहकारिता का प्रचार करना चाहिए।

एक बात अन्त्योदय के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। बहुत से सदस्यों ने इसकी आलोचना की है। अन्त्योदय योजना का जो कार्यक्रम है उसको महात्मा गांधी शुरू करना चाहते थे। उसी अन्त्योदय योजना को जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। महात्मा गांधी का विचार था कि देश में अगर समाजवाद लाना है, पूर्ण आजादी लानी है, तो हमको गांवों की ओर देखना होगा। देखना ही नहीं होगा गरीब की झोंपड़ी तक पहुंचना होगा। हमने विचार किया कि अन्त्योदय योजना के माध्यम से गांव के उस गरीब तक पहुंचा जाय, उस गरीब व्यक्ति को इस योजना में लिया जाय जिसको एक टाइम का खाना तक नहीं मिलता है। लेकिन इसका भी विरोध किया जा रहा है और वह विरोध भी उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो अपने आपको महात्मा गांधी का चेला कहते हैं। उन लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है जो अपने आपको महात्मा गांधी का शिष्य कहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि खादी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो, खादी की उन्नति हो, खादी उद्योग पनपे ताकि गरीबों को रोजी मिल सके। अन्त्योदय योजना को लेकर....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हम गांव गांव में गए हैं। इससे लोगों के मन में विश्वास जमा है। हमने गांवों में जाकर ईमानदारी से पांच पांच व्यक्तियों को चुना है। यह भी बात कही जा रही है कि एक गांव में पांच व्यक्ति चुने जा रहे हैं तो कितने वर्षों में अन्त्योदय योजना में सारे गरीब व्यक्तियों को लिया जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी पक्ष के माननीय लोगों को बताना चाहता हूं कि यह योजना कोई 62 करोड़ लोगों के लिए नहीं है...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हमको इस योजना में उन लोगों को ही लेना है जो भूखे हैं, जो नंगे हैं। जिनके पास काम नहीं है उनको काम देना है। यदि आप अन्त्योदय योजना में आना चाहते हैं तो इन्तजार करें।

मद्य समाज की बुराई है। उसको समाप्त करने के लिए इस पर टैक्स बढ़ाया है, वह उचित ही है।

साथ ही साथ खादी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए जो टैक्स एक्जेम्प्शन दिया गया है, वह भी ठीक है।

कुल मिला कर यह बजट प्रगतिशील बजट है और राजस्थान की जनता को रोटी-रोजी देने वाला है। उनकी समृद्धि करने वाला है। मैं इस बजट का हृदय से स्वागत करता हूं और वित्त मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उगम राज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने एक ही ओर से तीन नाम पुकार लिए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दो ही व्यक्ति बोले हैं। आप धैर्य रखिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : धैर्य की सीमा होती है। आपने जिनका नाम पुकारा पहले वे तो नहीं थे।

श्री उपाध्यक्ष : आपका भी अवसर आ रहा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप अहसान तो नहीं करेंगे।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के उधर जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, जो इस बजट को ढकोसला बता रहे हैं, मैं उन से निवेदन करना चाहता हूं कि वे जो बीस सूत्री कार्यक्रम की प्रशंसा कर रहे थे, मैं उसके लिये चैलेन्ज करता हूं। आपने बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जवाजा पंचायत समिति के अन्तर्गत 1100 प्लाट गरीब किसानों, मध्यम वर्ग के और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को 105 रुपये लेकर दिए थे। उन लोगों से रुपये तो आपने ले लिए किन्तु उनको आज तक आपने कब्जा नहीं दिया है। सरकार के सामने, विधान सभा के सामने वहां की जनता ने धरना दिया था। आपने उनको यह आश्वासन दिया था कि जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा लेकिन आज तक कब्जा नहीं दिया गया। वे 1100 प्लाट कहां गये ? यह सब आपकी कागजी कार्यवाही थी। धोखा मात्र था। फिर कैसे बीस सूत्री कार्यक्रम की आप तारीफ कर रहे हैं ?

परिवार नियोजन की बात आप लीजिए। कोटड़ा कांड की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां की औरतों के ऊपर डंडे चलाये गये। मर्दों को नामर्द कर दिया और उसी का यह नतीजा है कि आपको उधर बैठना पड़ रहा है। लोगों को गुमराह करने के लिए यह बीस सूत्री कार्यक्रम आपने हाथ में लिया था, परिवार नियोजन का कार्यक्रम हाथ में लिया था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ग्राम विकास की ओर, ग्रामीणों के विकास की ओर इस बजट में ध्यान दिया है। यह पहली जनता सरकार है जिसने ग्रामों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पेयजल की समस्या की ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। ब्यावर में पेयजल की समस्या बहुत ही गंभीर है। पहले भी कई बार, कांग्रेस के राज्य में जो भी मुख्य मंत्री ब्यावर आते थे वे यह कहते थे, ब्यावर की पेयजल समस्या का निवारण जल्दी ही करेंगे। सुखाड़िया जी आये और चले गये। जोशी जी आए, चले गये। बरकत साहब आए, उन्होंने भी कहा, सबसे पहले ब्यावर की जल समस्या का निवारण करूंगा और बाद में पानी पीऊंगा। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता परन्तु मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि ब्यावर की इस गंभीर पेयजल समस्या की ओर वे ध्यान दें। कारण कि पेयजल समस्या ऐसी है उसके कारण दूसरे उद्योग धंधे वहां पर नहीं खुल रहे हैं।

इसके साथ ही मैं उद्योग मंत्री का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं। दिग्विजय सीमेन्ट फैक्ट्री को ब्यावर में सीमेन्ट फैक्ट्री लगाने के लिये भारत सरकार ने एक

Page No 72

(72)

(श्री उगमराज मेहता)
आशय पत्र दिया है। वह पत्र आपके पास भी आया होगा। रेलवे ने भी क्लियरेन्स दे दिया है परन्तु इस दिग्विजय सीमेन्ट फैक्ट्री की सबसे बड़ी जो समस्या है वह पानी की है। उसकी पांच लाख गैलन पानी की प्रति दिन की आवश्यकता है। यह एक समस्या है और यह इसमें बाधा है। पानी की समस्या को हल करने के लिए पहले भी स्कीम्स बन चुकी हैं। तीन तीन स्कीम्स बनाई गई थीं। एक योजना यह बनी थी कि ब्यावर में आसीन्द से पानी लाया जाए। आसीन्द से पानी लाने की योजना बनी थी परन्तु उस समय ऐसा वातावरण था कि उस स्कीम को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया क्योंकि व्यासजी ने यह कहा था कि यह पानी मेरी लाश पर ही जाएगा। ऐसा तो मैं नहीं कहना चाहता हूं परन्तु इसके अलावा एक स्कीम और है। सेंदड़ा से पाइप लाइन डाल कर पानी सप्लाई किया जाए और इसको रायपुर लूणी बैल्ट से जोड़ा जाए। इसको पाइप लाइन से जोड़ा जाए। ज्योलोजिस्ट की भी रिपोर्ट है, वहां पर अन्डर ग्राउण्ड वाटर है। जिस प्रकार जोधपुर को मथानियां से पाइप लाइन द्वारा जोड़ा गया है, वह जोधपुर से 18 मील की दूरी पर है और चार महीने की अवधि में उसको पाइप लाइन से जोड़ दिया गया था, उसी प्रकार ब्यावर को भी बड़ी पाइप लाइन से सेन्दड़ा, निम्बाज, लीलरी बेल्ट से जोड़ा जाए। यह दस मील का टुकड़ा है और 6 महीने के अन्दर इसे पाइप लाइन से जोड़ा जा सकता है....

श्री मूलचन्द डागा : यहां पर कहने से यह जुड़ने वाला नहीं है। अन्दर कहो। यहां पर पानी की आवाज पर लोग हसेंगे। यह तो आपकी सरकार है। अपनी पार्टी को कहो।

श्री रतन लाल वर्मा : ये माननीय सदस्य क्यों बार बार बीच में बोलते हैं। इनको रोका जाय।

श्री उगमराज मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सीमेन्ट फैक्ट्री यदि ब्यावर में लग जाती है तो इससे सरकार को चार करोड़ रुपये की आमदनी होगी और एक हजार आदमियों, मजदूरों को काम मिलेगा, उनका पेट भरेगा। यह तो इसके पहले फेज में होगा। दूसरे फेज में करीब 911.44 लाख रुपये की सरकार को आमदनी होगी और एक हजार मजदूरों तथा 500 शिक्षित बेरोजगार परिवारों को काम मिलेगा। मैं इसलिए उद्योग मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया इस ओर प्रयास करें और यह सीमेंट फैक्ट्री जल्दी से जल्दी वहां पर लगाने की मेहरबानी करें। दूसरे, मैं वहां पर एक मिनी प्लान्ट सीमेन्ट का लगाने का निवेदन करना चाहता हूं। यह वहां पर लग सकता है। दो तीन उद्योगपति भी आपसे मिल चुके हैं। इसका आशय पत्र भी आ रहा है। इससे हजार, दो हजार व्यक्तियों को काम मिल सकता है। सीमेन्ट फैक्ट्री लगने से अन्त्योदय की योजना के अन्तर्गत लोगों को सहायता मिलेगी, हजारों मजदूरों को काम मिलेगा और परिवारों का पालन पोषण होगा इसलिए इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं डेयरी विकास की ओर भी मंत्री महोदय

(श्री उगमराज मेहता)

का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो क्रास बीड गाएं हैं, उनका दूध तो बढ़ा है परन्तु उसमें फैट कम है इसलिए किसान को दूध की कीमत कम मिलती है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके दूध की कीमत बढ़ाई जाय ताकि किसानों को राहत मिले और डेयरी का ज्यादा विकास हो।

उद्योग मंत्री महोदय को एक और निवेदन करना चाहता हूं। ब्यावर में तीन मिलें हैं। दो ब्यावर में एक विजय नगर में। इन मिलों में 49% राजस्थान गवर्नमेंट के शेयर हैं और 51% सेन्ट्रल गवर्नमेंट के शेयर हैं। परन्तु ब्यावर की इन दो और विजयनगर मिलों में दस लाख रुपये प्रति माह का नुकसान हो रहा है। यह क्यों हो रहा है ? यह आपकी जिम्मेदारी है कि यह नुकसान इनमें क्यों हो रहा है ? मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और हर महीने जो दस लाख रुपयों का नुकसान हो रहा है, उसको रोका जाय। दूसरी ओर कृष्णा मिल है जो प्राइवेट है और वह कमाती जा रही है। इसकी ओर ध्यान दीजिए। पांच हजार टन कोयला हर महीने वहां पर आता है। मिलों में आता है, व्यापारी भी लाते हैं परन्तु 10% कोयला आगरा में चोरी हो जाता है। इस प्रकार 75 हजार रुपये की चोरी होती है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आगरा के ऊपर चेकिंग होनी चाहिए ताकि कोयले की चोरी न हो। यह समस्या केवल ब्यावर की नहीं है। कोयले की चोरी सारी जगह होती है। जयपुर में भी कोयला आता है। यहां भी आता है। यह सब को विदित है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान विद्युतीकरण की ओर भी दिलाना चाहता हूं। पिछले 30 सालों में ब्यावर के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की लाइन नहीं खींची गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप विद्युत के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण का ध्यान रखें। ग्रामों में उद्योग धन्धे लगें, इसके लिये सबसे पहली आवश्यकता यह है कि विद्युतीकरण का ध्यान रखें। विरोधी पक्ष की बेंचों पर बैठने वाले माननीय सदस्य चिल्ला रहे थे कि जनता पार्टी की सरकार को 8 महीने हो गये हैं लेकिन कुछ नहीं किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि 30 साल में आपने क्या किया है ? उस समय के राजस्व मंत्री जी ने जमीन की गड़बड़ी की है।

श्री मूलचन्द डागा : ओ हो हो।

श्री उगमराज मेहता : मैं निवेदन करूंगा कि कोसेलाव में लीलकी का फार्म है। उन्होंने अपने नाबालिग पुत्रों और पत्नी के नाम से गड़बड़ियां की हैं। मैं माननीय खेतसिंह जी से पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया है। उनकी जमीन के पड़ोस में सरकारी ट्यूब वैल है। वहां जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग अपने मटके भरने के लिये आते हैं उनसे आठ आठ आने पैसे लेते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग पानी भरने आते हैं तो उनसे आठ आठ आने पैसे लेते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : कौन लेता है ?

श्री माधोसिंह (रेवदर) : यह आपने बयान दिया है। आपको सरकार के सामने इस बयान के लिये गवाही देनी होगी।

Page No 74

(74)

श्री उगमराज मेहता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि पिछले दस वर्षों में एक भी स्कूल नहीं खुला परन्तु जनता सरकार के आने पर मेरे ग्रामीण क्षेत्र में 3 स्कूल खुले हैं। शहरी क्षेत्र में भी एक दो स्कूल खुले हैं।

आखिर में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान में...

श्री प्रद्युम्नसिंह : ऐसा लगता है, छोटे दलों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। इसलिये मैं इसके विरोध में वाक आउट करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया महिला सदस्या का ध्यान रखें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं निवेदन करूंगा कि इतने लोग बोल चुके हैं। मेरे दल का कोई ध्यान नहीं है। I protest and I walk-out मैं वाक आउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री खेतसिंह राठौड़ का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य बोले थे, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि जो पानी भरने आते हैं, उनसे मैं आठ आठ आना पैसे लेता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि वह ट्यूब वैल मेरा नहीं है। वह सरकार का है। मेरा अलग बिल आता है। 800 या हजार रुपये का मेरा बिल आता है। उसी में से वन विभाग भी पानी लेता है। उसका उनको चुकाना पड़ता है। डिपार्टमेंट सबसे पैसा लेता है। मैंने कोई पैसा नहीं लिया है। मैं तो खुद पानी लेता हूं, उसका पैसा देता हूं। ऐसे बिना जाने बूझे चार्जेज नहीं लगायें। यही मैं निवेदन करता हूं।

श्री बालकृष्ण यामवी : क्या आपने अपने भाई की जमीन में ट्यूब वैल नहीं बनवाया है? क्या यह सही नहीं है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जिस जमीन में ट्यूब वैल बना हुआ है, वह मेरा नहीं है। वह ट्यूब वैल सरकारी विभाग का है। सरकारी दर से लोगों को पानी मिलता है। ट्यूब वैल 104 हैं। राजस्थान में है। माननीय सदस्य, जो चले गये हैं, जानते हैं। बाड़मेर में है, जैसलमेर में है, जोधपुर में है। कई जिलों में है। जो उससे पानी लेते हैं, वह नियमानुसार बिल देते हैं। उसका डिपार्टमेंट के पास रिकार्ड रहता है। उसके अनुसार चार्ज करते हैं। इसके बारे में आपको कोई आपत्ति होने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : इनके खेतों के पास में है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपको शर्म आनी चाहिए। आपने बिल्कुल झूठ कहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वर्मा जी, आप विराजिये।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : जब यह ट्यूब वैल खोदा गया है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्रीमती मदनकौर।

श्रीमती मदनकौर : माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान में जनता पार्टी की सत्ता कायम होने के बाद लगातार दूसरे वर्ष के बजट में जनता पार्टी की सरकार की आर्थिक नीति परिलक्षित नहीं होती। ऐसा प्रतीत होता है कि यह राज्य सरकार दिशाविहीन होकर, चुनाव में किये गये बड़े बड़े वायदों से विमुख होकर केवल विगत कांग्रेस सरकार के आर्थिक कार्यक्रमों को नया नामकरण देकर जनता में लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास कर रही है। गत वर्ष जिस जनता पार्टी के सत्ताधारियों ने एक सामान्य सत्ता के परिवर्तन को एक महान अहिंसक क्रान्ति की संज्ञा दी, मैं कहना चाहूंगी, उस अहिंसक क्रान्ति के क्रम में, दूसरे वर्ष में भी इस सरकार ने राज्य को तीव्र गति से प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिये जनकल्याणकारी कार्यों के सम्बन्ध में और शासन प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने के बारे में कुछ भी नहीं किया है। श्रीमन्, हमारे संविधान में एक सरकार की अपनी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता और रीति नीति को जनता के सामने परीक्षण के लिए रखने के लिये पांच साल की अवधि निर्धारित है। मुझे दुःख है कि यह जनता पार्टी की सरकार एक बड़ी अवधि यह कहने में गुजार देगी कि इस प्रदेश की सारी समस्याएं और अभाव पिछले 30 वर्ष के कांग्रेसी शासन के कारण हैं या एक बहुत बड़ी अवधि यह पश्चाताप करने में गुजार देगी कि सत्ता प्राप्ति में उन्हें इतना विलम्ब क्यों हुआ। मैं कहना चाहूंगी, जिस सरकार को अपने दायित्वों का बोध ही नहीं है उस सरकार से आर्थिक विकास की, जनकल्याण की आशा करना ही निरर्थक है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मद्य निषेध जनता पार्टी की नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे प्रदेश की जनता पार्टी ने भी उसे अंगीकार किया है। यदि सरकार का मद्य-निषेध में विश्वास है तब फिर इस वर्ष के बजट में मदिरा की आय में बढ़ोत्तरी का क्या औचित्य है ? मैं बताना चाहती हूं कि इस वर्ष के बजट अनुमानों में लगभग 6 करोड़ के अतिरिक्त साधन जुटाने का प्रस्ताव किया गया है, उस 6 करोड़ में लगभग सारी ही आमदनी मदिरा से प्राप्त होगी। क्या इन कर प्रस्तावों के द्वारा राज्य सरकार की मद्य–निषेध की नीति के सम्बन्ध में शंका नहीं होती। राज्य के 62 प्रतिशत क्षेत्रफल में नशाबन्दी लागू कर दी गई है या चालीस प्रतिशत जनता मद्य-निषेध के अन्तर्गत आ गई है या शराब मंहगी कर दी गई है, सरकार यह कह कर जनता को, इस तरह से प्रदेश की जनता को भुलावे में डाल रही है। गत वर्ष में गंगानगर की एक सभा में माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने यह कहा था कि

(श्रीमती मदन कौर)

यदि आबकारी से होने वाली आय के बराबर कोई आमदनी का स्रोत मिल जाय तो वे राज्य में पूर्ण मद्यनिषेध की नीति लागू करने के लिए तैयार हैं। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी के उस वक्तव्य को आज के बजट प्रस्तावों के परिप्रेक्ष्य में आंका जाय तो आपको निश्चित रूप से यह आभास होगा कि यह राज्य सरकार राज्य में पूर्ण रूप से मद्यनिषेध की नीति के पक्ष में नहीं है। आबकारी से होने वाली आय में इस प्रकार बढ़ोतरी की गई और इस सरकार से इस बढ़ती हुई आय का मोह नहीं छोड़ा जायगा तो प्रदेश में पूर्ण नशा निषेध की नीति कोरी कल्पना मात्र ही बनकर रह जायगी। इसी सम्बन्ध में राज्य सरकार से यह भी निवेदन करना चाहती हूँ कि क्या जिन क्षेत्रों में आज पूर्ण नशाबन्दी लागू है वहां पर नशाबन्दी प्रभावी है? राज्य सरकार इसका उत्तर हां में दे सकती है लेकिन इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि जिन क्षेत्रों में नशाबन्दी लागू है वहां नशाबन्दी प्रभावी नहीं है। इसकी वजह यह है कि मद्यनिषेध को लागू करने का कार्य ऐसे व्यक्तियों के हाथों में सौंपा गया है जिनका इस नीति में विश्वास नहीं है, इस नीति में आस्था नहीं है। वे तो केवल औपचारिकता के लिए ही इस काम को कर रहे हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार को यह सुझाव देना चाहती हूं कि अगर वह मद्यनिषेध की नीति लागू करना चाहती है तो मद्यनिषेध कार्यक्रम को संचालित करने का काम ऐसे व्यक्तियों और वर्ग को सौंपना चाहिए जिनकी पूर्ण नशाबन्दी की नीति में आस्था है और जो इस नीति के अन्तः से पक्ष में हैं।

उपाध्यक्ष जी, आज पश्चिमी क्षेत्र से एक पृथक् मरु प्रदेश के बनाये जाने की मांग की जा रही है। मेरा विश्वास है इसके पीछे वहां की जनता की कोई पृथकतावादी नीति नहीं है।

श्री श्रवणलाल (खिण्डौन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्यों द्वारा हाउस में चिट्ठी लिखना उचित नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्या चिट्ठी लिख रही हैं, वह किस को लिख रही हैं और क्या लिख रही हैं, उनको रोका जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य बतायेंगे कि किन नियमों के अन्दर व्यवस्था का प्रश्न है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मैं भाषण लिख रही हूँ, अपने नोट्स बना रही हूं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह माननीय सदस्या के विचारों के तारतम्य को तोड़ने का षड्यंत्र है।

श्रीमती मदन कौर : मैं निवेदन कर रही थी, उपाध्यक्ष महोदय, मरुप्रदेश की मांग के पीछे कोई पृथकतावादी नीति नहीं है। मरुप्रदेश की कुछ विशिष्ट समस्याएं रही हैं और उन समस्याओं का समाधान राज्य के दूसरे क्षेत्रों के मापदण्ड से नहीं किया जा सकता। पेयजल, सड़कों का निर्माण, कृषि पशु-पालन, दुग्ध उत्पादन, औद्योगीकरण, चिकित्सा, शिक्षा सहकारी कर्ज की व्यवस्था इन सब मुद्दों

(श्रीमती मदन कौर)

पर अलग मानदण्ड से विचार करना चाहिए और मानदण्ड के आधार पर राज्य के बजट में पर्याप्त धनराशि आवंटित की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, यह बात सही है कि तीस वर्षों की आजादी के बाद अब तक भी मरु क्षेत्र का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि वह क्षेत्र जीवन की न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं से वंचित रहा लेकिन इसके कुछ विशिष्ट कारण रहे हैं, कुछ विशिष्ट परिस्थितियां रही हैं। केवल पिछड़ेपन के लिए पश्चिमी क्षेत्र के भूतपूर्व मंत्रीगणों को दोषी ठहराया जाना उचित नहीं होगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस शताब्दी के भयंकर अकाल पिछले दस-पन्द्रह वर्षों में पड़े हैं और उन वर्षों में तत्कालीन राज्य सरकार ने उस क्षेत्र के लोगों को जीवित रखने के लिए जिस तत्परता से, जिस उदारता से, सक्रियता से और सूझ-बूझ से कार्य किये उसी की वजह है कि वह क्षेत्र आज आबाद रह सका। यह मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पिछली सरकार को दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है। यह कहकर इस क्षेत्र की निरंतर उपेक्षा करें, यह उचित नहीं है। उस क्षेत्र की अनेक समस्यायें हैं। पिछले तीन चार वर्षों से उस क्षेत्र में अच्छी वर्षा हुई है। राज्य के दूसरे हिस्सों में भी फसल की स्थिति अच्छी रही है। 1971–72 से केन्द्रीय सरकार ने सूखा संभावित क्षेत्रों के लिए विभिन्न विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन देना स्वीकार किया है। मैं वित्त मंत्रीजी के शब्दों में ही कहना चाहूंगी कि आज समय है कि उस क्षेत्र को विकास की गंगा के प्रवाह में पूरे वेग से सम्मिलित किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष जी, शिक्षा के क्षेत्र में पिछले वर्ष की अभूतपूर्व वृद्धि की चर्चा के साथ वित्त मंत्रीजी ने आने वाले वर्ष में 845 प्राथमिक शालाएं और 100 उच्च प्राथमिक शालाएं खोलने का प्रस्ताव किया है। मैं कहना चाहूंगी कि मौजूदा शिक्षा मन्त्रीजी भूतपूर्व शिक्षा मंत्रीजी के पदचिन्हों को छोड़कर इन स्कूलों को ऐसे क्षेत्रों में खोलें जहां पर अब तक शिक्षा का अभाव रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में असन्तुलन कम करें। इसी प्रकार जो नये अध्यापकों के पद सृजित किये गये हैं उसके लिए भी राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति में कोई पूर्वाग्रह या दुराग्रह नहीं रखें।

मैं चिकित्सा मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगी कि इस साल तीन सौ चिकित्सा के उप केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। मेरा निवेदन है कि ये केन्द्र उन पिछड़े क्षेत्रों में खोले जाएं जहां चिकित्सा सुविधायें उपयुक्त नहीं हैं और उन्हीं क्षेत्रों को प्राथमिकता दें।

इसी के साथ साथ मैं राज्य सरकार और वित्त मंत्रीजी का ध्यान पेय जल के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाना चाहूंगी। इस बजट भाषण में वित्त मंत्रीजी ने राज्य सरकार की ओर से यह कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पेयजल की समस्या का द्रुतगति से समाधान करने के लिए वचनबद्ध है। मैं राज्य सरकार से यह जानना चाहती हूं कि क्या इस वचन को पूरा करने के लिए आपने कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो द्रुतगति से क्या तात्पर्य

(श्रीमती मदन कौर)

है ? उपाध्यक्ष जी, पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में दो प्रमुख बातें हैं,पानी की उपलब्धि और उसके लिए धन की उपलब्धि। मुझे राज्य सरकार जवाब दे और इस बात के लिए आश्वस्त करे कि राज्य में पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए पानी और धनराशि के बारे में आपने क्या कोई विश्वसनीय स्रोत खोज निकालें हैं ?

माननीय उपाध्यक्षजी, पिछले वर्ष अन्त्योदय योजना चालू की और इस वर्ष समग्र ग्रामोदय विकास योजना। माननीय उपाध्यक्षजी, अगर इन दोनों योजनाओं को निश्चित रूप से राजस्थान के गरीब, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये क्रियान्विति सही ढंग से की जाय तो यह लाभप्रद योजनायें सिद्ध हो सकती हैं। नहीं तो गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिल सकेगा। पिछले साल की तरह यदि राज्य सरकार ने सिर्फ एक पिछड़े गरीब व्यक्ति को वृद्धावस्था पेन्शन दे करके और मामूली सा कर्जा देकर यह समझ लिया कि वह व्यक्ति, स्वावलम्बी हो गया तो मैं समझती हूँ वह गलत होगा। उपाध्यक्ष जी, जो लोग सदियों से गरीब और पिछड़े हुए रहे हैं, जिनका सदियों से शोषण होता रहा है उनके मानस को बदलने के लिए, उनकी विचारधारा को बदलने के लिए और उनमें आत्म विश्वास जागृत करने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें ठोस आर्थिक आधार दिया जाय।

उपाध्यक्षजी, इसी प्रकार इस साल जो समग्र ग्रामोदय योजना शुरू की गयी है उसके संबंध में भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इसी प्रकार की एक योजना कांग्रेस सरकार की आदर्श ग्राम योजना थी लेकिन उस योजना की सही ढंग से क्रियान्विति नहीं होने से वह योजना सफल नहीं हो सकी। इसलिये अनुभव के आधार पर यह कह सकती हूं और मैं यह राज्य सरकार को, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह सुझाव देना चाहूंगी कि अगर समग्र ग्रामोदय योजना को सफल बनाना चाहते हैं तो उसके लिये एक ऐसे गांव का चयन करना होगा जहां पर कि पहले कभी भी विकास की एक किरण भी नहीं पहुंची हो। ऐसे गांव का चयन करने के बाद राज्य सरकार उस गांव के विकास के लिये पर्याप्त धनराशि दे और इस योजना की सही ढंग से क्रियान्विति करे तो यह योजना सफल हो सकती है। लेकिन, माननीय उपाध्यक्षजी, मौजूदा अपर्याप्त प्रावधानों को देखने से इस योजना की सफलता सन्देहात्मक है।

उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य सरकार की यह मान्यता है कि ट्रैक्टर किसान की खुशहाली का प्रतीक है। मैं समझती हूं यह मान्यता ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, ट्रैक्टर आज किसान के लिये खेती करने का आवश्यक उपकरण बन गया है और पश्चिमी राजस्थान के रेतीले इलाके में तो ट्रैक्टर और भी जरूरी हो गया है। ऐसी स्थिति में जो बिक्री कर है उसको पूर्णतया हटाया जाय और किसानों के एक आवश्यक उपकरण ट्रैक्टर को बिक्री कर से पूरी तरह मुक्त किया जाय।

उपाध्यक्ष जी, इसी तरह आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगी कि ट्रैक्टर ट्रोली को यात्री व माल

(श्रीमती मदन कौर)

कर अधिनियम की सीमा में रखना गलत समझती हूं । ट्रैक्टर ट्रोली कोई पब्लिक केरियर नहीं है । यह तो किसान का खेत से घर तक अपनी उपज को ले जाने का बैलगाड़ी की तरह एक साधन है । किसान उसका उपयोग यात्रियों या माल को ढोने के पब्लिक केरियर के रूप में नहीं करता है अतः ट्रैक्टर की ट्रोली को माल एवं यात्री कर अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जाय

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में, उपाध्यक्ष जी, मैं एक मिनट में ही समाप्त करती हूं ।

उपाध्यक्ष जी, बजट भाषण में जो अपने बजट में वित्त मंत्री जी ने यह बताया है कि इन पिछले 6 महीनों में कुल मिलाकर राज्य की वित्तीय स्थिति में 39.01 करोड़ रुपयों का सुधार हुआ है । यह सुधार प्रशासनिक खर्च में मितव्ययता से, करों आदि की वसूली में सजगता करने तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के फलस्वरूप बताया है वह गलत है । मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यह वास्तविकता नहीं है । इसके विपरीत वास्तविकता तो यह है कि पिछले 8–10 महीनों में राज्य सरकार तबादलों में उलझी रही । उसे फुर्सत ही नहीं मिली जिससे कि जो पैसा पिछले बजट में खर्च किया जाना था वह खर्च नहीं किया जा सका । नई योजनायें चालू नहीं की गई और चालू योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाया गया । गत वर्ष में क्या भौतिक लक्ष्य जिसमें कितने अचीव किये गये इसकी कोई जानकारी किसी माध्यम से सदन को नहीं दी गई । इससे स्पष्ट है कि भौतिक लक्ष्य अप-टू-दी मार्क प्राप्त नहीं किये गये । इसी बचत को वित्त मंत्री जी ने वित्तीय स्थिति का आधार बता कर सदन को भुलावे में रखा है ।

(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में, उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात और निवेदन करके स्थान ग्रहण करूंगी ।

उपाध्यक्ष जी, राज्य सरकार ने राज्य स्थान नहर के द्वितीय चरण में लिफ्ट योजना को अस्वीकार करने के संकेत स्थान स्थान पर और समय समय पर दिये हैं । मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस कदम से राजस्थान सरकार निश्चित तौर पर राज-के पश्चिमी क्षेत्रों की उपेक्षा करना चाहती है । मैं इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को और राजस्थान सरकार को कहना चाहूंगी कि लिफ्ट योजनाओं को स्वीकार नहीं किया गया तो मुख्य मंत्री जी चाहे भूतपूर्व मंत्री-गणों पर आक्षेप लगाकर उन्हें दोषी बताते रहें लेकिन जो संकेत इस सरकार के लिफ्ट योजनाओं को नामंजूर करने के मिल रहे हैं यदि वे सही निकले तो मैं स्पष्ट चेतावनी के रूप में कहना चाहूंगी कि उस स्थिति में यह सरकार पश्चिमी क्षेत्रों के जन-साधारण का विश्वास हमेशा हमेशा के लिये खो देगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माणकलाल ठाकोर ।

श्री माणक लाल ठाकोर (नैनवा) : उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार

(श्री माणक लाल ठाकोर)

द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसकी सर्वत्र ही प्रशंसा की गई है। उसकी प्रशंसा किये बिना कोई नहीं रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि पंचायतों को सुदृढ़ करना, उनकी आर्थिक हालत को सुदृढ़ करना, अन्त्योदय योजना को लागू करके पीछे खड़े हुए समाज के गरीब तबके को ऊपर उठाना तथा काश्तकारों को विशेष रूप से सहायता देना यह सारी बातें हैं जिनकी वजह से हां पक्ष वाले परोक्ष रूप से और ना पक्ष वाले अपने दिल में इस बजट की प्रशंसा कर रहे होंगे। किन्तु जब मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट को पूरी तरह पढ़ा और पढ़ कर जब मैंने यह कोशिश की कि कहीं टटोलने पर बून्दी जिले के बारे में कोई योजना मिल जाये, पूरे बजट भाषण को टटोलने पर कहीं भी बून्दी जिले के बारे में आनुपातिक रूप से या और कोई रूप से कुछ न कुछ मिल जाय तो मुझे सिवाय निराशा के कुछ भी नही मिला। उपाध्यक्ष महोदय, बून्दी जिले में किसी प्रकार की कोई योजना नयी नहीं रखी गयी। कोई नई योजना का प्रावधान इस बजट भाषण में बून्दी जिले के बारे में नहीं दिखाई दिया। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र नैनवा के बारे में कोई योजना हो उसके संबंध में बार बार गोते लगाने पर, लाख कोशिश करने पर भी कोई योजना नैनवा के लिये मुझे नहीं मिली। मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कि नैनवा राजस्थान का भाग ही नहीं हो और सरकार का नैनवा से किसी बात का कोई सम्बन्ध ही नहीं हो। मैं यह सोचता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री जी और हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ग्रामों के विकास की विशेष योजनायें बना रहे हैं और अधिक ध्यान ग्रामों के विकास की ओर दे रहे हैं तो शायद मेरे क्षेत्र में कुछ न कुछ कोई न कोई काम जरूर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे मुख्य मन्त्री जी और वित्त मंत्री जी गांवों के विकास की ओर ध्यान दें फिर भी कोई योजना नैनवा के बारे में नहीं हो। मैं सोचता हूं कि शायद अशुद्धि रह गई है या भूल से कोई प्रावधान होना रह गया होगा। मैं नहीं समझता कि हमारे मुख्य मन्त्री जी और वित्त मन्त्री जी नैनवा को राजस्थान का हिस्सा नहीं समझते इसलिये मैं समझता हूं कि कहीं पर अशुद्धि रह गयी हो या भूल से रह गया हो तो उसका सुधार करने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, नैनवा में आज से 35 वर्ष पूर्व से जो हाई स्कूल है वह आज भी हाई स्कूल है उसे अभी तक हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत नहीं किया गया है जब कि उसके आस पास के कई गांवों, जहां कि नैनवां के स्कूल के विद्यार्थियों के एक चौथाई लड़के नहीं हैं, में हायर सैकण्डरी स्कूल कर दिये हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां पर कि कालेजेज तक कर दिये गये हैं पर हमारे नैनवा का हाई स्कूल आज तक हाई स्कूल ही रहा। अभी तक मौलवीजी मौलवी ही रहे आगे नहीं बढ़े। तो मेरा निवेदन है कि अगर आप उसे कालेज नहीं बना सकते हैं तो महरबानी करके उसे हायर सैकन्डरी स्कूल में तो क्रमोन्नत कर दें। इसी प्रकार हमारे यहां से 12 मील दूरी पर एक देई गांव है वहां सिर्फ हाई स्कूल है उसे हायर सैकण्डरी स्कूल बनाया जावे। इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि हमारे देई गांव के हाई स्कूल को अगर आप हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं बना सकते हैं तो उसमें

(श्री माणक लाल ठाकोर)

कम से कम नये विषय तो ज्यादा जोड़ दें। उपाध्यक्ष महोदय, अभी थोड़े समय पहले हमारे देई स्कूल के बच्चों ने इस बात के लिए हड़ताल की थी कि देई सैकण्डरी स्कूल को सैकण्डरी शिक्षा परीक्षा का केन्द्र कायम किया जाये। इस सम्बन्ध में भूतपूर्व शिक्षा मंत्री महोदय ने हमें आश्वासन भी दिया था। ऐसी परम्परा न बन जाय कि भूतपूर्व मंत्री ने जो आश्वासन दिये वह वर्तमान मंत्रियों पर लागू न हो। ऐसी परम्परा बन गई है इसकी मुझे भारी आशंका है। इसलिये, मैं समझता हूं कि देई के अन्दर सैकण्डरी स्कूल परीक्षा का केन्द्र इसी सत्र में कर देना चाहिये।

एक ज्वलन्त टापिक हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में चला हुआ है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह हमारे यहां के किसानों के जीवन-मरण का प्रश्न है। हमारे ही क्षेत्र के माननीय सदस्य ने कहा, केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल सारे जिले के शेयर होल्डरों के द्वारा बनाया हुआ एक सहकारी मिल है। इस सहकारी मिल के शेयर होल्डरों में से 80 प्रतिशत से ज्यादा शेयर होल्डर नैनवा और हिंडोली क्षेत्र के हैं। 80 प्रतिशत शेयर इन दोनों ही क्षेत्रों के हैं। केशोराय पाटन बिलकुल मिला हुआ है। वहां के मैनेजमेंट ने यह तय किया कि हिण्डोली और नैनवा का गन्ना न लिया जाय। क्यों नहीं लिया जाय? 26 तारीख को बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की मीटिंग हुई, जिसमें मैं भी मौजूद था उसमें यह निर्णय हो चुका है कि अधिक से अधिक गन्ना हर क्षेत्र से लिया जाय। कहीं पीछे से कोशिश करके नैनवा व हिण्डाली के साथ अन्याय न कर दिया जाय इसलिये पूरे ही क्षेत्र का गन्ना लेने की पंचायत और सहकारिता मंत्री को गारन्टी देनी चाहिये।

इसके बाद यह भी निवेदन करूं कि कोटा में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। उसके बाद हमें पहली बार आभास हुआ कि पिछले 30 साल के बाद थोड़ा बहुत हमारे क्षेत्र में भी विकास का काम होगा। वहां पर यह घोषणा हुई कि एक सहकारी मिल बूंदी क्षेत्र में और लगाई जाय। अब तक पता नहीं वह कहां लगेगी। वह घोषणा वहीं की वहीं है। अभी तक हमारे क्षेत्र में वह नहीं लगी है। वह जल्दी से जल्दी लगनी चाहिये वरना बूंदी क्षेत्र के किसानों की आर्थिक दशा जो कि पहले ही खराब है और खराब हो जावेगी।

एक बात और निवेदन कर दूं, बूंदी के अन्दर जो लाखेरी है वहां पर 125 के.वी. लाइन लगाने की घोषणा मंत्रिमंडल की बैठक के समय की थी और यह भी कहा था कि 33 के.वी. लाइन और लगा कर नैनवा देई के क्षेत्र में आगे बिजली की व्यवस्था की जावेगी। इस साल बिजली को सुव्यवस्थित ढंग से चालू किया जावेगा। लेकिन मुझे इस बात का खेद है कि अब तक लाखेरी में 125 के.वी. की लाइन नहीं लगी है और न ही 33 के.वी. की लाइन नैनवा देई क्षेत्र में आने लगी है। बल्कि ऐसा मालूम हुआ है कि लाखेरी से वह सामान उठा कर कहीं दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल की बैठक के बाद में की गयी घोषणा इस प्रकार से गलत रहे तो बड़े दुःख की बात होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री माणक लाल टाक्रोर)

बूंदी क्षेत्र के विधायकों ने मुख्य मंत्री महोदय को निवेदन किया था तो कृपापूर्वक कहा कि पहले से स्कीम पास है इसलिये बजट में इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि बिना बजट के काम हो सकता है तो बजट की टैक्निकेलिटी में जाने की आवश्यकता नहीं।

एक बात मैं कानून और व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में जो स्थिति है उसके लिये सारा सदन चिन्तित है। बूंदी क्षेत्र में रियाणा पंचायत है। वहां पर भंवरलालजी मीणा भूतपूर्व सरपंच कल्याणजी मीणा के मुकाबले में सरपंच जीत कर आये। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कल्याणजी मीणा चुनाव में हारे वे कांग्रेस के सदस्य थे और भंवरलाल जी मीणा जनता पार्टी के सदस्य। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल्याणजी मीणा ने उनके लड़के और उनके भतीजे ने इस बात की पहले से ही चेतावनी दे दी थी कि यदि चुनाव में भंवरलालजी मीणा जीत गये तो हम उनका नाक काट लेंगे। हमारी नाक कट जायगी यदि वे जीत गये और हम जीत गये तो उनकी नाक कट जायेगी। उन्होंने भंवरलालजी मीणा की नाक काट ली।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चुनाव हो जाने के बाद तारीख पेशी पर भंवरलालजी मीणा सरपंच आये तो अजेता के आस पास पीछे खेतों में छिपे हुए थे, एक तो श्री कुशलचन्द जो हारे हुए सरपंच कल्याणमल का पुत्र है, दूसरा उनका भतीजा और तीसरा उनका समर्थक इन लोगों ने वहां उनको मारा, पहले तो लट्ठ से मारा। वे लट्ठ से मारने से गिर गये। गिरने के बाद वे अचेत हो गये। उसके बाद वे बैठ गये हैं एक ने उनका हाथ पकड़ लिया और दूसरे ने उनकी नाक काट कर जेब में रख ली और भाग गये। वहां से भाग कर वह दूसरी जगह गये। दूसरी जगह जाने पर भंवरलाल सरपंच, जिसकी नाक काटी गई, दो समर्थकों को जाकर कहता है कि यह नाक पड़ी हुई है। उनको भी बुरी तरह से मारा। एक दूसरा समर्थक और मिल गया तो उसको कहा देखो, मेरे पांव पड़ो। उसको पांव पर गिराया और डन्डे मारे। माननीय उपाध्यक्ष जी, कानून और व्यवस्था की स्थिति आज इस प्रकार की है। सबसे बुरी बात तो यह है कि एक पार्टी का उम्मीदवार चुनाव में हार जाय और दूसरा जीत जाय तो राजनैतिक प्रतिशोध के कारण उस पर इस प्रकार से प्राण घातक हमला करके बदला लिया जाय यह कोई शोभनीय बात नहीं है। बुरी बात है। ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिये। इसलिये मैं खास तौर से गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में विशेष रूप से जांच करायी जाय, दोषी व्यक्तियों को कठोर से कठोर दंड दिलाया जाय और भविष्य में इस प्रकार की घटनायें न हों इसके बारे में आवश्यक कार्यवाही की जाय और उचित क़दम उठाये जायं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

धन्यवाद, श्रीमान आपने समय दिया उसके लिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री काशीनाथ।

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्षजी, हमारा राजस्थान विकास के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिये बजट में जो 22.70 करोड़ की वृद्धि की है वह प्रशंसनीय है। इससे यह आभास मिलता है कि हमारे वित्त मंत्रीजी विकास के मामले में जितने जागरूक हैं। शिक्षा एवं चिकित्सा के मद में जो वृद्धि की गयी है उससे भी यह आभास स्पष्ट रूप से मिल रहा है कि किस तेजी के साथ राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रसर होता जा रहा है। साथ ही साथ ग्रामों में बेरोजगारी दूर करने के लिए समग्र ग्राम योजना रखी है इससे स्पष्ट पता चलता है कि ग्रामों के क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर होगी और जो गरीबी की सीमा से नीचे हैं वह उसको पार करके रोजगार की ओर बढ़ेंगे।

साथ ही साथ खादी ग्रामोद्योग की वस्तुओं पर भारी छूट दी है उससे जाहिर है सरकार गांधी जी के बताये हुए मार्ग की ओर तेजी के साथ बढ़ रही है। गांवों में अब अधिक परिवारों को इससे बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा।

कर्मचारियों के विश्राम भत्ते में जो वृद्धि की है उससे मालूम पड़ रहा है कि कर्मचारियों की ओर भी सरकार ध्यान से आगे बढ़ रही है।

पेयजल की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने भारी प्रावधान रखा है। परन्तु पूर्वी क्षेत्र में कतई उदासीनता बरती गयी है। हमारे यहां पेयजल की समस्या भयंकर है। एक ओर पहाड़ और मरुस्थल है जहां दूर दूर से जल लाना पड़ता है। पिछली सरकार और यह सरकार हमेशा ही इन क्षेत्रों की ओर ध्यान देती आ रही है लेकिन पूर्वी क्षेत्र में भरतपुर, सवाई माधोपुर और अलवर आदि क्षेत्र हैं जहां पेयजल की समस्या अलग है। इसकी ओर सरकार उदासीन रही है। इन क्षेत्रों में खारे पानी की बहुतायत है। मेरा क्षेत्र जहां से मैं आया हूं करीब करीब पूरा खारे पानी का है। औरतें कई कई मील दूर से पानी भरकर लाती हैं। मीठे पानी का वहां बहुत ही अभाव है। इसके लिये कोई भी योजना नहीं बनाई गई है और न बजट में कोई प्रावधान रखा गया है मैं समानता के आधार पर सरकार से चाहूंगा कि जहां खारे पानी की वजह से पेयजल की समस्या बनी हुई है वहां उस समस्या को दूर करने के लिए भी कोई योजना बनाई जाये। मेरे क्षेत्र में करूंआ की योजना बनाई गयी जहां पीने के पानी का एक पॉकेट मिला है उस योजना के अन्दर 9–10 ग्राम लिए गए हैं लेकिन साथ ही साथ उन ग्रामों को छोड़ दिया गया है जहां दो-दो और तीन-तीन मील दूरी से पानी लाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि जहां बहुतायत में मीठा पानी मिला है वहां की योजना को ऐसे ग्रामों से जोड़ दिया जाये ताकि वहां की पानी की समस्या हल हो जाये।

साथ ही साथ बजट से भान हो रहा है कि बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने बहुत अच्छा प्रावधान रखा है। जहां एक ओर हमारी सरकार जागरूक है वहां दूसरी ओर हमारे सिंचाई विभाग के कर्मचारी और अधिकारी बिलकुल उदासीन

(श्री काशीनाथ गुप्त)

बैठे हुए हैं। करीब 7 करोड़ रुपया केन्द्र से भरतपुर जिले के लिए दिया गया किन्तु आज तक वह रकम ज्यों की त्यों रखी है। आज करीब 2।। महीने हो गए। मैं सिंचाई मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि किन किन योजनाओं के लिए कितनी कितनी राशि मंजूर हुई और अब तक उसमें से कितनी राशि खर्च हुई है। इससे आपको पता चल सकेगा कि कितने जागरूक हैं हमारे सिंचाई विभाग के कर्मचारी। आज बाढ़ का जो रूप भरतपुर जिले में देखने में आ रहा है उसका मूल कारण है सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही। आपने देखा कि भरतपुर जिले में और खास कर मेरे क्षेत्र में बाढ़ का कितना भयंकर रूप था। मेरे क्षेत्र के बाढ़ में करीब तीन चौथाई गांव जल मग्न हो गए और उनमें दस दस और बारह बारह फीट पानी भर गया। लोगों को नावों से होकर जाना पड़ा। यह सब सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की अकर्मण्यता और लापरवाही का नमूना है। जैसे जितना बाण गंगा नदी और गम्भीरी नदी में पानी आया उससे कहीं अधिक पानी पिछले वर्षों में आया लेकिन तब बाढ़ की भीषणता किसी क्षेत्र में नजर नहीं आई जितनी कि मेरे क्षेत्र में आयी थी। घरसोनी के पास सबसे पहले 15 फीट का कट था लेकिन अधिकारियों ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे वह 45 फीट का बन गया जिसके कारण से पूरा क्षेत्र जल मग्न हो गया। हर वर्ष सरकार सिंचाई के लिए जो रकम मंजूर करती है और बाढ़ के लिए रकम मंजूर करती है वह बाढ़ की रोकथाम के कामों में खर्च नहीं होती है। उसका मूल कारण है सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की अकर्मण्यता। मैं चाहूंगा कि सरकार अविलम्ब इस ओर ध्यान दे कि बाढ़ से राहत दिलाने के लिए जिन कार्यों के लिए जो राशि मंजूर हुई है वह राशि इस मद में खर्च हो ताकि भविष्य में ऐसी आपदायें न आयें।

साथ ही साथ हमारी सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में जो वृद्धि की है वह प्रशंसनीय है। जिन गांवों में बाढ़ के दिनों में पांच पांच महीने तक जाने का रास्ता नहीं रहता उन क्षेत्रों के अन्दर आयुर्वेदिक औषधालय और स्वास्थ्य केन्द्र खोलने चाहिए ताकि वहां के लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सके। अभी अभी जो चिकित्सा के उप-केन्द्र बढ़ाये गये हैं उसमें भी मेरे क्षेत्र को महरूम रखा गया है। अब मैं चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार के क्षेत्रों का ध्यान रखे जहां कि बाढ़ आती है और जहां के लोग पांच-पांच महीने तक आ जा नहीं सकते। वहां पर हर आदमी को चिकित्सा सुविधा मिले।

साथ ही साथ मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिए जो भारी रकम खर्च की जा रही है उसके परिणाम बहुत देर से नजर आते हैं। दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में छोटी छोटी योजनायें बनाकर लाभान्वित कर सकते हैं उनको दूर रखा जा रहा है। हमारे यहां पर स्टेट टाइम से ही बंधों की बहुतायत है। वह बंध बहुत टूटी-फूटी अवस्था में हैं। यदि उन बंधों की मरम्मत करा दी जाये और छोटी छोटी नहरें निकाल दी जायें तो हमारा क्षेत्र उपजाऊ और हरा भरा हो सकता है। सिंचाई

(श्री काशीनाथ गुप्त)

की छोटी छोटी योजनाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सिंचाई विभाग के कर्मचारी बड़ी बड़ी योजनाओं को सामने रखते हैं जिससे कि उन को लाभ होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

योजना भी समय पर पूरी नहीं होने के कारण क्षेत्रों को फायदा नहीं होता है। अभी हमने देखा कि बाढ़ आई उन दिनों तो काफी पैसा खर्च किया गया लेकिन बाढ़ के जाने के बाद कोई खर्चा नहीं किया गया जो कट बन गया था वह यों का यों पड़ा रहा। उसी के कारण बाढ़ हमारे क्षेत्र में आई। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि सरकार छोटी छोटी योजनाओं को हाथ में ले जिससे बाढ़ विकराल रूप धारण नहीं कर सके और इन योजनाओं के पूरा होने से सिंचाई के साधन मिल सकें।

इन्हीं आशाओं के साथ जो बजट 1978-79 का सरकार ने रखा है उसके लिए मैं बधाई देता हूं। यह आशा करता हूं कि इस बजट में जिन जिन मदों में रुपया रखा है वह उसी में खर्च किया जायेगा ताकि जनता को राहत मिले।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनन्दन व्यास।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसकी जितनी सराहना की जाये, थोड़ी है। विपक्ष मे बैठने वाले माननीय सदस्यों ने इसे दिशाहीन बताया है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट स्पष्ट दिशा निर्देश करता है कि ग्रामोन्मुखी बजट है। इसमें छोटे से छोटे तबके का ध्यान रखा गया है। इसमें आपकी अन्त्योदय योजना से लेकर ग्रामोदय योजना तक आ गई है। ग्राम का समग्र विकास हो, ग्राम में सड़कें हों, ग्रामों में रहने वाले एक एक व्यक्ति को काम मिले इसका प्रयत्न माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में किया है इसके लिये मैं उनका धन्यवाद करता हूं। राजस्थान की 3 करोड़ जनता की ओर से 33 हजार गांवों की ओर से कम से कम गांवों के बारे में सोचने का, गांवों के बारे में विचार करने का पहली बार, तीस वर्षों में, जो अवसर माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में दिया, उसके लिये मैं बार बार उनको धन्यवाद देता हूं, भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं। लेकिन इस बजट में दो तीन बातें गलती से रह गई। राजस्थान की हर बात को गांवों तक पहुंचाने का काम छोटे छोटे पत्र और साप्ताहिक पत्र करते हैं। उन पत्रों को विज्ञापन मिलें, उन पत्रों का सामाजिक दृष्टिकोण से विकास हो, उन पत्रों के बारे में क्या नीति होगी इस बारे में इस बजट में लैप्स हो गया कि जन सम्पर्क विभाग छोटे पत्रों को कैसे पनपा सकता है। राजस्थान का सारा विज्ञापन का पैसा बड़े पत्रों को दे दिया जाता है। अंग्रेजी दैनिक जो दिल्ली से निकलता है उसे राजस्थान का विज्ञापन मिलता है। करोड़पति मिलों के विज्ञापन भी उसमें दिये जाते हैं तो राजस्थान का दैनिक पत्र भूखा मर रहा है। राजस्थान के जिलों से निकलने वाले, तहसीलों से निकलने वाले जो

(श्री रघुनन्दन व्यास)

पत्र हैं, उनको विज्ञापन नहीं मिलता तो भी तरह तरह की ठोकरें खाकर, छोटे क्षेत्र में बैठकर, छोटी छोटी गांवों की समस्याएँ हैं उनकी ओर वह इंगित करते हैं। उन छोटे पत्रों की ओर हमारे वित्त मंत्री जी का ध्यान नहीं गया। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान के जिला केन्द्रों से निकलने वाले साप्ताहिक पत्र हैं उनको विज्ञापन मिलें ताकि कष्ट भोगकर, भूखे नंगे रह कर काम करने वाले पत्रकार जिन्दा रह सकें। किन्तु छोटे छोटे समाचार पत्रों की ओर ध्यान नहीं गया। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दें ताकि साप्ताहिक पत्र, जिलों से निकलने वाले पत्र जिन्दा रह सकें। उन्हीं के माध्यम से हम राज्य सरकार की योजना और जनता की समस्याओं में तालमेल बैठा सकते हैं। हम राजस्थान में जो भावात्मक एकता लाना चाहते हैं वह तभी आ सकती है जब जिलों के छोटे पत्र जिन्दा रहें। इस ओर वित्त मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया। मैं उन्हें निवेदन करूंगा कि इन छोटे-छोटे पत्रों को कैसे जीवित रखा जाये, विज्ञापन के माध्यम से या कैसे उनको पनपाया जाय, उस ओर थोड़ा विचार करें तो उनकी बड़ी कृपा होगी। मैं समझता हूं यह बहुत बड़ा काम होगा।

अन्त्योदय योजना को विपक्ष की ओर से मखौल बताया गया। यह मखौल नहीं एक दर्शन है। बीस सूत्री योजना उनके दिमाग में घूमती रहती है इसलिये उन्होंने इसको स्टंटबाजी माना है। हम इसको स्टंटबाजी के रूप में नहीं लेते। अगर हर गांव में पांच परिवार भी एक वर्ष में खड़े कर सकें, उनको मकान दे सकें, धन्धा दे सकें, रोटी रोजी दे सकें तो निश्चित रूप से उससे प्रेरणा लेकर दूसरे लोग भी खड़े होंगे। सही मायने में राजस्थान के विकास का जो मुख्य मापदण्ड है वह अन्त्योदय योजना है। उसका भी माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट बढ़ाया है उसका मैं स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं इस योजना के बारे में कि समय समय पर इसका विश्लेषण किया जाये। कहीं सरकारी अधिकारी इस योजना को खा न जायं, इस योजना को दबा न दें, इस ओर भी ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा।

अब मैं थोड़ा एक दो समस्याओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपने शराबबन्दी की। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह क्षेत्र, पूरे का पूरा मारवाड़ सिरोही जिला इसमें चला गया है। आपको मालूम है शराब बन्दी हो गई, दारूबन्दी हो गई, सरकार द्वारा इसकी घोषणा हो गई, लेकिन वास्तव में शराबबन्दी करना कठिन कार्य है। मैं बताऊं सिरोही जिले में शराब बन्दी है लेकिन सिरोही जिला में कम से कम एक हजार भट्टियों से शराब निकाली जाती है। इतना ही नहीं, आबू रोड में एक ऐसी जगह है जहां मेथिया नाम की दारू का व्यापार होता है। अगर कानूनन कोर्ट में मुकदमा बन जाये तो कोर्ट से वे लोग छूट जाते हैं। मेथिया नामक शराब दारू नहीं मानी जाती सैशन्स कोर्ट के फैसले हैं इस बारे में। माननीय वित्त मंत्री जी, आप शराबबन्दी कर रहे हैं, उसमें कहीं भी गड़बड़ी न हो जाये इसलिये मेथिया के बारे में सोचें और

Page No 87

(85)

(श्री रघुनन्दन व्यास)

आवश्यक व्यवस्था करें। आबू रोड में गिरासिया क्षेत्र है, भील क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक एक गांव में दारू की भट्टी है। इतना ही नहीं दारू बनाकर बेचना एक आजीविका का साधन बना रखा है। उसके द्वारा उन लोगों को आजीविका मिलती है और काम मिलता है, इसके लिये हमें सोचना पड़ेगा। दारू बिकती है। गांव गांव में बिकती है। गांव गांव में भट्टियां हैं। इसकी रोकथाम के लिये आबकारी मशीनरी को सचेत करना पड़ेगा। उसी प्रकार पुलिस की मशीनरी को सचेत करना पड़ेगा। मुझे दुख है पुलिस की लाइन में दारू भी मिलेगी, जहां अफीम का क्षेत्र है वहां अफीम भी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा क्योंकि उन लोगों की आदत पड़ गई है। उनकी आदत को सुधारने के लिये यदि आप लोग सख्ती से कार्यवाही करें तो दारूबन्दी सफल होगी। इसके साथ साथ निवेदन करूंगा कि पूरा का पूरा उदयपुर जिला ले लें तो ठीक होगा और गिरासियों का, भीलों का, आदिवासियों का कल्याण हो जायेगा।

दूसरा प्रश्न शिक्षा के बारे में है। आपके बजट भाषण में एक बात पढ़ने को नहीं मिली। आपके बजट भाषण में प्राइमरी स्कूल व मिडिल स्कूल का उल्लेख है, लेकिन हाई स्कूल का उल्लेख दिखाई नहीं पड़ता। हो सकता है केन्द्र से निदेश न मिला हो लेकिन मैं निवेदन करूं कि शिक्षा की दृष्टि से हमें इस साल भी सैकण्डरी स्कूल खोलने चाहिये और कम से कम लड़कियों के सैकण्डरी स्कूलों का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिये। माननीय वित्त मंत्री जी, आपसे निवेदन करूं कि शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के सैकण्डरी स्कूलों के लिये प्रावधान आने वाले बजट में......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

करने का प्रयत्न करें।

आबू पर्वत को टूरिज्म क्षेत्र बनाया गया है, तीर्थ स्थान भी है। किन्तु पर्यटकों के लिये हवाई अड्डे की सुविधा नहीं है। पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था कि सिरोही में हवाई अड्डा बन जाये और सिरोही से आबू तक सड़क बन जाय तो 60 मील की दूरी 30 मील रहती है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर वहां हवाई अड्डा डवलप हो तो यात्रा की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से, कार्मशियल दृष्टि से घाटे का सौदा नहीं होने वाला है। जालौर, सिरोही के सारे लोग बम्बई में बैठे हैं वे वहां से हवाई जहाज में बैठकर आ सकते हैं। किसी दृष्टि से घाटे का सौदा नहीं है। इसीलिये, उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि टूरिज्म महकमे के माध्यम से सिरोही आबू सड़क बन जाये, हवाई अड्डे का विकास किया जाये। इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं क्योंकि समय कम है और मैं भी अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं।

उद्योगों के मामले में जो ग्रेनाइट का उद्योग दिया गया है, वह ठीक है। अब सीमेन्ट के दो कारखाने सिरोही जिले में खुल जाय तो मैं समझता हूं काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, सिरोही जिला एक बड़ा केन्द्र है वहां तीन हजार

(श्री रघुनन्दन व्यास)

औरतें पहाड़ों में जाकर लकड़ी काटकर, भारियां लाकर बेचती हैं। जहां एक नगर में तीन हजार औरतें हैं तो उनको रोजी देने की व्यवस्था भी करें। मैं समझता हूं इससे कुटीर उद्योग पनपेगा। इस प्रकार की व्यवस्था कर लें तो मैं समझता हूं हमारे जिले का विकास होगा, हमारे राजस्थान का विकास होगा।

इसके साथ ही मैं निवेदन करता हूं कि जो बजट भाषण वित्त मंत्री जी द्वारा रखा गया है, वह बहुत ही सुन्दर रूप से रखा है। उसके लिये मैं पुन: धन्यवाद देता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधो सिंह रेवदर। माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूंगा बहुत शीघ्र ही समाप्त करना है।

श्री माधो सिंह (रेवदर) ; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्तमंत्री जी ने जो बजट भाषण पढ़कर यह फर्माया कि यह एक प्रगतिशील बजट है जो सदन के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे ग्रामीण जनता लाभान्वित होगी और गरीबी दूर होगी। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं मुझे तो इस बजट में कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जो प्रगतिशील माना जाय। यह बजट यथास्थिति का ही द्योतक है। समानता और आर्थिक मितव्ययता की बात आप कह रहे हैं, और बजट भाषण में मितव्ययता के बारे में कहा है। आपने योजनाओं पर खर्च नहीं किया है यही इससे शो होता है। आप असमानता को दूर करने की बात कहते हैं लेकिन आपने जितने कर लगाये हैं वे असमान हैं और गांव की जनता को ही प्रभावित करते हैं। उनमें यह ध्यान नहीं रखा कि एक तरफ शहरों में 20 प्रतिशत जनता बसती है तो दूसरी तरफ गांवों में 80 प्रतिशत जनता बसती है। इसमें जो करों की व्यवस्था की है, उसका सीधा सम्बन्ध ग्रामीण जनता के साथ है। आज शहरों में लोगों के पास करोड़ों की सम्पत्ति हो गई है, अनेक लखपति करोड़पति हो गये हैं क्या आप उनको टैक्स नहीं कर सकते थे ?

एक माननीय सदस्य ने यहां अभी कहा था कि मन्थली इन्कम की चार हजार रुपये खर्च की सीमा होनी चाहिये। वे धनी लोग इससे ज्यादा मन्थली इनकम का खर्च नहीं कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये। क्या आप इसी से 80 प्रतिशत की गरीबी दूर करना चाहते हैं ? क्या आप उन लोगों से, जिनके पास करोड़ों रुपया है, पैसा लेकर ग्रामीण जनता के विकास में नहीं लगा सकते हैं ? आज तक भूतपूर्व सरकारें यथास्थिति का बजट बनाती आई हैं। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिस तरह से बजट की पोथी बनाकर रख देते थे उसको भूतपूर्व सरकारें सदन में प्रस्तुत करती आ रही थीं, उसी प्रकार आपने भी यह बजट प्रस्तुत कर दिया है। मुझे नहीं मालूम कि विकास योजनाओं के बारे में आपने क्या किया है ? ऐसी कौनसी योजनायें हैं जिन पर 8 महीनों में खर्च हुआ है। मैं यह समझता हूं कि जो भूतपूर्व सरकारों का हाल था वही जनता पार्टी की सरकार का हाल है। यहां पर अप्रेल में जनता पार्टी का शासन आया तो दूसरी तरफ फरवरी से केन्द्र में आपका शासन लागू हो गया था, इस प्रकार गत वर्ष की जिम्मेदारी भी इसी सरकार पर आती है। साल भर में विकास योजनाओं पर कोई खर्च नहीं किया गया है।

(श्री माधोसिंह)

पूरे जोधपुर डिविजन को लीजिये वहां आपने विकास की योजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए कहा था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक भी विकास की योजना को वहां शुरू नहीं किया गया है। आप चाहे सिंचाई के मामले को ले लीजिये, चाहे विद्युत् के मामने को ले लीजिये इस डिविजन में एक भी योजना प्रारम्भ नहीं हुई है। सिरोही जिला एक पहाड़ी क्षेत्र है और वहां पर लघु सिंचाई के काफी साधन हैं लेकिन वहां की थ्री-फोर्थ जमीन आज भी असिंचित पड़ी है। भूमि से ग्रामीणों का सीधा सम्बन्ध है, वह आज भी असिंचित ही पड़ी है। सिरोही-जालौर ऐसे जिले हैं जहां हर योजना का सम्बन्ध सीधा गरीबों से है। यदि आप केवल अन्त्योदय योजना को लागू करके गरीबी मिटाना चाहते हैं और गरीबों का विकास करना चाहते हैं तो यह असम्भव है। आप अन्त्योदय योजना को प्राथमिकता देना चाहते हैं, यह योजना तो ठीक है लेकिन क्रियान्विति अभी तक कुछ भी नहीं है, अन्त्योदय की उपलब्धि कुछ भी नहीं है। जब तक भूमि को सिंचित नहीं किया जायगा तब तक ग्रामीण जनता का स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता अगर थ्री-फोर्थ जमीन उस क्षेत्र की असिंचित पड़ी है तो आप कैसे कह सकते हैं कि गरीबी दूर हो सकती है। जो योजना इस साल लागू की गई है उसके सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 149 करोड़ 35 लाख रुपये सिंचाई और विद्युत् के लिये रखे हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आपने लघु सिंचाई के लिए 5 करोड़ 59 लाख की व्यवस्था की है जब कि दो योजनायें-राजस्थान नहर और चम्बल के लिये आपने 66 करोड़ 42 लाख की व्यवस्था की है। इसके साथ ही साथ जितने यातायात के साधन हैं, उन सबका आपने उन्हीं 2-3 जिलों के लिये प्रावधान किया है।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं यातायात की सुविधा की दृष्टि से 412 किलोमीटर सड़कें बनाने और 143 किलोमीटर सड़कें सुधारने हेतु 12 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया है इसमें से 2 करोड़ 50 लाख रुपया राजस्थान नहर क्षेत्र, 2 करोड़ रुपया चम्बल क्षेत्र, 2 करोड़ 20 लाख रुपया अनुसूचित जाति क्षेत्र के अन्दर आप खर्च करेंगे। मुझे इससे गिला नहीं है कि आप 2 करोड़ 20 लाख रुपये अनुसूचित जाति क्षेत्र में खर्च करेंगे लेकिन दो योजनाओं और जिलों पर ही खर्च करना क्या यह समानता का बजट है? इससे तो सीधी असमानता सिद्ध होती है। 2-3 जिले ही आपने क्यों लिये हैं? राजस्थान के 26 जिले हैं, उनको आप विकास से क्यों वंचित रख रहे हैं? जहां आप कुछ भी बजट का हिस्सा खर्च नहीं कर रहे हैं लोक निर्माण के बजट से यातायात की सुविधा के लिए 462 किलोमीटर सड़क बनाकर क्या आप यह सोच लेंगे कि राजस्थान का 12 महीने का विकास हो गया? यह एक दयनीय स्थिति है।

अब मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में लोगों को भूमि विकास बैंक के द्वारा, सहकारी बैंक के द्वारा पहले भी कर्जा मिलता था लेकिन आपकी सरकार के बजट के अन्दर ऐसी कौनसी योजना है, जो अब आप कृषि विकास के लिये लागू करना चाहते हैं? एक विश्व बैंक की योजना के लिये इस बजट में प्रावधान किया है। वह विश्व बैंक की योजना क्या है-एक क्लस्टर प्रोग्राम है जो अभी भी लागू है। इसमें क्या होता है, उपाध्यक्ष,

Page No 90

179] आय व्ययक पर–8 मार्च, 1978–सामान्य वाद विवाद [180

(श्री माधोसिंह)
महोदय, सरकारी कर्मचारी इकट्ठे हो जाते हैं। और वे सब इकट्ठे होकर दिन भर बहस बाजी करके बिखर जाते हैं। न उनमें कोई जन-प्रतिनिधि है और न उन पर कोई चेक है। ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वह काश्तकारों से सम्पर्क कर सकें। ग्राम सेवक अपने धन्धे में बिजी हैं। खेती व्यापार करते हैं न ग्राम सेवक कोई किसान की खेती का प्लान बनाते हैं, न खाद की व्यवस्था है, न बीज की कोई व्यवस्था है। मैं इसे शर्म की ही बात समझूंगा। सरकार ग्रामीण लोगों को, काश्तकारों को सही बीज उपलब्ध करा दे तो मैं समझता हूं राजस्थान का प्रोडक्शन बढ़ सकता है लेकिन राजस्थान सरकार काश्तकारों को जो बीज देती है वह भी निकम्मा है मिक्स्चर है, शुद्ध नहीं है जो खाद आता है वह समय पर नहीं आता है। क्लस्टर प्रोग्राम की जो नीति है, विश्व बैंक के द्वारा आगे जो नीति प्रसारित करना चाहते हैं, वे सब इस तरीके की नीति है कि सिर्फ सरकारी लोगों को शामिल करके उनके ऊपर पैसा खर्च करना है। इस योजना को ठीक ढंग से लागू करना चाहते हैं तो इसके अन्दर जन प्रतिनिधियों को लीजिए। उनके साथ बैठ कर डिस्कस करें तभी जाकर यह योजना सही ढंग से कार्यान्वित कराई जा सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट और निवेदन करूंगा।

जो आपने मितव्ययता की है, उस मितव्ययता के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि सचिवालय के अन्दर इतनी भीड़ है। इस भीड़ की गर्मी के कारण आपको वहां पर एयर कूलर लगाने पड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने सैक्रेटरी, इतने कमिश्नर, एडीशनल कमिश्नर, सहायक कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को भीड़ क्यों लगा रखी है? डेजर्ट डवलपमेंट कमिश्नर, राजस्थान नहर कमिश्नर, कालोनाइजेशन कमिश्नर, कितने कमिश्नर हैं। यह जब राजस्थान बना था और जब प्रथम सरकार ने इसका भार सम्भाला था उस समय पांच डिविजन थे और उनके पांच ही कमिश्नर थे जो पूरा प्रशासन राजस्थान का सम्भालते थे। आज चालीस पचास कमिश्नर हैं। उनके ऊपर स्टाफ सहित राज्य का लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है लेकिन एक भी फाइल का फैसला नहीं होता है। एक फाइल को एक टेबल से दूसरी टेबल पर सरका देते हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, कोई काम नहीं करना चाहते। सैक्रेटेरियट के अन्दर यों ही फाइलें फिरती रहती हैं। यही हाल जिला प्रशासन का है। जिला प्रशासन के अन्दर भी आप देखिये कि राजस्व मण्डल की संस्था की क्या जरूरत है। जब आपका रेवेन्यू विभाग है और आपका राजस्व विभाग आपकी सब योजनाओं को एक्जीक्यूट कर सकता है तो फिर राजस्व मण्डल की क्या जरूरत है। मैं समझता हूं कि अधिकारियों को इतना बड़ा बड़ा वेतन देने के लिए उनको वहां पर बिठा रखा है। इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह रेवेन्यू अपीलेट आथोरिटी है। कलेक्टर तो आई. ए. एस. और अपीलेट आथोरिटी आर. ए. एस.। कलेक्टर की अपील आर. ए. एस. अधिकारी सुनता है। यह एक भ्रष्टता का नमूना है। मैं निवेदन करूंगा कि यह गरीब लोगों को सताने का एक रास्ता है कि

(श्री माधोसिंह)
जिसके आधार पर प्रभावशाली लोग फायदा उठाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कलेक्टर जिनके खिलाफ फैसला दे दें, वह वहां पहुंच कर फैसले को अपने पक्ष में करा सकें। इस अपीलेंट आथोरिटी की भी पांच डिविजनों में क्या जरूरत है और राजस्व मन्डल की भी क्या जरूरत है। जब आपका राजस्व विभाग है तो वह राजस्व विभाग सरकार के कार्यों को समय पर क्यों नहीं एक्जीक्यूट कर सकता है।

इसके बाद मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब पंचायत समितियां हैं, जिला परिषदें हैं, पंचायतें हैं तो फिर यह तहसीलदार, यह पटवारी, यह सब अलग से रखने की क्या जरूरत है ? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पटवारी लोगों के पास, तहसीलदारों के पास सिवाय रिकार्ड मेंटेन करने के कोई काम नहीं है। अगर रिकार्ड ही मेंटेन करने का काम हो तो वह तो तहसीलदार विकास अधिकारी के रूप में रह कर या विकास अधिकारी तहसीलदार के रूप में रह कर भी कर सकता है। फिर एक एजेंसी क्यों ज्यादा रखी है ? आपकी एग्रीकल्चर री-फाइनेंसिंग कार्पोरेशन की स्कीम है, जब आपकी पंचायत समितियां हैं···

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आपकी गाड़ी ही शायद चली जाय।

श्री माधोसिंह : नहीं जायेगी।

मैं यह मानता हूं कि पंचायती राज को भी इन अधिकारियों ने मिल कर पूरी तरह से फेल करने की कोशिश की है। जो कुछ भी पंचायत समितियों को अधिकार दिये गये थे, जो कुछ भी विकेन्द्रीकरण हुआ, ये लोग कभी बरदाश्त नहीं कर पाते हैं कि जन प्रतिनिधि, जो गांव के अन्दर हैं, इस प्रकार से कुर्सी पर बैठ कर उन पर शासन करें। यह उन्हें बर्दाश्त नहीं इस तरह से आप एग्जामिन करा लीजिए, पहले पंचायत समितियों के पास जो भी वित्तीय सहूलियतें थीं वह बिल्कुल बन्द कर दीं और दूसरी योजना शुरू कर दी। जब एक एजेंसी थी ग्रामीण लोगों से सम्बन्ध रखने की, उस एजेंसी के बदले में उन्होंने एग्रीकल्चरल री-फाइनेंसिंग कोर्पोरेशन के नाम पर 13-14 आदमियों की टीम तैयार कर दी ब्लाक लेवल पर, पंचायत समिति लेवल पर और खर्चा बढ़ा दिया। फिर आप बात करते हैं मितव्ययता की। यह और खर्चा शुरू हो गया है। अब तहसील अलग, ब्लाक लेवल पर पंचायत समिति अलग और फिर यह ए.आर.एफ सी. अलग। यह पंचायत समिति लेवल पर ए.आर.एफ.सी. की जो नई स्कीम राज्य सरकार द्वारा लगाई गई है जिले के अन्दर, इस नई एजेन्सी की क्या जरूरत थी। यह काम पंचायत समिति भी कर सकती थी लेकिन उन्हें मन्जूर नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरा निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि इसके अन्दर मौलिक परिवर्तन हो तो आपको मौलिक परिवर्तन इस प्रशासन के अन्दर करना पड़ेगा। जब तक आप प्रशासन को ठीक नहीं करेंगे तब तक आपकी जितनी भी योजनायें हैं वे ग्रामों तक नहीं पहुंच सकेंगी। आपको ग्रामों तक अपनी योजनायें पहुंचानी तो हैं आपको अपने इस प्रशासन को ठीक करना पड़ेगा और इसको

(श्री माधोसिंह)

जन प्रतिनिधियों के अन्दर में रखना पड़ेगा। जन प्रतिनिधियों के द्वारा ही यह सुचारु रूप से ब्लाक और जिला लेवल तक पहुंच सकते हैं। आप तीस साल के कांग्रेस शासन को तो दोष देते हैं लेकिन पांच साल के अन्दर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे और आपकी योजनायें धरी की धरी रह जाएंगी। इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इस तरीके से योजनाओं को आधार दीजिए कि जो समानता प्रदान करता हो, जो मितव्ययी हो और जो सब लोगों को यह महसूस करा सके कि यह जनता सरकार एक कोने में नहीं बैठी हुई है बल्कि सारे राजस्थान के लिए है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ताराचन्द।

श्री रतनाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इनके साथ जाने वाला हूं, मुझे भी पांच मिनट का समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष: आपका नाम आज की सूची में नहीं है।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम सूची में है और पहले है, फिर दूसरा नाम कैसे आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को मैं कहना चाहूंगा कि जो मैंने वक्ता महोदयों के नाम बताए हैं वह मैंने अपने विवेक के आधार पर और जो मुझे सूची दी है उसके आधार पर दिए हैं।

श्री रतनाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको जल्दी अवसर नहीं दे सकता।

श्री ताराचन्द (रूपवास): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय श्री आदित्येन्द्रजी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। इस बजट के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जो बजट रखा है, इस बजट में सारी बातें रखते हुए मुझे सिर्फ इतना कहना है कि उन्होंने जैसे समाज कल्याण विभाग के लिए अपने बजट के द्वारा 86.33 लाख का प्रावधान रखा है, मैं निवेदन करूंगा कि जहां समाज कल्याण विभाग द्वारा यह रकम तकसीम की जाती है, रकम बांटी जाती है और जगह जगह जो छात्रावास हैं जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र रहते हैं, उनको सुविधायें अधिकतर प्रदान की जाती हैं उनकी अगर दशा देखी जाय तो वह बड़ी दयनीय है। उन छात्रावासों में उन शिक्षार्थियों के लिए अच्छी सुविधा नहीं है, न खाने पीने की व्यवस्था और न कोई और बात है। मैं यह बात कहने को तैयार हूं कि पिछली सरकार ने ये सुविधायें दे दीं लेकिन उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि आप भी उसी तरह से सोते न रहें। आपको अभी एक साल हुआ है आए हुए इसलिये आपको इस ओर अधिक ध्यान देना होगा। आपको इन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों की ओर विशेष ध्यान देना है। कहने को तो उधर से भी यह कहते आए हैं कि हम हरिजनों के हैं, हम हरिजनों के हैं परन्तु उन्होंने हरिजनों की उपेक्षा की। आज जनता सरकार उनकी इस प्रकार से उपेक्षा नहीं कर सकती

(श्री ताराचन्द)

मैं निवेदन करूंगा कि यह नहीं चल सकेगा, उन्होंने इनको कोठरी में बन्द करके रखा था, अब बन्द कोठरी को खोलना है। अब वह बन्द नहीं रह सकते, आपको यह कोठरी खोलनी पड़ेगी ताकि वे बाहर आयें।

नियुक्तियों के अन्दर भी जो हमारे लिए अट्ठाईस प्रतिशत का रिजर्वेशन कर रखा है उसकी भी पूर्ति नहीं हो पाती है। इसके साथ साथ पदोन्नति में भी हमारे लिये जो आरक्षण रखा गया है वह भी पूरा नहीं हो पाता है, न हमें पूरी तरह से आरक्षण दिया जाता है। मैं आपको बतलाता हूं कि सारी जगह वह कमियां हैं, जो हमारी पिछली सरकार ने हमको दी हैं। वह सरकार तो चली गई लेकिन हमें वह कमियां पूरी करनी पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस बात की ओर वह कम से कम ध्यान दे, हमारे कोटे को पूरा करे और जो भी नियुक्तियां हों वह अनुपात के अनुसार हों हालांकि बजट में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि अनुसूचित जाति और जन जाति के लिए जो कोटा निर्धारित है उनकी नियुक्तियां अथवा पदोन्नतियां रोस्टर प्रणाली के आधार पर की जाएंगी। कई लिस्टें मैंने देखी हैं। अभी दो महीने पहले मैंने एक लिस्ट कृषि अधिकारी के यहां देखी थी। जो कृषि अधिकारी, कृषि निदेशक जोधसिंह हैं, उन्होंने 82 व्यक्तियों की लिस्ट पदोन्नति की निकाली थी परन्तु उसमें एस. सी., एस. टी. का कोई नहीं था। मैंने उनको एक बात कही, आज तो वह युग नहीं है। जनता पार्टी का राज आ गया है। अब ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि एस. सी. और एस. टी. का एक भी नहीं है। उन्होंने बताया वे अलग से 42 व्यक्तियों की लिस्ट निकाल रहे हैं परन्तु वह लिस्ट नहीं निकली। बीस दिन बाद सैक्रेटरी साहब मायाराम जी से मिला। उन्होंने लिस्ट मंगवा कर पूछा। मैंने उन्हें बताया, इस प्रकार का घोटाला हुआ है। हमारी जनता सरकार ऐसी नहीं है। कुछ बीच में ही कर्मचारीगण ऐसे हैं कि यह घोटाला हुआ और सरकार को मालूम नहीं पड़ा....

श्री मूलचन्द डागा : दोष तो मंत्रियों का है, कर्मचारियों को क्यों दोष देते हैं?

श्री ताराचन्द : आप तो वरिष्ठतम सदस्य हैं?

वही पुरानी नीति चल रही है। इसे हमें आंखों से देखना है। आप तो सो रहे थे। हमें आंख मीचनी नहीं हैं, हमें देखना होगा। एक आंख जनता की ओर, दूसरी आंख कर्मचारियों पर रखनी पड़ेगी। जब यह बात देखी तो उस व्यक्ति को पकड़ा गया और उस लिस्ट को कैन्सल किया गया। यह सब सरकार द्वारा नहीं हो रहा है।

इसी प्रकार से 3-3-78 को ए. ई. एन. का अपाइन्टमेन्ट किया गया। 46 व्यक्तियों की लिस्ट निकली। इन 46 में से चार एस. सी. और एस. टी. के थे। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि अपाइन्टमेन्ट में भी रोस्टर प्रणाली क्यों नहीं अपनाई गई। इस प्रकार जो पिछड़ी जाति के हैं वे और पिछड़ जाएंगे। 46 में से 42 तो सवर्ण आ गये और 43, 44, 45 और 46 नम्बर पर एस.सी., एस. टी. को रखा गया। इसका

(श्री ताराचन्द)

क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि आगे चल कर सीनियोरिटी और जूनियोरिटी का सवाल आएगा। 42 नम्बर पर रहने वाले पिछड़ जाएंगे। क्यों नहीं यहां पर भी रोस्टर प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? यह केन्द्रीय सरकार का फार्मूला है कि फर्स्ट एस. टी., सैकिन्ड, थर्ड छोड़ कर फोर्थ एस. सी. का। उस फार्मूले के अनुसार चालीस में से 11 आदमियों को लेना चाहिए था। उस फार्मूले को पूरा करना चाहिए। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अपाइन्टमेन्ट में, पदोन्नति के लिए पुनः रोस्टर प्रणाली अपनानी होगी। इसके साथ साथ न्याय देना होगा जो पिछली सरकार न्याय नहीं दे सकी। जनता सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि वह हरिजनों, एस. सी., एस. टी. की ओर ध्यान देगी, रोस्टर प्रणाली का पूरा पूरा ध्यान रखेगी और उनको पूरी सुविधाएं प्राप्त कराएगी।

साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1968-69 और 1969-70 में गांधी शताब्दी के अन्दर एक अभियान चलाया गया था पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा कि हरिजनों को भूमि देंगे, आवासीय खंड देंगे। आवासीय भू-खंड, कृषि भूमि के पट्टे दिए गए पट्टे जरूर दिए गए हैं लेकिन कब्जा नहीं मिला। पट्टे में खसरा नम्बर जरूर दिया गया है। यह सारी बातें उसमें हैं। ढाई बीघा जमीन, पांच बीघा जमीन का पट्टा उनको पकड़ा दिया। आज तक ढाई बीघा, पांच बीघा जमीन का पट्टा सन् 1970 में उनको दिया था, 70 के बाद 76 तक यहां कांग्रेस सरकार रही परन्तु 6 साल में यह कांग्रेस सरकार उनको वह स्थान नहीं बता सकी कि पट्टे की जमीन कहां पर है। इसलिए मैं अपनी राज्य सरकार, जनता सरकार से अपील करूंगा कि यह पट्टे की जमीन इन गरीबों को मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्षमा चाहता हूं। जल्दी समाप्त करूंगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन गरीबों को चार चार कोर्ट में चक्कर लगाने पड़ते हैं। पहले तहसीलदार के यहां पर गये। वहां जीत गये। एस. डी. एम. के यहां गये, वहां पर जीत गये। कलेक्टर के यहां गये, वहां जीत गये। आखिर में यह मामला रेवेन्यू बोर्ड में चला जाता है। गरीब को ढाई बीघा, पांच बीघा जमीन दी गई है लेकिन वह उसका फायदा नहीं उठा पा रहा है। जो कुछ सोना, चांदी, बरतन उसके पास थे, उनको बेचकर वह मुकदमा लड़ता है परन्तु उसको न्याय नहीं मिल रहा है। क्या होता है, दूसरी पार्टी जाकर स्टे ले आती है। यह गरीब कहां से स्टे लावे? आज भी भरतपुर में जगदेवसिंह कमिश्नर के पास इस प्रकार की भूमि के दो हजार केस मौजूद हैं। एक साल मे एक बार इनकी बारी आती है, पेश होते नहीं हैं और किसी तरह से ले दे कर दूसरी पार्टी तारीख पड़वा देती है। जो गरीब हरिजन आदमी हैं, उसको यह सब पता नहीं लगता है। यह जो इनकी जमीन पर स्टे आर्डर चल रहा है, उसके लिए मैं अपनी सरकार को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लेकर उन गरीबों को यह जमीन, जो उनको

(श्री ताराचन्द)

आवंटित की गई है, दिलाई जावे, कब्जा दिलाया जावे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इतना ही कह कर मैं वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो बजट उन्होंने पेश किया है, वह सुन्दर है, स्वागत योग्य है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवलराय बच्चाणी।

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर, पश्चिम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। किसान, अनुसूचित जाति, जन जाति और जो शोषित वर्ग है, उनको इस बजट से बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही शराब के ऊपर जो कर भार बढ़ाया गया है, वह उचित है।

खादी के कपड़े और खादी के बने हुए ऊनी स्वेटर आदि को कर मुक्त किया गया है, यह भी स्वागत योग्य है। मेरा कहना है कि हाथ से जो स्वेटर बनाये जाते है, जो महिलाएं और छोटे बच्चे घर में बनाते हैं, जिसमें कुछ छोटे कांच भी लगाते हैं और जिनको हेन्डीक्राफ्ट एम्पोरियम द्वारा भी बेचा जाता है उन पर सरकार द्वारा 7 पर्सेन्ट कर लगाया जाता है। इसके लिए मेरा यह आग्रह है कि हाथ के बने हुए स्वेटर, मफलर, पिलोकवर या छोटे कपड़े जो कांच से जुड़े होते हैं, जो महिलाएं अपने हाथ से नेत्र ज्योति देते हुए बनाती हैं, उनको भी कर मुक्त किया जाए।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि अजमेर एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर कृषि पनप नहीं सकती है वहां पर वर्षों से कुक्कुट पालन का कार्य चल रहा है। राजस्थान में यह अव्वल नम्बर पर है और भारत में इसका पांचवां, छठा नम्बर है। पोल्ट्री फार्म्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि इसके लिए समय समय पर शिष्टमण्डल लेकर कृषि मंत्री और सम्बन्धित अधिकारियों से मिले हैं। मैं भी जब से विधायक बना हूं तब से कम से कम तीन मोटी समस्याएं लेकर मिला हूं लेकिन आज तक सफलता नहीं मिली है। एक समस्या यह है कि पड़ौस के प्रदेश में हजियरी में जो चूजें पालते हैं, छोटे-छोटे बच्चे जो मुर्गियां देती है, उन पर कर नहीं है। हमारे यहां उन पर कर है। इससे पोल्ट्री फार्म का काम करीब-करीब खतम हो रहा है। दूसरे मुर्गियों को जो आहार दिया जाता है, उसमें 40% पोलिश्ड राइस होता है। उसकी कीमत अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अधीन 207 रुपया प्रति टन है। अपने प्रदेश में सात आठ सौ रुपया टन से अधिक मिलता है जिसके कारण मुर्गी पालन का काम दिनों दिन खतम होता जा रहा है।

दूसरी जो मोटी समस्या है, वह यह है कि मुर्गी पालन को कृषि की संज्ञा दी जाये। बहुत से लोग कहते हैं कि गौ पालन को संज्ञा दी जाये। लेकिन अभी तक कृषि की संज्ञा नहीं दी गई है। मैं चाहूंगा कि कुक्कुट पालन को जो सुविधाएं दी हैं, जो मकान आदि बनाये गये हैं उनको पानी, बिजली की सुविधाएं दी जायें तो यह व्यवसाय दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। इसमें अजमेर जिले का भी भला होगा।

दूसरा मैं आयुर्वेद के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा, जैसा कि इस बजट में बताया है,

(श्री नवलराय बच्चाणी)

173 अस्पताल खोलने का विचार है। इससे पहले की क्या स्थिति है, यह भी अपने को सुनने को मिलती है। कई जगह नर्सेज नहीं हैं। कई जगह कम्पाउण्डर नहीं हैं। कहीं वैद्य नहीं हैं। आप देखेंगे कि अपने प्रदेश में दो आयुर्वेदिक कॉलेज हैं। मैं चाहूंगा कि पांच आयुर्वेदिक कालेज होने चाहिए। एक कालेज अजमेर में होना चाहिए। यहां पर एक बड़ा अस्पताल लोंगिया चल रहा है। आयुर्वेदिक कालेज लोंगिया के पास खोलना चाहिए। दूसरे प्राकृतिक चिकित्सा का और योग का कोई कॉलेज नहीं है। राजस्थान आयुर्वेद के क्षेत्र में शिरोमणि है इस विचार से मैं चाहूंगा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो उसके लिए प्रदेश में अलग से कॉलेज भी होना चाहिए जिससे कि वहां से सन्यासी निकल कर देश में प्रचार करें। उनकी पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। आयुर्वेद के कम्पाउण्डर कम हैं। उनकी पढ़ाई के लिए हमें ज्यादा केन्द्र खोलने चाहिए।

गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जानी चाहिए। जो गरीब होते है उनको कानूनी सहायता दी जानी चाहिए। ऐसे जो वकील हैं, जो उनकी सेवा में हैं, उनका प्रचार होना चाहिए जिससे कि गरीब उनकी सेवाओं का लाभ ले सकें।

दूसरे जो कर्मचारी इलाज कराते हैं, उनका दवाई का खर्चा होता है वह उनको बिल में दिखाना पड़ता है। मैं इसके लिए सुझाव दूंगा कि उनके लिए कुछ राशि निश्चित की जाये। जो उनके घरों के खर्च में आ सकती है। उनके परिवारों में जो बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, हृदय रोग है, कुष्ठ है, टी. बी. है, ऐसी बीमारियों में पाई पाई का जो खर्चा है, वह मिलना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा। जो ईमानदार आदमी अस्पताल में भी नहीं जाना चाहते हैं और झूठे बिल भी नहीं बनाना चाहते हैं उनको राहत मिलेगी। जो भ्रष्टाचारी हैं, जितना उनको वेतन मिलता है, उससे भी ज्यादा उनकी दवाइयों का बिल हो जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दूसरे अजमेर, राजस्थान का और भारत का एक केन्द्र स्थान है। यहां पर हवाई पट्टी के लिए कई बार कहा गया है। पिछले दिनों विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आश्वासन दिया था कि अजमेर में हवाई अड्डा खुलेगा। मैं निवेदन करूंगा कि हवाई पट्टी की जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जाये।

दूसरे अजमेर को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। अजमेर पहाड़ी इलाका है। यहां कृषि का विस्तार नहीं हो सकता है। इसलिए जो उद्योग अजमेर में लग सकते हैं, उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं वित्त मंत्री मास्टर आदित्येन्द्र जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा बजट दिया है जिससे गरीबों का उत्थान होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीवण भाई।

(अनुपस्थित)

श्री अमलाराम।

श्री मूलचन्द डागा : जोर से कहो। पाली जिले का नाम करो।

श्री अचलाराम (देसूरी) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा महसूस होता है कि वित्त मंत्री जी ने बहुत सोच समझ कर यह बजट पेश किया है। महोदयजी, इसके साथ साथ मैं कुछ समस्याएं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूँ। हमारा क्षेत्र पहले से काफी पिछड़ा हुआ है। इसके विकास के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया है और न स्वास्थ्य विभाग ने कोई ध्यान दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के सम्बन्ध में मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि देसूरी क्षेत्र अरावली की तराई में आया हुआ है। वहां पर सम्मिलित डैम बना सकते हैं। डैम बनने से कुओं में पानी हो सकता है और गरीब काश्तकारों की खेती की सिंचाई हो सकती है। वहां पर सर्वे हुआ था लेकिन सिंचाई मंत्री ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। बार–बार पत्र भी दिये हैं लेकिन कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं है। कुछ डैम ऐसे हैं जिनकी कितने ही सालों से योजना विचाराधीन है किन्तु उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री महोदय, पूनिया साहब का ध्यान आकर्षित करता हूं कि हमारे राणेश्वरी के पास रानी नदी है। उस पर पुल के लिए 15 साल पहले एस्टीमेट बन चुका है। फिर भी उत्तर मिलता है कि इस वक्त उस पुल पर खर्च करने का कोई प्रावधान नहीं है। 15 साल से यही उत्तर मिलता है।

साथ ही साथ हमारे पाली जिले के एक सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। पाली जिले में जितनी भी सड़कें डामर की बन रही हैं वह सिर्फ कंक्रीट की और मिट्टी मिलाकर बनाई जा रही हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो किसी भी टेक्निकल आदमी को भेजकर इसकी जांच कराई जा सकती है कि यह बात सत्य है या नहीं। ऐसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये। इस प्रकार काम होता गया तो ठीक नहीं है।

श्री उगमराज मेहता : एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का नाम क्या है ?

श्री अचलाराम : सदन की परम्परा है, मैं नाम नहीं बताना चाहता। इसकी सूचना मन्त्री महोदय को दे दी है।

अभी स्वास्थ्य मन्त्रीजी यहां पर नहीं हैं फिर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सेठ लोग बिल्डिंगें बनाने के लिये तैयार हैं, दस-दस हजार रुपये की दवाइयां देने को तैयार हैं इसके बावजूद जहां पर लगभग 6–6 हजार की आबादी है वहां पर किसी प्रकार की स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। आपने यह पालिसी बनाई है कि प्रत्येक पंचायत में दो-दो औषधालय खोले जायेंगे। मेरा कहना है कि आपकी पालिसी में सुधार किया जाना चाहिये। हमारे रानी नगर में शिशु कल्याण केन्द्र की बिल्डिंग वर्षों से है लेकिन वहां पर एक नर्स काम कर रही है, महिला डाक्टर भी वहां पर नहीं है, इसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

(श्री अचलाराम)

माननीय उपाध्यक्षजी, शिक्षा के सम्बन्ध में यह बात कही गई है कि प्रत्येक चार सौ की जन संख्या की आबादी वाले गांव में स्कूल खोला जायगा। ऐसे गांव हमारे क्षेत्र में बहुत से हैं पिछले वर्ष बार-बार डिमाण्ड करने पर भी कुछ ही स्कूल खोले गये थे। अब मैं आशा करता हूं कि अगले सेशन में हमारी मांग पूरी होगी। यह मैं पहले भी आपके ध्यान में ला चुका हूं। जब आप फालना पधारे थे उस वक्त भी मांग की थी।

हमारा क्षेत्र लघु किसानों का क्षेत्र है। वहां पर लघु किसान विकास अधिकरण की योजना लागू की जानी चाहिये लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कृषि मन्त्रीजी को हमने ज्ञापन भी दिया है लेकिन कोई भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बालकों के चरित्र निर्माण की जो संस्था है उसका न तो राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है और न ही वित्त मन्त्री महोदय के बजट भाषण में उसका कोई उल्लेख है। वह स्काउट की संस्था है जहां पर बालकों का चरित्र निर्माण होता है, एन.सी.सी. की संस्था है जहां पर बालकों का चरित्र निर्माण होता है और वहां से ही बालक आगे जाकर देश के भावी कर्णधार और देश के भावी नागरिक बनते हैं, इसलिए इन संस्थाओं को विशेष सुविधायें दी जानी चाहिये ताकि वे देश को अच्छी तरह से संभाल सकें और देश की तरक्की कर सकें।

श्री नूरा : आर.एस.एस. का नाम नहीं लिया ?

श्री अचलाराम : और मितव्ययता से बजट को पेश कर सकें। लेकिन स्काउट की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

समाचार पत्रों के सम्बन्ध में व्यासजी ने बात कही है उसका समर्थन करते हुए लघु पत्रकारों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह बात वास्तव में सही है कि उनको न तो यातायात की कोई सुविधा है और न ही कोई और सुविधा। उनकी तरफ जरूर ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, मुफलिसों के सियाखानों में आंसुओं के चिराग जलते हैं और उन चिरागों की झिलमिलाहट में सैंकड़ों इन्कलाब पनपते हैं। बहुत बड़े बड़े भाषण आपने पेश किये। बजट भाषण का पहले रंग था पीला। पीला रंग अब सूख गया और हो गया गुलाबी।

एक माननीय सदस्य : गुलाबी नहीं सफेद।

श्री मूलचन्द डागा : मैं एक बात कहना चाहता हूं, समय बहुत कम है बड़ी-बड़ी घोषणायें खर्चा कम करने की हुई थी। बड़ा खर्चा कम करके जनता पार्टी ने बजट पेश किया है। हिन्दुस्तान के कोने-कोने में इस बात की चर्चा की गई कि सादगी की तरफ हम चले गये। लेकिन बजट यह कहता है, श्रीमान्, मन्त्रियों पर खर्चा 2 लाख 16 हजार रुपये होता था

(श्री मूलचन्द डागा)

और अब 3 लाख 80 हजार रुपये होगा। पहले मन्त्रियों के द्वारा पहले डिस्क्रिशनरी ग्रान्ट के 3 लाख 26 हजार रुपये थे। आज 3 लाख 17 हजार रुपये रखे गये हैं शायद अब मंत्री जवान हैं फिर भी पहले 13 लाख रुपये रखे गये थे लेकिन अब 33 लाख रुपये रखे गये हैं। आपने कहा मन्त्रियों की संख्या में कमी की जायगी। मोटर कार पर आपने फर्माया कि बहुत कम खर्चा 15 लाख की जगह ड्योढ़ा होगा। भगवान जाने कैसे खर्चा कम होगा? पानी पर पहले 85 हजार खर्च होता था अब 1 लाख 50 हजार होगा। यह तो मैंने मन्त्रियों की बात कही, अब मैं दूसरे खर्चे की बात कहना चाहता हूं। भगवान जानता है कि जनता को किस प्रकार से धोखा देते हैं। श्रीमान्, अधिकार विश्वास से नहीं आता है। आप गरीब हिन्दुस्तान में–राजस्थान में 56.30 प्रतिशत बताते हैं, जब गरीब जाग जायगा तब मन्त्रियों का सफाया करेगा। हिन्दुस्तान के पूंजीपति और चन्द लोगों ने राज जमा रखा है, इस राज को बदलने वाले चन्द लोग हैं, कुछ हम राजनीतिज्ञ लोग हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी हैं और पूंजीपति हैं, ये ही लोग गरीबों पर राज करते हैं। इस बजट में क्रांतिकारी कुछ नहीं है। भूदान की बात की, फिर सर्वोदय की बात की और आज समग्र ग्राम विकास की करने लगे, सिंचाई और खेती की बात करने लगे, यह सब भुलावा देने की बात है। एक बात तो बतावें कि आपने कौन से खर्चे में कमी की है? आप खर्चे में कमी करने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि पहले आपके मन्त्रियों का खर्च 138.68 था, आज वह खर्चा बढ़कर 170.85 करोड़ हो गया है यानि जो खर्चा करोड़ों में कम करना चाहिये था वह करोड़ों में ही बढ़ गया। आप कोई भी बात बता दीजिये, मैं टोटल बताना चाहता हूं जो टोटल खर्चा पहले 410.34 करोड़ का था वह 725.7 करोड़ बढ़ गया। फिर किस प्रकार से खर्चे में कमी हुई? कहां सरकारी कर्मचारी के खर्चे में कमी हुई है? इसमें भी खर्च बढ़ गया है। हिन्दुस्तान में और हमारे प्रदेश में एक ही तरह के लोग राज करते हैं। सरकारी कर्मचारी, प्रशासक और मन्त्रियों की तनख्वाह में कहीं भी कमी नहीं हुई बल्कि खर्चा बढ़ रहा है और धन का दुरुपयोग हो रहा है, मैं इस बात की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

कृपा करके, श्रम मन्त्रीजी, आप वित्त मन्त्री से बात मत करिये मैं जानता हूं कि आप काफी बड़े हैं लेकिन दोनों मिलकर भी कुछ नहीं कर सके हैं। आप चक्कर में आ गये। गलत जगह आ गये। आपकी समाजवादी नीतियों का, लोहिया की नीतियों का पालन नहीं किया जायगा।

श्रीमन्, यह मैं रिपोर्ट पेश कर रहा हूं थर्ड सैन्ट्रल पे कमीशन की, थोड़ा सा पढ़ कर सुनाता हूं

"Though these reports and studies have serious limitations, they show that planning has apparently done little to redress the inequalities of income and wealth. According to the estimates of the Planning Commission also, the disparity between the richest and poorest 30 per cent in terms of absolute per capita

(श्री मूलचन्द डागा)
consumption has been showing an increasing trend."

एक माननीय सदस्य : डागाजी, आप राष्ट्र भाषा में बोलें।

श्री मूलचन्द डागा :
"A socialistic pattern of society demands the creation of a sense of partnership among all secti ns of the community, and it is high time that the image of the Government servants as a privileged class, which we inherited from British days, should vanish. Therefore, the levels of salaries adopted for Government employees cannot be out of step with the prevailing economic conditions of the masses. At the same time they have to satisfy the criterion of adequacy for maintaining efficiency."

मैं यह कहना चाहता हूं इस सारे बजट में कितना प्रतिशत आपने प्रिविलेज क्लास पर व्यय किया है ? आपके सचिवालय में अधिकारी लोग हैं, सचिवालय में कर्मचारी लोग हैं और जिला प्रशासन के अन्दर काफी बड़ा अमला पड़ा हुआ है इसके अन्दर आपने कितनी कमी की है ? पिछले बजट भाषण में आपने कहा था कि हम अपने बजट में मितव्ययता करेंगे, प्रशासन में खर्च कम करेंगे, सादगी से रहेंगे। श्रीमन्, आज भी आपके राज्य में गरीब गरीब हो है। आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। आपने कहा था कि गरीब और अमीर में अन्तर कम करेंगे। कहां किस जगह आपने अन्तर कम किया है ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके सचिवालय और सचिवालय में बैठने वाले अधिकारी और कर्मचारी कितना काम करते हैं ? दिन में साढ़े आठ घन्टे काम करने के बजाय वह दो घन्टे काम करते हैं। आज उनकी क्षमता नहीं है काम करने की। इन सभी लोगों का भार आपने जनता पर टैक्स लगा कर डाल दिया। आपने कहा कि हमने राज्य की आमदनी बढ़ायी है पर आपने तो टैक्स लगाकर गरीब जनता की कमर तोड़ दी है। आपने कहां पर जनता को रिलीफ दी है ? आप हमें बतायें तो सही, मास्टर आदित्येन्द्र जी, कहां गया आपका समाजवाद ? मैं आपको पूछना चाहूंगा, मास्टर आदित्येन्द्र जी, समाजवादी होने के नाते क्या आपके मन में इस बजट भाषण को पढ़ते हुए थोड़ा सा भी दुःख दर्द महसूस नहीं हुआ। आप आदित्येन्द्र जी, गान्धीवादी बनते थे और कहा करते थे कि हमारे गांधी के स्वप्नों का भारत ऐसा होगा जहां पर कि राजा-महाराजाओं और गरीबों में कोई अन्तर नहीं होगा। यह बात आपने मुझे कही थी पाली में। लेकिन मैं देख रहा हूं कि यह आपकी सारी थोथी घोषणायें थीं। आपकी जनता पार्टी की ईमानदारी कहां है ? कहां बजट में खर्च में कमी की ? कहां मितव्ययता है ? बड़ी सादगी की बातें करते थे लेकिन बजट में देखते हैं तो देखते हैं कि भवनों के लिये खर्चा बढ़ गया मकान बन रहे हैं, स्टाफ बढ़ाया जा रहा है। कारों के लिये खर्चा किया जा रहा है। जरा आपने बजट भाषण को पढ़ो। श्रम मन्त्री जी, आप भी पढ़ो। आप समाजवादी बातें करते थे। अब तो गांवों में जाकर यह कहो कि अरे भाई, मैं तो फंस गया।

(श्री मूलचन्द डागा)
यह आपने क्या किया है। आपको समाजवादी होने के नाते इस प्रकार के बजट के लिये शर्म करनी चाहिये।

श्री दाऊ दयाल जोशी : डागाजी, आप अपनी ओर देखो।

(व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय आपके एक समाजवादी नेता श्री मीनू मसानी जी ने यह लैटर लिखा था उसको मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं पर थोड़ा डरता हूं क्योंकि समय कम है इसलिये आपकी घन्टी कहीं बज न जाय। घन्टी नहीं बजायें तो कृपा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको निवेदन करना चाहूंगा। उन्होंने अपने लैटर में लिखा :

"Assuming, however, that you will have to budget for lower revenues, this will have to be balanced by a drastic cut in unproductive civil expenditure."

"No country can prosper if it has to carry the burden of an army of unproductive parasites. Your predecessors talked of the need for such a drastic cut in civil expenditure, but a lack of courage prevented them from implementing their budget speeches. A drastic cut in unproductive expenditure will not only facilitate tax reduction but also ensure an avoidance of deficit financing and the resulting monetary inflation."

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपका खर्चा किस प्रकार कम हुआ ? कहां पर कमी की आपने ? मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कभी हम आप पर कीचड़ उछालते हैं और कभी आप हम पर कीचड़ उछालते हैं। हमारे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सचिवालय में बड़े बड़े ओहदों पर बड़ी बड़ी तनख्वाहें लिए हुए बैठे हैं। आपने कहा था कि हम लोगों के वेतन में 1:20 का रेश्यो रखेंगे। आपने क्या रेश्यो रखा है।

श्री केदार नाथ: हमने इसके लिए कमेटी बिठा दी है।

श्री मूलचन्द डागा : अरे आप कमेटी चाहे बैठाओ या मत बैठाओ नीचे जो जमीन पर बैठे हैं जरा उनको ऊपर लाओ।

आपने यह कहा था कि हम सेल्स टैक्स को बन्द कर देंगे। कहां पर किया बन्द आपने ? सीलिंग के बारे में बातें बढ़ा चढ़ाकर कीं लेकिन आपने सामन्तों की मदद के लिए उन जमीनों को लेने में रोक लगा दी है। मुख्य मन्त्रीजी ने यहां सदन में कल कहा था कि भैरोंसिंह तो समाज का सेवक है। आपने क्या समाज का सेवक होने की बात की है, आपने तो पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह तो कांग्रेस ने दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : अरे जोशी जी आप तो च्यवनप्राश देवो।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट में कोई गुन्जायश ही नहीं है। क्या नयी योजनायें शुरू कीं,

(श्री मूलचन्द डागा)
कहां प्रगति की, कहां मितव्ययता की, कहीं कोई चीज नजर नहीं आती। केवल अधिकारी वर्ग को आप पनपा रहे हैं। केवल नारों से लोगों में आस्था नहीं आयेगी।

(व्यवधान)

महंगाई के बारे में क्या हुआ। आपने क्या कदम उठाये हैं। इसके लिये भी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि :

"A comparison between the prices of primary articles through the wholesale price index as on 5.2.77 and as on 4.2.78 show that the food price index rose from 158.8 to 169.8, recording a 7% rise."

मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं कह कर इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने कितने काले बाजार करने वालों को, मुनाफाखोरों को पकड़ा? कितने व्यक्तियों का चालान किया? वित्त मन्त्रीजी, सिर्फ आंकड़े देने से काम नहीं चलता। अगर आंकड़े देने हों तो बताओ कि कितने काला बाजार करने वालों का चालान हुआ? कितने मुनाफाखोरों को जेल के सींकचों में आपने बन्द किया? मैं आपके ऊपर चार्ज लगाना चाहता हूं वित्त मन्त्रीजी, इसी माह, मार्च में दिनांक 1-3-78 को आपके सभी मन्त्री लोगों ने खाना खाया है एक जगह, श्री राम प्रसाद मंगोड़ीवाला के यहां पर। वहां पर एक हजार लोगों का खाना था। वहां पर आपके कई मन्त्री लोग गये थे। क्या यह गेस्ट कन्ट्रोल आर्डर का वायोलेशन नहीं है? उपाध्यक्ष महोदय, एक हजार लोगों ने खाना खाया।

श्री माणक चन्द सुराणा : आप नहीं थे क्या, डागाजी?

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपको पूछना चाहता हूं वित्तमन्त्रीजी, आप समाजवादी हो। आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं इसको?

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डागाजी से पूछ रहा हूं कि यह कहां थे? डागाजी, आपने कीमतें घटायी नहीं, बढ़ाई हैं। आप चाहें तो परसरामजी को पूछ लें। हमने तो काश्तकारों का ज्यादा कीमतों पर अनाज बिकवाया है। अच्छी कीमतें दी हैं। आपकी तरह मोठ की नाकेबन्दी करवा कर महंगाई नहीं बढ़ायी है।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा मुनाफा तो कभी व्यापारियों ने किसानों से पिछले तीस सालों में भी नहीं उठाया था।

श्री माणकचन्द सुराणा : अरे हम तो कहते हैं आप जाकर काश्तकारों से पूछ लो उन्होंने पूरा लाभ उठाया है, सारी कसर निकाली है। काश्तकारों को बढ़ी हुई कीमतें मिली हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है। सदन की कार्यवाही कल दिनांक 9 मार्च, 1978 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 5.00 बजे बृहस्पतिवार 9 मार्च, 1978 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 93 के प्रतिवेदन)

वर्ष 1974–75 से अनुदानित छात्रावास, डीडवाना के विरुद्ध प्राप्त सहायता राशि के दुरुपयोग व गबन की शिकायतें एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण

क्रमांक	शिकायती पत्र की तिथि	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही
1.	14-2-74	डीडवाना छात्रावास को स्वीकृत 11000 रुपये की अनुदान की राशि का छात्रावास के लिये उपयोग नहीं करना तथा अध्यक्ष श्री हीराराम द्वारा गबन करना।	वर्ष 73–74 में छात्रावास का निरीक्षण जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया गया था। छात्रावास में सम्पूर्ण सुविधायें नहीं देने एवं छात्रों की अनुपस्थिति आदि के संबंध में 1980 रुपये की कटौती की गई थी। इसी प्रकार वर्ष 74-75 में भी जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया तथा अनुपस्थिति एवं निर्धारित सीमा तक सुविधायें उपलब्ध नहीं करने के कारण 9182 रुपये की कटौती की गई। इसी प्रकार वर्ष 75–76 में 710 रुपये की कटौती की गई।
2. 3.	28-11-77 3-2-78	अनुदानित छात्रावास डीडवाना की अनुदान राशि वर्ष 75–76 का गबन श्री बुद्धाराम अध्यक्ष व श्री लक्ष्मणराम, मंत्री द्वारा करना तथा फर्जी रेकार्ड तैयार कर आडिट करवाना।	श्री हरजीराम, विधायक ने वर्ष 75–76 की अनुदान राशि का गबन श्री बुद्धाराम व लक्ष्मणराम द्वारा करना बताया। परन्तु वर्ष 75–76 में कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्री बुद्धाराम नहीं थे बल्कि श्री हीराराम थे। अतः इस विभाग के पत्र दिनांक 30–1–78 के द्वारा श्री हरजीराम को सूचित किया गया कि वर्ष 75–76 में छात्रावास का संचालन श्री बुद्धाराम व लक्ष्मणराम द्वारा नहीं किया जाता था। अतः इनके द्वारा गबन का प्रश्न नहीं उठता। इसके उपरांत उक्त विभागीय पत्र के उत्तर में श्री हरजीराम ने पुनः पत्र प्रेषित किया जो 14–2–78 को प्राप्त हुआ, जिसमें पुनः गबन करने, श्री बुद्धाराम व लक्ष्मणराम द्वारा फर्जी रेकार्ड तैयार करने की शिकायत अंकित की। इस संबंध में इस विभाग के पत्र दिनांक 2–3–78 द्वारा जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, नागौर को जांच कर प्रतिवेदन भेजने हेतु लिखा गया है। प्रतिवेदन अपेक्षित है।

Shri Rashtriya Harijan Kisan Chhattrawas, Didwana (Raj.)

Receipts and Payments accounts for the year ending on 30th June, 1975

Sagar Jangid & Co.,
Chartered Accountants,
Jodhpur/Bombay.

A/c. Year 1-7-74 to 30-7-75 Assessment Year 1974-75

Phone : Office : 23894
Res. : 21614
Opp. M. G. Hospital, Jodhpur.

L. F.	Previous Year Rs. P.	Particulars	Details Rs. P.	Total Amount Rs. P.	L. F.	Previous Year Rs. P.	Particulars	Details Rs. P.	Total Amount Rs. P.
		To : Opening Balance (As per Cash Book)		1006.21			By Electricity Expenses		36.20
		To : Donations.		6800.00			By Water Expenses		253.35
		To : Grant in aid		8800.00			By Hair Cutting		197.00
		To : Loan Account		18400.00			By Audit Fees		45.00
		To : Caution Money received		400.00			By Stationery		420.00
							By Building Repairs		61.40
							By Furniture Repairs		105.00
							By Travelling Expenses		112.35
							By Administration Expenses		452.00
							By Provision, Vegetables, Break-fast, etc		27441.70
							By Salaries		2060.00
							By Loan Payment		3000.00
							By Cash in hand (as per Cash Book as on 30-6-75.)		611.76
							By Caution Money refund		400.00
				35406.21					35406.21

Audit Report:—Checked and found in accordance with the Cash Book and Vouchers produced before us and explanation given to us. Reccipts of Donations and Loan accounts are not auailable.

For Sagar Jangid & Company,
Chartered Accountants.

(S. M. Jangid)
B. Com. LL. B. F. C. A.

Jodhpur.
Sept. 27, 1975.

Shri Rashtriya Harijan Kisan Chhatrawas,
Didwana (Raj.)

Sagar Jangid & Co.,
Chartered Accountants.
Jodhpur/Bombay.

Account year 1-7-75 Assessment year 1975-76

Receipts and payment Account for the year ending on 30.6.1976.

Phone : Office : 23894
Res. : 21614
Opp. M.G. Hospital,
Jodhpur.

L. F.	Previous year Rs. P.	Receipts	Details Rs. P.	Total Amount Rs. P.	L. F.	Previous year Rs. P.	Payments	Datails Rs. P.	Total Amount Rs.
		To Opening balance. (As Per Cash Book)		811.76			By Electricity Expenses.		250.45
		To Donation Received.		51.00			,, Water Expenses.		107.80
		,, Grant-in-aid		19915.00			,, Stationery.		420.00
		,, Loan Account		1640.00			,, Building Repairing.		470.00
		,, Caution Money Received.		400.00			,, Travelling expenses.		250.90
							,, Postage expenses.		39.80
							,, Provision-Vegetable & Fooding A/c.		18667.75
							,, Salaries.		2592.00
							,, Cash in hand.		19.06
				22817.76					22817.76

Audit Report:-- Checked and found in accordance with the Cash Book and Vouchers Produced before us and explanations given to us. Receipts of Donation and Loan Accounts are not available.

For Sagar Jangid & Company,
Chartered Accountants..

(S. M. Jangid)
B.Com.LL. B. F.C.A.

Jodhpur :
Dated : 26th Dec., 1976.

106

Shri Rashtriya Harijan Kisan Chhatrawas, Didwana (Raj.)

Sagar Jangid & Co.,
Chartered Accountants,
Jodhpur/Bombay.

A/c. year 1-7-76 to 30-6-77 Assessment year 1976-77

Phone : Office : 23894
Resi. : 21614
Opp. M.G. Hospital, Jodhpur.

Receipt & payment Accounts for the year ending 30-6-77.

L.F.	Previous year. Rs. P.	Particulars	Details Rs. P.	Total Amount Rs. P.	L.F	Previous year Rs. P.	Particulars	Details Rs. P.	Total Amount Rs. P.
		To : Opening Balance		19.06			By Electricity Expenses		642.36
		To : Donation received		2302.00			By Water Expenses		443.86
		To : Grant-in-Aid		29198.00			By Stationery		115.20
		To : Loan		2131.73			By Building Repairing		1470.00
		To : Caution Money Received.		70.00			By Travelling Expenses		1153.05
							By Postage Expenditure		33.00
							By Cosen		27.35
							By Dispensary		34.21
							By Cloth (Dress)		1400.00
							By Provision and Fuel Expdt. (Breakfast, Spl. Diet & Vegetables)		24512.93
							By Administration		294.34
							By Salaries		3184.00
							By Audit Fees		120.00
							By Cash in Hand (As per Cash Book)		30.49
				33720.79					33720.79

Audit Report:—Checked and found in accordance with the Cash Book and Vouchers produced before us and explanation given to us.

For Sagar Jangid & Co.,
Chartered Accountant.
(S. M. Jangid)
B. Com. LL.B. F.C.A.

Place : Jodhpur.
Dated : 23rd Nov., 77

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 95 की सूची)

सूची (अ)

क्र. सं.	नाम ग्राम	1964–65 में अवाप्त की गई भूमि का क्षेत्रफल	
		बीघा	बिस्वा
1.	नोह	174	13
2.	मालोनी	80	06
3.	बजेरा	35	02
4.	समसपुर खुर्द	40	19
5.	छेमरा	143	03
6.	बछामदी	291	18
7.	कस्बा भरतपुर चक नं. 2	101	01
		867	02

सूची (ब)

क्र. सं.	नाम ग्राम	1976–77 में अवाप्त की गई भूमि का क्षेत्रफल	
		बीघा	बिसवा
1.	बस्सी ब्राहना	25	00
2.	नागला पैम	9	06
3.	बीरा बैर	30	13
4.	ठैई	91	10
		156	09

ग्राम ठैई में 21 बीघा 1 बिस्वा भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है। शेष का मामला विचाराधीन है।

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

ब्यावर में चुंगी की दरें

99. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर):–क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर में चुंगी की दरें जयपुर, जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा आदि शहरों से बहुत ज्यादा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि यहां चुंगी की दरें अधिक होने से ब्यावर में दिनों दिन व्यापार कम होता जा रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि यहाँ चुंगी की दरें अधिक होने से कर की चोरियां भी होती हैं ? यदि हां तो आज दिन तक कितने केसेज पकड़े ?

(4) क्या अब राज्य सरकार चुंगी की दरें ब्यावर में कम करने राजस्थान में सभी जगह एक जैसी करने का इरादा रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। नगरपरिषद् ब्यावर में चुंगी की दरें जयपुर, जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा से कुछ मदों पर अधिक हैं तथा कुछ पर कम एवं कुछ पर एक समान है।

(2) यह सही नहीं है।

(3) जी नहीं। वर्ष 1976–77 में 189 चुंगी चोरी के मामले में पकड़े गये तथा वर्ष 1977–78 में अब तक 158 मामले पकड़े गये हैं।

(4) चुंगी दरों में नगरपालिकाओं के थोक व्यापार स्थिति के अनुसार वर्गीकरण किया जाकर चुंगी दरों में एक रूपता लाने का प्रश्न विचाराधीन है।

चम्बल के बीहड़ों को समतल करने से डाकू समस्या समाप्ति में योगदान

100. श्री जगदीश सिंह (धौलपुर):–क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि चम्बल के बीहड़ों को समतल करने से धौलपुर और करौली की डाकू समस्या को समाप्त करने में योगदान होगा ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार ने रुपये 13.65 करोड़ की एक सात वर्षीय योजना बनाकर केन्द्र सरकार को अनुमोदनार्थ भेजी है। योजना के मुख्य कार्य-क्रम निम्न प्रकार से हैं:–

(1) रुपये 5.89 करोड़ की लागत से 22.000 हैक्टर भूमि पर वृक्षारोपण कार्य करना।

(गृह मंत्री)

(2) रुपये 2.76 करोड़ की लागत से 19.200 हैक्टर भूमि पर भू-संरक्षण कार्य करना ।

(3) रु. 5.00 करोड़ की लागत से इस क्षेत्र में 443 किलोमीटर सड़कों का निर्माण/सुधार करना ।

वन विभाग के वन पौधशाला उत्पादन में इन्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट

101. श्री एच.एन.शर्मा (बेंगू):—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग के तहत वन पौधशाला में निर्माणकरण एवं उत्पादन तथा फिर बिक्री की प्रक्रिया बीज डालकर पौधों को उगाकर और फिर बेच कर पूरी की जाती है ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रक्रिया के कारण यह एक इन्डस्ट्री नहीं है ? अगर नहीं है, तो क्यों और किन कारणों से ?

(3) क्या वन पौधशाला में उत्पादन बिक्री दोनों ही प्रक्रियाओं का समावेश है ? यदि हां तो वन पौधशाला में कार्य करने वाले कर्मचारियों के हकों को ध्यान में रख कर इन्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट क्यों नहीं लागू किया गया है ? क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में इसे इन्डस्ट्री घोषित कर इन्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट लागू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वन विभाग द्वारा, पौधशालाओं का निर्माण, एवं उनके बीज डालकर पौधों का उत्पादन किया जाता है जिससे मुख्यतः विभागीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है । कुछ क्षेत्र में कहीं कहीं पौधों की कीमत पर बिक्री भी की जाती है ।

(2) जी नहीं—वन पौधशाला कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं हैं और न इनका ध्येय कोई मुनाफा कमाने का ही है ।

(3) जैसाकि ऊपर उल्लेखित है पौधशालाओं में उत्पादित पौधों से मुख्य रूप से विभागीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है । पौधशालाओं में श्रमिकों की नियमित रूप से आवश्यकता नहीं रहती है जब कभी कार्य होता है और आवश्यकता होती है तो उनको आकस्मिक रूप से दैनिक मजदूरी पर श्रमिक कार्य पर लगा लिये जाते हैं । वन पौधशालायें व्यापारिक संस्थायें नहीं हैं और इनका उद्देश्य कोई नफा कमाना नहीं है । अतः समय समय पर किये जाने वाले आकस्मिक श्रमिकों के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम को लागू किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता ।

कुम्भलगढ तहसील का तलादरी बांध

102. श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (कुम्भालगढ़):—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुम्भालगढ़ तहसील में तलादरी बांध बनाया गया था ? यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार ने कितना रुपया व्यय किया ।

(2) क्या यह सही है कि जितने क्षेत्र में तलादरी बांध का पानी भरा उतने क्षेत्र फल में भी इसके पानी से सिंचाई नहीं होती ?

(श्री गोविन्द सिंह शक्तावत)

(3) वर्तमान में तलादरी बांध से कितने एकड़ में सिंचाई हो रही है ?

उत्तर

(1) जी हां । इस योजना पर राज्य सरकार द्वारा लघु सिंचाई मद से 9.070 लाख रुपया व अकाल राहत मद से 6.362 लाख रुपया, कुल 15.432 लाख रुपया व्यय किया गया ।

(2) जी नहीं ।

(3) वर्ष 1976-77 के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 147 बीघा (59 एकड़) भूमि में सिंचाई की जा चुकी है ।

पत्राचार से एम. एड. की परीक्षा

103. श्री कल्याण सिंह सांखला (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि शिविरा, स्थायी आदेश 1.1.967 अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत कोई शिक्षा विभाग का सरकारी शिक्षक एवं अधिकारी एम. एड. की परीक्षा पत्राचार से नहीं कर सकता है ?

(2) क्या यह सही है कि श्री विपिन बिहारी वाजपेयी ने बिना राज्य सरकार की अनुमति के 1968–69, 1969–70 में पूना विश्वविद्यालय से पूना जाकर लगभग (दो सत्रों) 90 दिनों तक विश्वविद्यालय में रहकर पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा एम. एड. की कक्षाओं में उपस्थिति देकर परीक्षा दी ?

(3) क्या यह सही है कि श्री विपिन बिहारी वाजपेयी ने जिस सत्र में एम. एड. की सार्वजनिक परीक्षा दी उसी वर्ष में राजस्थान बोर्ड की परीक्षा में मुख्य परीक्षक का कार्य भी किया ? क्या यह नियमों के विरुद्ध नहीं है ? यदि हां, तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(4) शिक्षा विभाग, बीकानेर की बिना अनुमति के सार्वजनिक परीक्षा में बैठने वाले अध्यापकों को निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर क्या दंड देता है ?

(5) श्री विपिन बिहारी वाजपेयी जब एम. एड. दो सत्रों में कक्षाओं में उपस्थिति देने हेतु एवं पूना में परीक्षा देने हेतु गये तब उन्होंने अपने पद का चार्ज विधिवत् किस अधिकारी को दिया था ? यदि चार्ज नहीं दिया तो इसका क्या कारण था ? विभाग ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां । केवल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्य करने वाले अधिकारी एम. एड. अवकाशकालीन पत्राचारीय परीक्षा दे सकते हैं ।

(2) जी नहीं । श्री वाजपेयी के प्रशिक्षण महाविद्यालय में कार्यरत होने के कारण अनुमति प्राप्त कर अंशकालीन एवं निदेशाधीन पाठ्यक्रम द्वारा एम. एड. परीक्षा दी ।

(3) जी हां । यह बोर्ड के नियमों के विरुद्ध था ? बोर्ड ने श्री वाजपेयी को 5 वर्ष के लिए सत्र 1972-76 तक बोर्ड के समस्त पारिश्रमिक कार्यों से वंचित कर दिया था ।

(शिक्षा मंत्री)

(4) यदि किसी परीक्षा में बैठने को नियमों का उल्लंघन मानकर विभिन्न प्रकार के दंड दिये जाते हैं, जैसे परिनिन्दा, वेतन वृद्धि रोकना।

(5) श्री विपिन बिहारी बाजपेयी ने एम. एड की परीक्षा के लिए कोई उपार्जित अवकाश नहीं लिया, अतः चार्ज देने का प्रश्न नहीं था।

आयुर्वेद अस्पतालों में नर्सों की कमी

104. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के आयुर्वेद औषधालयों में अधिकांश स्थानों पर नर्स की व्यवस्था नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि औषधालयों में नर्स का पद स्वीकृत होने के पश्चात् भी राज्य सरकार नर्स उपलब्ध कराने में असमर्थ है ?

(3) क्या यह सही कि नर्सों के अभाव में गांवों के औषधालय में महिलाओं को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है ?

(4) राज्य सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए क्या नर्स प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) आयुर्वेद औषधालयों में अधिकांशतः कम्पाउंडर/धात्री की व्यवस्था है।

(2) जी नहीं।

(3) अधिकांशतः कल्पद/धात्री के पद भरे हुए हैं।

(4) राज्य में एक महाविद्यालय (सरदारशहर) निजी क्षेत्र में सरकारी आर्थिक अनुदान द्वारा संचालित है, जहां महिलायें एवं पुरुष दोनों ही प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। एक नवीन धात्री/कल्पद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम महाविद्यालय, उदयपुर के अधीन अनुसूचित जनजाति के आशार्थियों हेतु प्रारम्भ करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राज्य में श्री संजय गांधी दौरा और व्यय की गई राशि

105. श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (आसीन्द) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री संजय गांधी ने राज्य के किन-किन नगरों का दौरा किया था व कितनी राशि राज्य सरकार, विभागों/संस्थाओं द्वारा स्वागत समारोह पर व्यय की गई ?

(2) क्या इस हेतु विभागों द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति ली गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) जिन विभागीय अधिकारियों द्वारा गलत ढंग से राशि व्यय की गई उनके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) श्री संजय गांधी ने राजस्थान राज्य के बीकानेर, बांसवाड़ा एवं जयपुर नगर के दौरे किये थे। इनके स्वागत समारोह पर राज्य सरकार।विभागों संस्थाओं ने

(श्री विजयेन्द्र पाल सिंह)
उपरोक्त तीनों दौरों पर रुपये 18,43,336-30 पैसे व्यय किये गये थे।

(2) जी हां।

(3) विभागीय अधिकारियों द्वारा गलत ढंग से राशि व्यय करने की सूचना राज्य सरकार के पास नहीं है।

झुन्झुनूं जिले के ट्रान्सफारमर्स

107. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के झुन्झुनूं जिले में कितने ट्रांसफार्मर अब तक ओवरलोड चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार इन ओवर-लोड ट्रांसफारमर को सही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक इन ओवर लोड ट्रान्सफारमर को बदल दिया जावेगा?

(3) बिजली में वर्तमान में झटके आने के क्या कारण हैं? क्या राज्य सरकार इन्हें दूर करने के कोई उपाय कर रही है?

(4) राज्य में इस समय कितने ट्रांस-फारमर खराब पड़े हैं? और उनकी कितनी कितनी कीमत है?

(5) इस वर्ष जनवरी से अब तक कितने ट्रांसफारमर सर्विस के लिए दिये गये? और कितने ठीक होकर आ गये और कितने सर्विस में पड़े? विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) झुन्झुनूं जिले में जो ट्रांसफार्मर ओवर लोडेड हैं, उनकी सूची 'ए' संलग्न है।

(2) जी हां। प्रतिवर्ष इस कार्य के लिये धन का आवंटन किया जाता है। जैसे-जैसे धन की उपलब्धि होगी, अधिक क्षमता के ट्रान्सफारमर लगाये जावेंगे।

(3) भाखड़ा और ब्यास सिस्टम के साथ 'पेरेलल' में चल रहे थर्मल स्टेशनों के उत्पादन में कठिनाइयां अथवा मशीनें बन्द होने के कारण सिस्टम में बिजली की सप्लाई में फरवरी 1978 के प्रारम्भ से गड़बड़ी चल रही है। इसका खास असर दिन में रहता है। भाखड़ा सिस्टम के विभिन्न उत्पादन केन्द्रों को नियंत्रण करने वाले अधिकारियों व सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी आथोरिटी व नार्दन रीजनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल इन गड़बड़ियों के विषय में प्रायः लगातार अवगत करा रहा है। जैसे-जैसे मशीनें ठीक होती जाती हैं, प्रति-दिन की स्थिति में सुधार होता है।

(4) दिसम्बर, 1977 तक करीब 2200 डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर खराब थे इनकी अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपये की है।

(5) इस वर्ष जनवरी, 1973 में 34 ट्रान्सफार्मर खराब हुए और 30 ठीक किये गये।

(119)

STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF OVERLOADED TRANSFORMERS IN (O&M) DIVISION; JHUNJHUNU

APPENDIX 'A'

Sl. No.	Name of S/S	Existing capacity	Existing Load	Remarks
1	2	3	4	5
	JHUNJHUNU (O&M) SUB-DIVISION			
1.	Chota Bharunda	100 KVA	140 H.P.	
2.	Chanana	50 KVA	72.5 H.P.	
3.	Kalipaheri	63 KVA	80 H.P.	
4.	Dorasar	25 KVA	32.5 H.P.	
5.	Baragaon	50 KVA	65 H.P.	
6.	Alipur S/S No. 1	100 KVA	137.5 H.P.	
7.	Nunia Gothara S/S No. 3	25 KVA	40 H.P.	
8.	Makhar S/S No. 2	50 KVA	70 H.P.	
9.	Sultana S/S No. 6	63 KVA	80 H.P.	
	NAWALGARH (O&M) SUB-DIVISION			
10.	Bidasar	50 KVA	77.5 H.P.	
11.	Badi Birodi	100 KVA	140 H.P.	
12.	Jhajhar	50 KVA	75 H.P.	
13.	Keroo	50 KVA	70 H.P.	
14.	Gothara	100 KVA	142.5 H.P.	
15.	Nawalgarh (Choona Chowk)	100 KVA	142.5 H.P.	
16.	Nawalgarh (Near Gaushala)	100 KVA	150 H.P.	
17.	Khirod II	50 KVA	70 H.P.	
18.	Khirod VI	50 KVA	70 H.P.	
19.	Dundlod (Gudmandi)	63 KVA	87.5 H.P.	
20.	Nawalgarh (Boziwala)	100 KVA	160 H.P.	
21.	Nawalgarh (Rawal-Ki-kothi)	50 KVA	80 H.P.	
22.	Pabana	50 KVA	78 H.P.	
23.	Udaipurwati VI	100 KVA	147.5 H.P.	
24.	Udaipurwati VII	100 KVA	160 H.P.	
25.	Udaipurwati V	100 KVA	202.5 H.P.	
26.	Chirana III	100 KVA	160.0 H.P.	
27.	Chirana IV	100 KVA	162.5 H.P.	
28.	Kankariya I	100 KVA	127.5 H.P.	
29.	Kankariya II	50 KVA	67.5 H.P.	
30.	Kankariya III	25 KVA	52.5 H.P.	

115

1	2	3	4	5
CHIRAWA SUB-DIVISION				
31.	Lakhoo	50 KVA	70 H.P.	
32.	Tarawala (Kua)	50 KVA	70 H.P.	
33.	Kalgaon	50 KVA	70 H.P.	
34.	Meerwa	50 KVA	70 H.P.	
35.	Khidwana I	50 KVA	70 H.P.	
36.	Khidwana II	50 KVA	70 H.P.	
37.	Shyaloo Khurd	50 KVA	70 H.P.	
38.	Ardawata	100 KVA	138 H.P.	
39.	Ardawata II	100 KVA	140 H.P.	
40.	Oztoo	50 KVA	70 H.P.	
41.	Oztoo II	50 KVA	80 H.P.	
42.	Surajgarh III	100 KVA	175 H.P.	
43.	Jhanjhot	50 KVA	70 H.P.	
44.	Khudot	63 KVA	80 H.P.	
45.	Shinghana	50 KVA	165 H.P.	
46.	Babai	50 KVA	70 H.P	

नगरपालिका सूरतगढ़ की गृह कर की बकाया राशि

108. श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) सूरतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में स्थित मोटाराम भवन की तरफ कितना गृह-कर बकाया है ?

(2) इसी भवन के एक हिस्से में निर्मित आर्य टाकीज की तरफ कितना गृह कर बकाया है ?

(3) उक्त दोनों की नगरपालिका सूरतगढ़ के अभिलेखों के मालिक कौन हैं ? तथा कितना क्षेत्रफल इस भू-खंड का है ? अब कितने क्षेत्र में क्या-क्या निर्माण हुआ है ?

(4) क्या इस मोटाराम भवन के किसी हिस्से में दुकानें भी निर्मित की हुई हैं ? अगर हां, तो कितनी दुकानें बनी हुई हैं ? और कौन-कौन उनका मालिक है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूरतगढ़ नगरपालिका में स्थित मोटाराम भवन की तरफ रु. 7,519.50 पैसे गृह-कर बकाया है ।

(2) आर्य टाकीज की तरफ अप्रेल 71 से मार्च 78 तक 18,900/- रुपये गृह-कर बकाया है।

(3) नगरपालिका, सूरतगढ़ के अभिलेखों के अनुसार मोटाराम भवन एवं आर्य टाकीज का मालिक सर्वश्री मोटाराम, बीरबल सिंह व मनफूल सिंह है। इन भू-खण्डों का कुल क्षेत्रफल 26733 वर्ग फुट है। इसमें से 12780 वर्ग फीट में आर्य टाकीज तथा 2261 वर्ग फीट क्षेत्र में ग्यारह दुकानें निर्मित हैं।

(4) जी हां। कुल ग्यारह दुकानें बनी हुई हैं। नगरपालिका, सूरतगढ़ के रेकार्ड के अनुसार इनका मालिक सर्वश्री मोटाराम, श्री बीरबलसिंह व मनफूल सिंह चौधरी है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

नगरपालिका, सूरतगढ़ क्षेत्र में स्थित मोटाराम भवन एवं आर्य टाकीज के मालिक निम्न प्रकार हैं;--

1. श्री मोटाराम,
2. श्री बीरबल सिंह, व
3. मनफूलसिंह चौधरी ।

राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था

109. श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था फिल्म कालोनी, चौड़ा रास्ता, जयपुर, की स्थापना कब और क्यों हुई ?

(2) क्या राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था एक सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा निजी संस्था है ?

(श्री गुल मोहम्मद)

(3) क्या इसका कोई विधान है और राज्य सरकार का इस संस्था पर कोई नियन्त्रण है ?

(4) इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ? पदाधिकारियों की चुनाव प्रणाली क्या है और कितनी बार इसमें विधिवत् चुनाव हुए ? व अब तक कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं ?

(5) इस संस्था की स्थापना से लेकर आज तक इसके कौन-कौन पदाधिकारी रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) स्वायत्त शासन संस्था की स्थापना सन् 1955 में स्थानीय निकायों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से की गई थी।

(2) स्वायत्त शासन सस्था एक स्वयंसेवी संस्था है जो सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है।

(3) जी हां, सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत नियंत्रण है।

(4) संस्था के प्रथ मनोनीत अध्यक्ष श्री राजनारायण थे। पदाधिकारी साधारण सभा की बैठक में चुने जाते हैं। अब तक अठारह बार चुनाव हो चुके हैं। श्री गोविन्द नारायण जी ही सदैव निर्वाचित अध्यक्ष रहे हैं।

(5) संस्था के पदाधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था के पदाधिकारियों की सूची

1. श्री राजनारायण–अध्यक्ष–मनोनीत (प्रथम अध्यक्ष),
2. श्री गोविन्द नारायण शर्मा–निर्वाचित अध्यक्ष,

उपाध्यक्ष–

1. श्री विमलसिंह लोढ़ा, ब्यावर
2. श्री गंगाबिशन जोशी, ब्यावर
3. श्री दीनदयाल शर्मा, सांभर
4. श्री ज्ञानमल कोठारी, भीलवाड़ा
5. श्री कन्हैयालाल अचलवंशी, जैसलमेर

1. श्री ताराचन्द शास्त्री – सेक्रेटरी 1–7–73 से
2. श्री सत्यनारायण शर्मा–कोषाध्यक्ष 1–7–73 से

झालावाड़ जिले में धारा 109 जा. फौ. के अन्तर्गत चालान

110. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में सन् 1977 व 15 फरवरी, 78 तक कितने व्यक्तियों का चालान धारा 109 जा. फौ. के अन्तर्गत किया गया है तथा उनमें से कितने व्यक्ति अब तक जेल में बन्द हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार धारा 109 व धारा 110 दण्ड प्रक्रिया संहिता को बनाये रखने के पक्ष में है ? यदि हां, तो क्यों ?

(118)

उत्तर

(1) 162 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 109 जा. फो. के अन्तर्गत चालान प्रस्तुत किये गये हैं। इस समय उनमें से कोई व्यक्ति जेल में बन्द नहीं हैं।

(2) जी हां। वे प्रावधान असामाजिक तत्वों पर आवश्यक नियंत्रण रखने हेतु आवश्यक है।

बालिका उच्च माध्यमिक शाला जालौर का भवन

111. श्री टीकम चन्द कान्त (जालौर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जालौर की बालिका उच्च माध्यमिक शाला भवन क्षतिग्रस्त हो रहा है? यदि हां, तो इसे राज्य सरकार अपने कब्जे में क्यों नहीं ले रही है? अब विभाग इसे अपने अधिकार में कब लेगा?

(2) जालौर जिले के उन पाठशाला भवनों की सूची जिन्हें कि सरकार ने अपने अधिकार में न लिया हो जबकि निर्माता राज्य सरकार को सौंपने हेतु तत्पर हों,' सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका द्वारा शाला भवन को राज्य सरकार को सौंपने की कार्यवाही विचाराधीन है। नये सत्र के प्रारंभ के पूर्व ही।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

जालौर जिले के उन पाठशाला भवनों की सूची जिन्हें सरकार ने अपने अधिकार में न लिया हो जबकि निर्माता राज्य सरकार को सौंपने हेतु तत्पर है। सूची सदन की मेज प्रस्तुत है।

क्रम संख्या	संस्था का नाम	दानदाता का नाम
1	2	3
(1)	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुडावा सोलान	सेठ जयराम पुत्र बालाजी।
(2)	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जालौर	नगरपालिका एवं जन सहयोग।
(3)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय हरजी	शाह शांतिलाल हीराचंद जी
(4)	,, ,, सायला	भंडारी हंसराज ताराचन्द जी
(5)	,, ,, माण्डवला	सेठ कुन्दनमल कल्ला जी
(6)	,, ,, भादराजून	सेठ श्री हेमराज एवं जन सहयोग
(7)	,, ,, मालवाड़ा	सेठ उमाजी व ओजाजी

1	2		3
(8)	राजकीय माध्यमिक विद्या, आहोर		जन सहयोग
(9)	,, ,,	उमेदाबाद	,,
(10)	,, ,,	पागरा	,,
(11)	,, ,,	रामसीन	,,
(12)	,, ,,	दासपा	,,
(13)	,, ,,	बड़गांव	,,
(14)	,, ,,	हाड़ेचा	,,
(15)	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सदर बाजार भीनमाल		सेठ चुन्नीलाल हंसराज बापना
(16)	,, ,,	कचहरी रोड भीनमाल	सेठ बाबूलाल नाहर
(17)	,, ,,	तवाब	सेठ डूंगरमल, कपूरचन्द पुत्र श्री पूनम चन्द जन सहयोग
(18)	,, ,,	सरत	मिश्रीमल सागर मल जैन
(19)	,, ,,	तीखी	श्री जीवराज चंदाजी
(20)	,, ,,	केशवना	श्री अचलचंद सोफडिया
(21)	,, ,,	खकरा	श्री नैनमल, चिमनराज एवं ब्रदर्स
(22)	,, ,,	रेवतड़ा	श्री ओटमल, कुंदनमल एवं ब्रदर्स टीगोराजी
(23)	,, ,,	किशनगढ़	श्री सांकलचन्द, सुखराज
(24)	,, ,,	कवंराड़ा	सेठ बच्छराज एवं जन सहयोग
(25)	,, ,,	पादरली	सेठ हीराचन्द एवं ब्रदर्स, तिमोकी एवं जन सहयोग
(26)	,, ,,	रामा	सेसमल, सांकलचन्द एवं जन सहयोग
(27)	,, ,,	भैंसवाड़ा	सेठ ताराचन्द भंडारी
(28)	,, ,,	मुडतरासिली	पंच महाजन श्री माली समाज
(29)	,, ,,	चांदूर	श्री मोतीलाल, मोघाजी
(30)	,, ,,	धूर	सेठ चुन्नीलाल शंकरलाल
(31)	,, ,,	मेंगलवा	हुरकचन्द लादाजी
(32)	,, ,,	शिवाजीनगर जालोर	जन सहयोग
(33)	,, ,,	बादनवाड़ी	,,
(34)	,, ,,	नरता	,,
(35)	,, ,,	पावटा	,,
(36)	,, ,,	कल्लापुरा	,,

(120)

1	2		3
(37)	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	कागमाला	जन सहयोग
(38)	,, ,,	रानीवाड़ा	,,
(39)	,, ,,	मांडोलीनगर	,,
(40)	,, ,,	बालवाड़ा	,,
(41)	,, ,,	कोरा	,,
(42)	,, ,,	सांदू	,,
(43)	बालिका	आहोर	माणकचन्द धूलाजी

मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या

112. श्री मूलचन्द डागा (पाली) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्तमान में सरकार राजस्थान में जब से बनी है उसके पश्चात् कुल कितने लोग किन-किन कारणों से मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और कितने-कितने रोज जेलों में रखे गये ? उनके नाम मय पतों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार बिना मीसा के उपयोग किये अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकती ?

उत्तर

वर्तमान सरकार बनने के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को मीसा के तहत बंदी नहीं बनाया गया।

(2) प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर देने के बाद इस भाग का उत्तर देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अस्पताल डिस्पेन्सरी एवं एड पोस्टों में कर्मचारी एवं अधिकारियों का प्रावधान

113. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील कोटपूतली के किस-किस अस्पताल व डिस्पेन्सरी एड पोस्ट, पी. एच. सी. आदि में कितने कर्मचारी कम्पाउन्डर, डाक्टर्स, नर्स आदि का प्रावधान है ?

(2) क्या प्रावधान के अनुसार उक्त स्थान पर सब स्थान पूर्ण हैं।

(3) इनमें से कितने ऐसे कर्मचारी या कम्पाउन्डर तहसील से बाहर डेपूटेशन पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) स्वीकृत पदों की सूची संलग्न है।

(2) जी हां। केवल कोटपूतली अस्पताल हेतु कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) के नव स्वीकृत पद के अतिरिक्त सभी स्थान पूर्ण हैं।

(3) निम्नलिखित एक कर्मचारी तहसील के बाहर डेपूटेशन पर है:–

श्री गिरधरदत्त, कम्पाउण्डर श्रेणी-III पुरुष चिकित्सालय, कोटपूतली

तहसील कोटपूतली में सृजित अस्पताल, डिस्पेन्सरी, पी. एच. सी., एड पोस्ट आदि में स्वीकृत स्टाफ की सूची :—

संस्था का नाम	जूनि. स्पेश.	सी.ए.एस.	सिस्टर	स्टाफ नर्स	मेल नर्स श्रेणी-दो	ए.एन.एम.	दाई	एक्सरे टेक्नी.	लेब. टेक्नी.	व. लि.	क. लि.	ए.एच.डब्लू.	एस. आई.	एल. एच. वी.	वा. चा.	च.श्रे. कम.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. राज. चिकित्सालय, कोटपूतली (मेल)	2	5	1	2	14	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	23
2. ,, चिकि. कोटपूतली (फिमेल)	–	1	–	1	2	1	–	–	–	–	1	–	–	–	इले. 1	9
3. ,, चिकि. बड़नगर	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
4. ,, डिस्पे. गोनेड़ा	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
5. ,, डिस्पे. बनेठी	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3+1
6. ,, डिस्पे. रघुनाथपुरा	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
7. ,, एडपोस्ट, छाजेड़ा	–	–	–	–	1 (ग्रेड-I)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
8. ,, ,, भाकरी	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
9. ,, ,, केसवना राजपूत	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2
10. ,, ,, कल्याणपुरा	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
11. ,, ,, दांतिल	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
12. ,, ,, मोलावास	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
13. ,, ,, राजनोता	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
14. ,, ,, सुन्दरपुरा ठाडा	–	–	–	–	1 (ग्रेड-I)	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
15. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरहेड़ा	–	1	–	–	1 (ग्रेड-II)	4	–	–	–	–	–	3	1	1	1	4+3
16 मा. शिशु कल्याण केन्द्र, परागपुरा	–	1	–	–	1	2	–	–	–	–	1	–	–	1	–	4

(121)

(122)

राज्य पुलिस द्वारा खाद्यान्नों की चैकिंग

114. श्री चुन्नीलाल (खांडार) क्या : गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य पुलिस खाद्यान्न की चैकिंग कर सकती है ? यदि हां, तो किस अधिकार के तहत ?

(2) क्या पुलिस बिना राज्य सरकार की अनुमति के खाद्यान्न की जाँच प्रारम्भ कर सकती है ? यदि नहीं, तो उसकी क्या विधि है ?

उत्तर

(1) जी हां, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत ।

(2) जी हां ।

(123)

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 85 की सूची)

समाज कल्याण विभाग के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की सूची जिन्हें वर्ष 1975 से रोस्टर प्रणाली लागू होने पर नियमानुसार पदोन्नतियां दी गई।

राज्य सेवा

अनुसूचित जाति

श्री हमीरमल कटारिया

अनुसूचित जन जाति

श्री रूपसिंह भील

मंत्रालयिक सेवा

अनुसूचित जाति

1. श्री हरिभजन
2. श्री नाथूलाल पिपोलिया
3. श्री सूरजभान
4. श्री बाबूराय
5. श्री कजोड़मल
6. श्री बनवारीलाल
7. श्री चिरंजी लाल अलाड़िया

अनुसूचित जन जाति

1. श्री कल्याण सहाय मीना
2. श्री रंगलाल मीना
3. श्री धूलेश्वर पारगी

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा

अनुसूचित जाति

1. श्री बद्री प्रसाद पुत्र श्री जवाना
2. श्री नारायण पुत्र हुक्मचन्द
3. श्री नारायण लाल
4. श्री चिरंजीलाल
5. श्री नारायण पुत्र श्री चतरू
6. श्री बालचन्द
7. श्री नारायण पुत्र श्री दूदाराम
8. श्री कुशालाराम
9. श्री ओंकार
10. श्री कल्याण मल

अनुसूचित जन जाति

1. श्री रूपा
2. श्री कन्हैया
3. श्री हरजीराम
4. श्री हकरा
5. श्री दाना
6. श्री तेजाराम